खण्ड-105, अंक-5
शुक्रवार, 3 श्रावण, शक संवत् 1874
(25 जुलाई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 105 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ जुलाई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप,लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अंसमान सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गुँदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकनाथ कौल, श्री

दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पन्नालाल, श्री
पुन्नूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री

फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुमुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मानधाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसी,र श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय, सिंह श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
राम लाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
बनारसी दास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री

शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी मनहोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री
सुरुजूराम, श्री

प्रश्नोत्तर

(शुक्रवार, १८ जुलाई, सन् १६५२ ई० को गृह मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित किये गये प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

थाना धुधारा, ज़िला बस्ती के क्षेत्र में आस्टियरिटी प्राविजनिंग स्कीम के अन्तर्गत सूची बनाने के अवसर पर पटवारी का रिश्वत लेना

*१—श्री धनुषधारी पांडेय (ज़िला बस्ती)—क्या यह सच है कि थाना धुधारा, ज़िला बस्ती के क्षेत्र में किसी पटवारी की ए० पी० स्कीम की लिस्ट बनाने के अवसर पर रिश्वत लेने की शिकायत वहां के जिलाधीश से की गयी ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——जी हां।

*२—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या यह सच है कि उक्त मामले को जिलाधीश ने पुलिस को चांज के लिये दे दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——जी हां।

श्री रामलाल (ज़िला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस आदमी को यह जांच दी गई थी उसके खिलाफ इससे पहले कोई रिश्वत की शिकायत तो नहीं थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके पहले उसने रिश्वत ली थी या नहीं मैं नहीं कह सकता।

*३—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जांच का प्रतिफल क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस ने जांच समाप्त करके मामला अदालत में भेज दिया है। पटवारी इस समय मुअत्तल है।

ज़िला आजमगढ़ के मधुवन थाने के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में आरोप

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)—क्या सरकार को पता है कि हाकिम परगना घोसी, जिला आज़मगढ़ के पास मई, सन् १६५२ के धर्मपुर देवारे की कोई ऐसी शिकायत किसी स्त्री द्वारा प्राप्त हुई है कि मधुवन थाने के इंचार्ज सब पुलिस इन्स्पेक्टर तथा सब पुलिस इन्स्पेक्टर ने अप्रैल, सन् १६५२ के अंतिम सप्ताह में कुछ स्त्रियों को बुरी तरह से पीटा और एक युवती के साथ दुर्व्यवहार भी किया तथा कई और भयंकर कांड किये ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मई, सन् ५२ में हाकिम परगना घोसी के पास एक दरख्वास्त केवल इस विषय की आई थी कि मधुबन थाने के थानेदार ने श्रीमती बंधुई को थाने में मारा उसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि श्रीमती बंसपतिया को भी पुलिस ने पीटा और गांव से छावनी तक घसीटते हुये ले गये। जांच से दोनों आरोप निराधार पाये गये।

हाकिम परगना घोसी के पास प्राप्त शिकायत में इन आरोपों के अतिरिक्त कोई आरोप थानेदार का किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने का तथा और भयंकर कांड करने का नहीं लगाया गया था। इन दोनों स्त्रियों की डाक्टरी जांच भी नहीं करवाई गयी थी और उनके शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं पाये गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जांच के लिये परगना हाकिम घोसी धर्मपुर देवारे गये थे और स्त्रियों के अलावा और लोगों के भी बयान लिये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, वह भी गये थे और सुपरिंटेंडेंट पुलिस भी गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--पुलिस धर्मपुर देवारे की जिसके जिम्मे जांच सुपुर्द की गई थी उसने वहां जाकर जांच की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--धर्मपुर देवारे में जाकर जांच की या नहीं में नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सच है कि थाने में लाकर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने स्त्रियों के बयान लिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, खून के मामले की जांच हो रही थी। उसी सिलसिले में स्त्रियों को बुलाया गया और बयान लिये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायेगें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी कोई खास जरूरत तो मालूम नहीं होती।

आजमगढ़ शहर में एक रिक्शा वाले का कांस्टेबिल द्वारा पीटा जाना

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि ८ मार्च, १९५२ को डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट, आजम गढ़ के पास आजमगढ़ शहर में रिक्शा चलाने वाले ने एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया था कि उसे किराया मांगने पर महाराजगंज थाने के एक कांस्टेबिल ने बुरी तरह से मारा? यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जांच के बाद शिकायत सही पाई गई और कान्स्टेबिल के खिलाफ वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

* * *

मानसिंह डकैत के गिरोह को पकड़ने की योजना

*९--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आगरे के मान सिंह डकैत के गिरोह को पकड़ने की योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है अब और प्रति दिन क्या व्यय हो रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मानसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिये पी० ए० सी० फोर्स की टुकड़ियां विशेष जगहों पर लगा दी गई हैं और समय समय पर धावे भी किये गये हैं। इन टुकड़ियों के आने जाने में पेट्रोल के खर्चे के अलावा और कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हो रहा है।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० के कितने आदमी वहां पर लगाये गये हैं और उनको कितना वेतन और भत्ता दिया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह बहुत लम्बा चौड़ा सवाल है। पी० ए० सी० के कई सौ आदमी वहां काम कर रहे हैं और कितना वेतन और भत्ता उनको दिया जाता है यह मैं इस वक्त नहीं बतला सकता।

*१०-- श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि जब जब पुलिस ने उसे पकड़ने को घेरा डाला तब तब वह क्यों असफल रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मानसिंह के न पकड़े जाने का पहिला कारण तो यह है कि वह कभी सामने नहीं आता। दूसरे उसके गिरोह में बड़े विश्वस्त साथी तथा संबंधी हैं। तीसरे उसके घूमने-फिरने के स्थान खाई और खन्दकों से भरे हैं जहां से निकल भागना उस के लिये आसान है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह मानसिंह डाकू कितने सालों से फरार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक वक्त तो नहीं बतला सकता लेकिन काफी वक्त से फरार है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या यह बात सच है कि मानसिंह को डाकू बनाने और उसके न पकड़े जाने के जो कारण हैं वह आगरे जिले के निवासी खुद हैं जो उसको मदद देते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हो सकता है यह संभव हो। अगर ठीक ठीक पता होता तो गिरफ्तारी ही हो जाता।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले महीने झांसी से कुछ दूर दतिया रियासत के बार्डर पर मानसिंह के आदमियों और पुलिस में जबरदस्त मुठभेड़ हुई, उसमें क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सम्मिलित थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा ख्याल है कि इस मौके पर उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं थी।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--क्या यह सच है कि मानसिंह के दस्तखत से धमकी-पूर्ण-पत्र झांसी में भी आये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--खास झांसी के बारे में तो इत्तिला नहीं है। और जगहों पर धमकी के पत्र मानसिंह के दस्तखत से आये हैं।

*११--श्री देवकी नन्दन विभव--मानसिंह को स्टेनगन और दूसरे अस्त्र शस्त्र कहां से मिलते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह हथियार अधिकतर ग्वालियर मोरेना, भिन्ड, दतिया तथा धौलपुर से प्राप्त किये गये हैं और कुछ लूटमार से भी मिलते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--क्या यह सच है कि मानसिंह को हथियार भूतपूर्व नरेशों से और जागीरदारों से प्राप्त हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह असंभव नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अभी तक कुछ अस्त्र शस्त्र जो थे वे कहीं बरामद हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां बरामद हुये हैं और उसमें कुछ आदमी मारे भी गये।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

बनारस में गंगा में डूबी हुई सात लाशों का कांड

*१४---श्री राज नारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बनारस में जो कांड "सात लाशों का एक साथ गंगा जी में डूबना" हुआ था उसके बारे में सरकार ने अंतिम जानकारी प्राप्त कर ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*१५---श्री राज नारायण---क्या सी० आई० डी० विभाग ने सात लाशों के कांड को हत्या का केस बताया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उन की अंतिम रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१६---श्री राजनारायण---क्या यह सच है कि जब सी० आई० डी० विभाग के अफसर जांच करने और आवश्यक काग़जात देखने के लिये सीनियर पुलिस कप्तान के यहां गये तो उन्होंने सी० आई० डी० के अफ़सरों को कागजात नहीं दिखाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

[शुक्रवार, २५ जुलाई, १९५२ के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रशिक्षित हेड कांस्टेबिलों का लखनऊ पुलिस लाइन में बेकार रहना

*१---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि २८ ट्रेंड हेड कांस्टेबुल पुलिस रेंज बनारस से लखनऊ पुलिस लाइन में क़रीब एक माह से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हेड कान्सटेबुल सिविल पुलिस कोर्स पास करके पूर्वी रेंज के विभिन्न जिलों से २७ कान्सटेबुल विभिन्न तिथियों में सेंट्रल रेंज में हेड कान्स्टेबुल के पद पर नियुक्ति के लिये लखनऊ आये थे। इन पदों पर उस समय ट्रेन्ड हेड कान्सटेबुलों के अभाव के कारण अस्थायी रूप से बहुत से अनट्रेंड व्यक्ति काम कर रहे थे। उनको हटाने के पूर्व उनके रिकार्ड का निरीक्षण करना आवश्यक था यह देखने के लिये कि उनमें से कौन प्रत्यावर्तित करने योग्य था। यही कारण है कि इन २७ व्यक्तियों की करीब १ महीने तक नियुक्ति नहीं हो सकी परन्तु इतने समय तक यह ट्रेंड कान्सटेबुल बेकार नहीं पड़े थे बल्कि पुलिस लाइन में ड्यूटी करते रहे।

*२---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या उस अधिकारी के ऊपर सरकार उचित कार्यवाही करेगी, जिनके कारण उपरोक्त हेड कांस्टेबुल लखनऊ में बेकार पड़े हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में अनावृष्टि के कारण खाद्य संकट

*३--श्री केशव पांडेय (ज़िला गोरखपुर)--क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में गत वर्ष अनावृष्टि के कारण इस समय खाद्य संकट का कड़ा मुकाबिला करना पड़ रहा है। यदि हां, तो जनता को सहायता के लिये क्या उपाय किया जा रहा है?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी हां। गोरखपुर जिले में अन्न की कमी वाले क्षेत्रों की जनता की सहायता के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये गये हैं :-

(क) आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम ज़िले में लागू है जिसके अन्तर्गत १ मई, सन् १९५१ से ३० जून, सन् १९५२ तक ५,६९,५७७ मन सरकारी खाद्यान्न १६५ दूकानों द्वारा बिकवाये जा चुके हैं। इस स्कीम से १३,८४,८०१ मनुष्यों को फायदा पहुंच रहा है।

(ख) २०,००० रुपये सहायता कार्य आरम्भ करने के लिये ज़िलाधीश को प्रदान किये गये हैं।

(ग) १५,००० रुपया गरीब, अपाहिज, असहाय बूढ़ों और बच्चों को ग़ल्ला मुफ्त बांटे जाने के लिये स्वीकृत किया गया है।

(घ) ५,००,००० रुपया तक़ावी के रूप में बांटने के लिए दिया गया है।

(ङ) १३५९ फसली रबी के लिए लगान में ५,३६७ रुपए की छूट और मालगुजारी में ३,७०७ रुपये की छूट दी जा चुकी है।

१३५९ फसली खरीफ़ के लिए लगान में १,५३,३८५ रु० की छूट और मालगुजारी में ५६,०९६ रुपये की छूट दी गई है।

(च) तक़ावी में दिए गए रुपये की वसूली संकटग्रस्त व्यक्तियों से प्रार्थना आने पर टाल दी जाती है।

(छ) धान की फसल के लिये अच्छी किस्म का बीज किसानों को दिया गया है।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में व्यक्तिगत लोगों को कितनी दुकानें दी गई हैं और कोआपरेटिव को कितनी दी गई?

श्री बनारसी दास--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि व्यक्तिगत दुकानदारों को ज्यादा और कोआपरेटिव दुकानदारों को कम सहूलियतें दी जाती हैं?

अन्न मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)--ऐसा नहीं होता है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो अच्छे किस्म के धान का बीज दिया गया है उसकी क्या मिकदार है?

श्री बनारसी दास--गोरखपुर ज़िले में जो प्रोक्योरमेंट (खाद्यान्न वसूली) से धान आया है उसमें से कुल जिले के लिये १२ हजार मन और इसके अतिरिक्त कुछ बिहार जिले से बीज आया है उसमें से दिया गया है। नैपाल से बीज मंगाया गया है, उसमें से ३३ हजार मन।

गांव सभाओं के सचिवों का गांव सभाओं में जाना

*४--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गांव सभाओं के अन्तर्गत जो मंत्री रक्खे गये हैं वे गांव सभाओं में जाते हैं ?

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी हां।

श्री प्रभुदयाल--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि अधिकतर गांव-सभा के मंत्री अपने निवास स्थानों के क्षेत्रों में ही नियुक्त किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--बहुत से अपने निवास स्थानों के क्षेत्र में भी हैं, बहुत से नहीं भी हैं।

तारांकित प्रश्न

आज़मगढ़ में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का खोला जाना

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन किन जिलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और उन पर कितना-कितना व्यय होता है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जिला आजमगढ़ को छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में बालकों के हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। प्रत्येक स्कूल का व्यय अलग-अलग देना सम्भव नहीं है। १९५१-५२ में इन सब ही स्कूलों पर निम्नांकित व्यय किया गया है।

		रु०
(१) अधिकारियों का वेतन	..	३,३२,२००
(२) कर्मचारियों का वेतन	..	३५,६३,२००
(३) भत्ता तथा मानदेय	...	१०,३८,२००
(४) प्रासंगिक व्यय	...	४,२९,५००
... ... योग		५३,६३,१००

*२--श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो वहां सरकार का कोई स्कूल खोलने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

अभी नहीं।

*३--श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक सम्मेलन जो अप्रैल मास, सन् १९४७ ई० में मऊ-आजमगढ़ में हुआ था उसमें यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि मधुवन हायर सेकेंडरी स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाय और सरकार की ओर से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का आश्वासन भी दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--सम्मेलन ने प्रदेश की सरकार से अपने प्रस्ताव में यह अनुरोध किया था कि मधुबन शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल को सुचारु रूप से चलाने

के लिये आर्थिक सहायता दी जाये और यदि आजमगढ़ में सरकारी स्कूल खोलने की योजना हो तो, इस स्कूल को सरकारी प्रबन्ध में ले लिया जाय। जहां तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, शिक्षा संहिता के अनुसार आर्थिक सहायता इस स्कूल को दी जा रही है और आजमगढ़ में अभी कोई शासकीय संस्था खोलने का विचार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस स्कूल को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि भवन निर्माण के लिये उसको कितना रुपया दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये भी नोटिस की जरुरत है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--- क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको टेकनिकल स्कूलों में परिवर्तित करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री श्री हरगोविन्द सिंह---इन प्रश्नों से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशव गुप्त---जिन स्थानों पर प्राइवेट एडेड स्कूल उन्नत दशा में हैं और जहां प्रबन्ध भी अच्छा है वहां पर गवर्नमेंट स्कूलों को बन्द करने का सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

जिला बोर्डों और म्यूनिसिपल बोर्डों के अध्यापकों को एच० ए० टी० सी० उपाधि का दिया जाना

*४---**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या यह सत्य है कि सन् १९४७ ई० में शिक्षा विभाग ने प्रान्त के जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के सैकड़ों अध्यापकों को दो महीने की शिक्षा देकर उन्हें एच० ए० टी० सी० की उपाधि दी और उनको ट्रेनिंग पाने से मुक्त कर उन्हें ट्रेंड (प्रशिक्षित) अध्यापकों की भांति वेतन वृद्धि आदि की सुविधा दी थी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*५---**श्री राम नारायण त्रिपाठी**---क्या सरकार उन सुविधाओं को अब वापस ले रही है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---यह आदेश किस साल किस तारीख को और किस आज्ञापत्र द्वारा दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम---यह आदेश २२--१२--४७ को और ९ फरवरी, सन् १९४९ ई०, को दिया गया था।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--यदि मैं यह कहूं कि ५ वर्ष की अवधि बीतने पर भी अभी तक प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई निश्चित आदेश नहीं दिया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह कहने को तैयार हैं कि मेरा कहना असत्य है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या प्रदेश के तमाम ज़िला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों को यह आदेश दिया गया है या कुछ को?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो उत्तर दे ही दिया गया है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या फैजाबाद के टीचरों की ओर से माननीय मंत्री के पास कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि इस समय डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की आज्ञा से वहां ये सुविधायें रोक दी गई हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसके लिये नोटिस चाहिए।

*६--७--श्री कृष्ण शरण आर्य (ज़िला रामपुर)--[८ अगस्त, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कला तथा साहित्य के अध्यापकों का वेतन क्रम

*८--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० मार्च, सन् १९५१ ई० के प्रश्न संख्या २३, २४, २५, २६ के उत्तरों के प्रसंग में सरकार ने कला तथा साहित्य अध्यापकों के वेतन क्रम के विषय में अब तक क्या विचार एवं निर्णय किया है? यदि नहीं, तो यह कब तक होने की आशा है?

डाक्टर सीताराम--प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह सही है कि इस प्रश्न पर सरकार २२ फरवरी, सन् १९५० ई० से भी पहले से विचार कर रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, कर रही है।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर के सम्बन्ध में ऐडजूडिकेटर का ऐवार्ड

*९--श्री राजनारायण--क्या एडजुडिकेटर, श्री विद्यार्थी जी ने स्टार पेपर मिल के बारे में ३१ जनवरी, सन् १९५२ ई० को कोई ऐवार्ड दिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*१०--श्री राजनरायण--क्या मिल मालिक की ओर से उस ऐवार्ड के विरुद्ध कोर्ट में अपील की गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*११--श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि इसी बीच में लेबर कमिश्नर ने अपनी राय जाहिर करके ऐवार्ड को कार्यान्वित होने से रोक दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री राज नारायण---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान ऐक्ट के अनुसार यदि बीच में स्टे आर्डर (स्थगनादेश) न लिया जाय तो एक हफ्ते के बाद ऐवार्ड लागू नहीं हो जाता ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को मालूम है कि विद्यार्थी जी का ऐवार्ड अब तक नहीं लागू हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा नहीं है। उसमें ५ बातें थीं जिनमें से ४ को तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि लागू की जा सकती हैं। वे लागू हो गई। एक ऐसी है जिसके लिये एपीलेट ट्रिब्यूनल ने इंजंक्शन (निषेध आज्ञा) दे दिया है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि लेबर कमिश्नर ने डी० एम० को कोई पत्र लिख कर एवार्ड लागू करने से मना किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है।

कानपुर के मिल मालिकों को मजदूरों के क्वार्टर निर्माण के निमित्त भूमि का दिया जाना

*१२---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले १० वर्षों में कानपुर के किन किन मिल मालिकों को किस सन् में, किस भाव में और कितनी भूमि मजदूरों के क्वार्टर बनाने के लिये दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द ---आवश्यक सूचना नत्थी 'क' में दी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ८२,१९५ वर्ग गज जमीन मजदूरों के मकानों के लिये कानपुर टैक्स्टाइल ऐलिगन मिल्स के पास है क्या सरकार उस पर मकान बनवाने की सोच रही है जिसकी कीमत किस्तों द्वारा वसूल की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कानपुर मे मजदूरों के मकानों का प्रश्न विचाराधीन है जैसा कि लेबर का बजट पेश करते हुए मैंने बताया था जब कोई व्यवस्था होगी उस समय विचार किया जायगा कि कहां और कितने मकान बनाए जायें। उसी वक्त यह सवाल भी सामने आयेगा।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन मिल मालिकों को जमीन पहिले दी गई और जिन्होंने मकान नहीं बनवाए, क्या सरकार उनको दंड देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तो ऐसा कोई कानून मेरे सामने नहीं है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य मुझसे अधिक कानून समझते हैं।

*१३---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार जमीन पाने वाले मिल मालिकों ने कितने क्वार्टर अब तक तैयार कराये हैं और कितने अब बनवाने हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो० के० ग्रुप कमला टाउन ट्रस्ट द्वारा ४ या ५ एकड़ भूमि पर दो कमरे वाले १५६ क्वार्टर्स तैयार हो चुके हैं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० के० ग्रुप ने गत १६ वर्षों में पूरी भूमि पर क्वार्टर्स क्यों नहीं तैयार किये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वही लोग जान सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बनवाये।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जे० के० मिल ने जब १५६ क्वार्टर्स ७० एकड़ में बनवाये हैं तो उसी अनुपात से बाकी जमीन में २,१८४ क्वार्टर्स और बनने हैं। क्या सरकार उन क्वार्टर्स को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी? और क्या माननीय मंत्री जी को इससे संतोष है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैं समझता हूं यह मेरे लिये उचित नहीं है कि मैं अपनी निजी राय दूं कि किस चीज से मुझे संतोष है और किस चीज से नहीं। जहां तक मकान बनने का ताल्लुक है जब यह तय हो जायगा कि मकान बने तब यह देखा जायगा कि कितने मकान और कहां बनाये जायं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन जो अब तक खाली पड़ी रही किस काम में आती रही?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा ख्याल है कि खाली पड़ी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर इस जमींन पर कोई मकान बनने वाले नहीं हैं तो फिर वह जमींन उन लोगों को जिनसे वह ली गई थी वापस दी जाने वाली है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐक्ट के अन्दर यह दिया हुआ है कि अगर एक म्याद के अन्दर जमीन जिस पर परपज (प्रयोजन) के लिये ली जाती है यूटीलाइज (उपयोग) न की जाय तो खास खास हालतों में मालिकों को वापस कर दी जायेगी।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)--अभी माननीय मंत्री ने कहा कि कानपुर में लेबर के मकान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है तो क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि वह कब से विचाराधीन है और कब तक वह निश्चय पर पहुंचेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बहुत पहले से यह प्रश्न विचाराधीन है और जब तक कोई बात पूरी तरह से तय नहीं हो जायगी, विचाराधीन रहेगा जहां तक उस जमीन का ताल्लुक है जो मकानों के लिये ली गई थी और जिस पर मकान नहीं बनवाये गये इस प्रश्न का कानूनी पहलू विचाराधीन है।

*४१--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के मिल मालिकों को जिन्हें जमीन दी गई थी या जिन्होंने पर्याप्त संख्या में नहीं बनवाये जल्द से जल्द मकान बनाने को बाध्य करने के लिये कोई कानूनी व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया गया है परन्तु कानपुर के मजदूरों के लिये मकान बनवाने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। कानूनी व्यवस्था का प्रश्न भी विचाराधीन है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का सवाल नं० १५ नहीं लिया जायगा ?

अध्यक्ष—जो नियम बना है उसमें है कि अगर सवाल करने वाले माननीय सदस्य हाजिर न हों और दूसरे माननीय सदस्य उसमें दिलचस्पी रखते हों तो सवाल खत्म होने के बाद अन्त में उसे लिया जायगा। मैं उसे बाद में ले लूंगा।

*१५—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—(देखिये आगे पृष्ठ संख्या ३०९ पर।)

*१६—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—(८ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।)

भदोही, जिला बनारस में अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति

*१७—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बनारस जिले के भदोही नगर में अतिरिक्त पुलिस क्यों तैनात की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भदोही नगर में अतिरिक्त पुलिस इसलिये तैनात की गई कि वहां दो पार्टियों में दलबन्दी व वैमनस्य बढ़ने के कारण साम्प्रदायिक परिस्थिति बिगड़ गई थी और हर समय शान्ति भंग की संभावना रहती थी।

*१८—श्री बेचन राम गुप्त—क्या यह सही है कि भदोही नगर की जनता ने इस अतिरिक्त पुलिस का विरोध किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—,अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति के बाद उसको हटाने के लिये कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे।

अनिवार्य शिक्षा तथा उस पर व्यय

*१९—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य शिक्षा किन किन जिलों में लागू की गई है और शिक्षा विभाग पर खर्च होने वाली रक़म का कितना प्रतिशत निरक्षरों को साक्षर बनाने पर खर्च होता है ?

डाक्टर सीताराम—निम्नलिखित २५ जिलों के आंशिक क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू हैं:—

१—सहारनपुर,	२—मुजफ्फरनगर,	३—मेरठ,	४—मथुरा,	५—आगरा,
६—बिजनौर,	७—बदायूं,	८—मुरादाबाद,	९—शाहजहांपुर,	१०—इटावा,
११—कानपुर,	१२—फतेहपुर,	१३—इलाहाबाद,	१४—बनारस,	१५—मिर्जापुर
१६—गाजीपुर,	१७—गोरखपुर,	१८—गढ़वाल,	१९—लखनऊ,	२०—उन्नाव,
२१—सीतापुर,	२२—हरदोई,	२३—गोंडा,	२४—प्रतापगढ़,	२५—बाराबंकी।

सब निरक्षरों को साक्षर बनाने के आंकड़े अलग देना सम्भव नहीं है। परन्तु प्रौढ़ों को साक्षर बनाने पर १९५१-५२ में २,४४,१७६ रूपये व्यय हुआ जो कुल शिक्षा के व्यय का .३३१ प्रतिशत है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २५ जिलों में लड़कियों के लिये भी अनिवार्य शिक्षा लागू है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, दो जिले लखनऊ और इटावा में लागू हैं।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस में यह योजना अब तक क्यों नहीं लागू की गयी है?

डाक्टर सीताराम---अभी तो बनारस में नहीं लागू की गयी है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में अनिवार्य शिक्षा लागू है वहां कितने प्रतिशत बालक इस अनिवार्य शिक्षा से लाभ उठा पा रहे हैं और कितने प्रतिशत इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसे आंकड़े तो नहीं इकट्ठे किये गये हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---क्या सरकार को यह मालूम है कि इस अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत काफी तादाद ऐसे बालकों की है जो इस अनिवार्य शिक्षा से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है कि ऐसे आंकड़े सरकार द्वारा एकत्र नहीं किये गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या यह सही है कि जिन जिलों के नाम अभी पढ़ कर सुनाये गये हैं उनके कुछ भागों में ही अनिवार्य शिक्षा लागू है?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जो के पास इत्तला आयी है कि जिन जिलों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गयी है वहां के मजदूरों के बालक इस शिक्षा से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है? तो क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि उन बालकों के लिये रात्रि पाठशालायें खोलने का विचार है?

श्री हरगोविन्द सिंह---कोई इत्तला सरकार के पास नहीं आयी है।

श्री राम लाल---(जिला बस्ती) क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कतनी नयी जगहों में दाखिला तालीम जारी की जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि किन विशेष परिस्थितियों को देख कर यह २५ ज़िलों में ही अनिवार्य शिक्षा प्रचलित की गयी है, और दूसरे भागों में नहीं?

श्री हरगोविन्द सिंह---चूंकि ध्येय पूरे प्रान्त में फैलाने का है इसलिये इन जिलों से शुरू की गयी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट लाजिमी तालीम लाने के लिए स्कूलों को रिकगनाइज (स्वीकृत) करने की आसानियां बहम येंगी?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो सरकार हमेशा से करती रही और आयन्दा भीकरती रहेगी।

प्रौढ़ महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा पर व्यय

*२०—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा के लिये कितना और पुरुषों के लिए कितना खर्च होता है?

डाक्टर सीताराम—१९५१-५२ में महिलाओं की प्रौढ़ शिक्षा के लिये १,५४५ रु० और पुरुषों के लिये ६४,६०६ रु० १२ आना ६ पा० व्यय हुआ था।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि प्रौढ़ लड़कियों को पढ़ाने के लिये कितनी अध्यापिकायें रखी गयी और वे कितना वेतन पाती हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*२१—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिये क्या समय रखा गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे ख्याल में इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है।

महंगाई के कारण पाठशालाओं की फ़ीस में कमी

*२३—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में महंगाई के कारण पाठशालाओं में फीस कम होने की सम्भावना है?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति में आवश्यक योग्यताओं से मुक्ति

*२२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि "कारखानों के वेलफेयर अफसरों के नियम सन् १९४९" की धारा ४ और १२ के अनुसार कितने उम्मेदवारों को और किस कारण, धारा ४ में वर्णित योग्यताओं से मुक्ति प्रदान की गयी है, तथा कितने ऐसे मामले सरकार के विचाराधीन हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) श्रम कमिश्नर एवं राज्य सरकार ने अब तक ३६ व्यक्तियों को कारखाना के वेलफेयर अफसरों के नियम, १९४९ ई० के नियम १२ के अन्तर्गत, नियम ४ की योग्यताओं से मुक्त किया है, जिनका विवरण नत्थी 'ख' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट ३६९ पर)

(ख) अब कुल १८ मामले मुक्ति के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन हैं, जिनका विवरण नत्थी 'ग' में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलाएंगे कि मुक्ति किसी विशेष व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर प्रदान की गयी है या किसी कम्पनी या मिल के प्रार्थना-पत्र पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—व्यक्तियों की दरख्वास्त पर भी होता है और अगर वह किसी खास कम्पनी में काम करता है और कम्पनी की तरफ से सिफारिश आती है तो उस पर भी विचार कर लेते हैं।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बताएंगे कि धारा १२ से यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो व्यक्ति...

अध्यक्ष—आप क्या सवाल को लिख लाए हैं, उसे पढ़ रहे हैं? आप वैसे ही पूछ सकते हैं लिखित सवाल नहीं पढ़ सकते।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या कारण है कि अभी तक शेष मामलों का निर्णय नहीं हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनकी योग्यताओं की छानबीन होती है कि इस सम्बन्ध में जो नियम हैं उनके अन्तर्गत आते हैं या नहीं, और जितने-जितने उनके केसेज पर विचार हो चुका है घोषित कर दिये जाते हैं।

*२३—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार उपरोक्त नियम की धारा '४' खंड 'ग' में अंकित, "सरकारी मान्यता प्राप्त, किसी अन्य सुविख्यात संस्था" के डिप्लोमा में इसी प्रान्त के इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों की एम० ए० डिग्री के सामाजिक हित, और श्रम समस्या के प्रतिष्ठित विशेष कोर्स की गणना करने का विचार करेगी, जब कि बम्बई के टाटा इन्स्टीटचूट और कलकत्ता विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन नियमों के अन्तर्गत उन्हीं विश्वविद्यालयों या इन्स्टीट्यूशनों के श्रम सम्बन्धी डिप्लोमा को मान्यता प्रदान की गई है जहां पर श्रम सम्बन्धी विशेष कोर्स के अध्यापन का प्रबन्ध किया गया है और जिनमें प्रायः बी० ए०, या एम० ए० (अर्थ शास्त्र या समाज शास्त्र) के छात्र भर्ती किये जाते हैं। अतः विश्वविद्यालयों के एम० ए० (अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र) की डिग्रियों को इन नियमों के अन्तर्गत मान्यता देने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। यदि इन विश्वविद्यालयों में श्रम सम्बन्धी कोई विशेष कोर्स का डिप्लोमा हो या ट्रेनिंग दी जाती हो और मान्यता प्रदान की जाने की प्रार्थना सरकार से की जाय तो सरकार इस प्रश्न पर विचार कर सकती है।

*२४—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**—क्या सरकार इसी प्रान्त के विश्वविद्यालयों के प्रमाणित रिसर्च स्कालरों को जिन्होंने कि श्रम समस्या का विशेष अध्ययन या उक्त विषय पर उच्च कोटि का प्रकाशन किया हो *धारा '४', खंड 'ख' और 'ग' में वर्णित योग्यताओं से अधिक मान्यता देने पर विचार करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे स्कालरों को नियम ४ में दी हुई योग्यताओं से मुक्त करने के प्रश्न पर सरकार व्यक्तिगत मामलों पर ही विचार करती है और कर सकेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा की नयी योजना के अन्तर्गत अस्थायी सब-डिप्टी-इन्स्पेक्टरों का स्थायी किया जाना

*२५—**श्री राम प्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि इस प्रदेश में सब-सिटी, इन्पेक्टरों के कुल कितने स्थायी तथा अस्थायी स्थान और प्रारम्भिक शिक्षा की नयी योजना के अन्तर्गत कितने स्थायी अथवा अस्थयी स्थान रखे जायेंगे।

डाक्डर सीताराम--३६८ स्थायी तथा ८ अस्थायी स्थान हैं। नई योजना के अन्तर्गत २०४ स्थायी स्थान रखे जायेंगे।

*२६--श्री राम प्रसाद नौटियाल--क्या यह सच है कि कुछ सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर जो ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, दो दो, तीन तीन वर्ष से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें स्थायी करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

डाक्टर सीताराम--कुछ सब डिप्टी इन्स्पेटर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। योजना चालू होने पर विचार किया जायगा कि उनकी आवश्यकता है या नहीं।

प्रारम्भिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सुपरिंटेंडेंटों तथा सहायक सुपरिंटेंडेंटों का छंटाव

*२७--श्री रामप्रसाद नौटियाल --क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा की नयी योजना के अनुसार जिलों में शिक्षा के सुपरिंटेंडेंट तथा सहायक सुपरिंटेंडेंटों का छंटाव हो गया? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री छांटे हुये व्यक्तियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, निकट भविष्य में छंटाव किया जायगा। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

देवरिया जिले के फ़ार्म मजदूर संघ की रजिस्ट्री और उसके सदस्य मजदूरों का निकाला जाना

*२८--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में खेतिहर फार्म मजदूरों की कोई रजिस्टर्ड यूनियन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला देवरिया में खेतिहर फार्म मजदूरों की संस्था फार्म मजदूर संघ सिउराही के नाम से रजिस्टर्ड थी।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वह यूनियन किन मांगों के साथ मंजूर हुई थी और कब?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक हमको मालूम है, सन् १९४७ में रजिस्ट्री उसकी हुई थी। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की फीस होती है उसको उसने नहीं दिया, इस वजह से रजिस्ट्रार ने उसका नाम काट दिया।

*२९--श्री रामसुभग वर्मा--ऐसे फार्मों से कितने खेतिहर मजदूर निकाले गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी ठीक ठीक सूचना सरकार के पास नहीं है परन्तु अक्टूबर, १९५१ में ३७ व्यक्तियों का पृथक किया जाना प्रायः निश्चित है।

श्री रामसुभग वर्मा--वे मजदूर किन किन कारणों से निकाले गये और निकाले गये मजदूरों का वेतन कितने दिनों का बाकी है?

अध्यक्ष--इस तरह लिख कर प्रश्न करने से समझ में नहीं आता है। आप स्वयं खड़े होकर जो प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय श्रम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये मजदूर क्यों निकाले गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा मैंने कहा कि वह रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, इससे कुछ निश्चित तो मैं नहीं बतला सकता। जहां तक मुझे मालूम है बभनौली नाम का जो फार्म है वहां से ३७ आदमी निकाले गये और निकाले जाने का मुख्य कारण यह है कि उस फार्म में से तीन सौ एकड़ जमीन कोर्ट आफ वार्ड्स ने ले ली है। इससे फार्म छोटा हो गया है और फार्म छोटा हो जाने की वजह से उनको उतने आदमियों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पर मेकेनाइज्ड फार्मिग हो गयी है और इस वजह से उनको आदमियों की जरूरत कम है। इस वजह से उन्होंने आदमियों को निकाला।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय श्रम मंत्री जी को यह मालूम है कि कोई ऐसी व्यवस्था इस वक्त नहीं हुई है कि जिससे मेकेनाइज्ड फार्मिग (यंत्रीकृत कृषि) में आदमियों को काम करने की गुंजाइश हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको तो कोई ऐसी व्यवस्था का पता नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—निकाले हुये मजदूरों की तनख्वाह क्या अब तक बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझको मालूम है तनख्वाह एक पैसा बाकी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उसके मालिक ने कोई कायदा न होते हुये मजदूरों को अपने घरों से बुला कर नौकरी के हिसाब से काफी ग्रैचुएटी (अनुग्रह-धन) दी है।

अध्यक्ष—अब प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हो गया है। अब जो बाकी प्रश्न रह गये हैं उनके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।

ग्रामों में नये प्राइमरी स्कूल खोलने और पुराने स्कूलों के भवन-निर्माण में सरकारी सहायता

*१५—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ग्रामों में नये प्राइमरी स्कूल खोलने अथवा पुराने स्कूलों की नई इमारत बनवाने में सरकार स्वयं क्या सहायता प्रदान करती है ?

डाक्टर सीताराम—नये प्राइमरी स्कूलों के खोलने का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करता है। पुराने स्कूलों की नई इमारत बनवाने में सरकार परिस्थिति पर विचार कर सहायता निर्धारित करती है।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि प्राइमरी स्कूलों के लिये जो रुपया दे दिया गया था और जिन लोगों ने इमारतें नहीं बनवाईं उनसे रुपया वापस लिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई इत्तिला सरकार के पास नहीं है ?

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत खराब है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां यह तो मालूम है।

नोट—तारांकित प्रश्न १५ श्री बाबू लाल मित्तल (जिला आगरा) ने पूछा।

श्री रामनाथ तिवारी (जिला देवरिया)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग़रीब इलाकों में जहां वे पैसा नहीं दे सकते हैं सरकार अपने ही खर्चे से इमारत बनवा देगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--यदि सरकार के लिये यह सम्भव होगा तो अवश्य बनवा देगी।

श्री रणंजय सिंह --क्या प्राइमरी स्कूलों के लिये जो रुपया दिया गया था और इमारतें नहीं बनीं उनसे रुपया वापस लिया जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह--यदि ऐसी सूचना सरकार को मिली तो सरकार उस पर विचार करेगी।

अतारांकित प्रश्न

धार्मिक संस्थाओं और तीर्थ स्थानों की जिला अधिकारियों द्वारा जांच

१--श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--क्या गृहमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वक्फ और धार्मिक संस्थाओं के विषय में जो जांच अयोध्या व वृन्दावन तथा अन्य तीर्थस्थानों में जिला अधिकारियों द्वारा श्रीमान् शम्भूनाथ जी, आफिसर स्पेशल डिचूटी के आदेशानुसार की जा रही है वह किस अभिप्राय से की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रदेश में मन्दिर मठों तथा इसी प्रकार की दूसरी संस्थाओं की आमदनी का बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने निश्चय किया है कि उपरोक्त समस्त संस्थाओं की जांच एक कमेटी द्वारा कराई जाय और यदि आवश्यक हो तो उसे रोकने के लिये उचित कानून भी बनाये जायं। श्री शम्भूनाथ उसी समिति की सुविधा के लिये प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं।

२--श्री अवधेश प्रताप सिंह--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १,२०० रुपये से कम आमदनी वाले धार्मिक स्थानों को इस जांच से क्यों मुक्त रक्खा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इससे कम आमदनी वाली संस्थाओं को इस जांच से उनकी कम आमदनी के कारण ही मुक्त रखा गया है। इनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि जांच के समाप्त होने में बहुत समय लग जायगा।

राजकीय पाठशालाओं का जिला बोर्डों को दिया जाना

३--श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राजकीय प्राइमरी पाठशाला डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिये गये हैं उनकी इमारतों की व्यवस्था का भार किसके ऊपर है?

श्री हरगोविन्द सिंह--आंशिक रूप से शासन तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों पर।

४--राम अधार तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं की इमारतों की व्यवस्था के लिए किन किन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है?

श्री हरगोविन्द सिंह--सभी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में साम्य स्थापन

५--श्री राम अधार तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन को राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन की सीमा पर लाने के लिए किसी उपाय पर विचार किया जा रहा है?

श्री हरगोविन्द सिंह--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा भूतपूर्व सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाओं के, जो अब बोर्ड के ही पाठशाला है, अध्यापकों के लिए एक ही वेतन क्रम स्वीकृत है।

साम्प्रदायिक पाठशालाओं को सरकारी आर्थिक सहायता

६--श्री राम अधार तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अब भी साम्प्रदायिक पाठशालाओं के लिए आर्थिक सहायता देती है?

श्री हरगोविन्द सिंह--भारत संविधान के अनुच्छेद ३० (ए) के अन्तर्गत शासन किसी शैक्षणिक संस्था को सहायता देने में भाषा तथा धर्म के आधार पर भेद-भाव नहीं करता।

एजुकेशन कोड में परिवर्तन

७--श्री राम अधार तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ एजुकेशन कोड में भी कोई परिवर्तन होगा?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

जिला शिक्षा इन्सपेक्टर के कार्य

८--राम अधार तिवारी--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा इन्स्पेक्टर के अधिकार से राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के निकलने पर अब क्या क्या काम जिला इन्स्पेक्टर के पास रह गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह--जिला इन्स्पेक्टर के कामों में तो कोई अन्तर नहीं हुआ।

१९५२-५३ के आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

अध्यक्ष--वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के लिये आय व्ययक के अनुदानों लिये ये जितने अनुदान आज और कल के लिये हैं इसके संबंध में समय का बटवारा जो होना है उसके लिये जो सुझाव हों वे कृपया माननीय सदस्य पेश कर सकते हैं।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का ग्रूप दो दिन के लिये है इसमें अनुदान संख्या ११ और १२ एक साथ ले लिये जायं और सवा चार बजे तक डिस्कशन हो और इसके बाद ४५ मिनट में अनुदान संख्या ३६ ले लिया जाय और कल समस्त दिन साढ़े चार बजे तक अनुदान संख्या ४२ पर वाद-विवाद हो। बाकी तीन अनुदान छोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष---अनुदान संख्या ४२ को आप लेना चाहते हैं ?

श्री केशव गुप्त---कल के लिये सिर्फ अनुदान संख्या ४२ लिया जाय और उसी पर वाद विवाद हो और बाकी अनुदान ५ तथा १ और २ छोड़ दिये जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---छोड़ देने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष---यह अनुदान सदन में पेश कर दिये जायेंगे और किसी माननीय सदस्य की तरफ से कटौती के प्रस्ताव नहीं पेश किये जायेंगे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं यह समझता हूं कि अनुदान संख्या ११ और १२ आज ले लिये जायं और बाकी कल ले लिये जायं।

अध्यक्ष---और अनुदान संख्या ५ ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह भी ले लिया जाय।

अध्यक्ष---अनुदान संख्या ५ के लिये आप कितना समय देना चाहते हैं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---अनुदान संख्या ५ के लिये आध घंटा, ११ के लिये दो घंटे और १२ के लिये डेढ घंटा।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष, मेरा कहना यह है कि अनुदान संख्या ५ के लिये आध घंटा बहुत थोड़ा समय है। इसलिये इसको बढ़ा दिया जाय। मेरी प्रार्थना यह है कि अनुदान संख्या ५ के लिये डेढ घंटा रख दिया जाय और ११ और १२ दोनों को एक साथ ले लिया जाय।

श्री नरेंद्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष---दोनों को इक्ठा लेने में श्री जगन्नाथ मल्ल जी को कोई एतराज तो नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---दिक्कत होती है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मेरे मित्र यह समझें कि अनुदान ११ और १२ को अलग अलग लिया जाय तो ले लिया जाय। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुविधा इसमें होगी कि दोनों को एक साथ लिया जाय क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुये हैं। यह तो नियंत्रण आप पर होता है। यदि दोनों एक साथ ले लिये जायंगे तो आपको बोलने के लिये अधिक समय मिलेगा और समालोचना करने में ज्यादा सुभीता होगा। जैसे आपको सुभीता हो वही मैं चाहता हूं।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)---मैं यह चाहता हूं कि एक घंटे का समय ढ़ा य।

अध्यक्ष---यह दूसरा सवाल है।

एक बजे तक अनुदान संख्या ५ और जो तीन घंटे बचते हैं उसमें अनुदान संख्या ११ और १२ दोनों को एक साथ ले लेंगे और अधिवेशन ५ बजे तक रहेगा।

वर्ष १९५२-५३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५---लेखा शीर्षक १०---वन के अन्तर्गत १,२१,२४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग के ब्योरे के संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं । १ घंटे के अन्दर वादविवाद समाप्त होना है। इसलिये मैं सिर्फ थोड़ी सी ही बातें भवन के सम्मुख रखूंगा।

हमारे प्रदेश में सन् १९४६—४७ तक कुछ वनों का क्षेत्रफल ६,२०० वर्ग मील था। इसके बाद स्टेट्स के विलीनीकरण के फलस्वरूप और कारणों से यह क्षेत्रफल पहली अप्रैल को इस साल ९,५०० वर्गमील था। अब इस जमीदारी के उन्मूलन के फलस्वरूप करीब १,५०० मील और बढ जायगी। इस तरह हमारे कुल बनों का क्षेत्रफल अब इस विलीनीकरण के बाद करीब करीब ११,००० मील होगा और सन् १९४६—४७ में जो हमारा क्षेत्रफल था उसके दूने के बराबर हो जायगा वैसे तो यह कहा जाता है कि जहां कृषि प्रधान देश है वहां वनों का क्षेत्रफल कुल रकबें का १/३ और १/४ के के होना चाहिये लेकिन हमारे यहां कुल रकबे का १० प्रतिशत होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां वनों को रक्षा की जाय। इस बात से भी सभी को संतोष होगा कि इधर कुछ वर्षों से वनों को रक्षा और वृक्षों को उत्पत्ति को तरफ जनता का ध्यान गया है। पेड़ों की पैदावार बढ़ाने को जो कोशिशें हो रही हैं वे कामयाब होती दिखाई दे रही हैं।

कई बातों के लिये वनों की आवश्यकता होती है। इसीलिये नहीं कि जरूरतें पूरी हों, इसलिये नहीं कि लकड़ी और ईंधन मिले, मकानों के लिये लकड़ी मिले, बल्कि और बहुत से काम चलते हैं जैसे कि कागज का बनाना है, तारपीन का तेल बनाना है या और तरह के के खेल कूद के सामान बनाये जाते हैं। रेल के स्लीपर बनाये जाते हैं, इन सब चीजों का बनाना बनों के उत्पादन पर निर्भर करता है। इन वनों की रक्षा करना सबके लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जो सबसे अच्छी खाद हो सकती है वह ईधन के काम में आ रही है उसका ठीक इस्तेमाल हो सके इसके लिये भी पेड़ों की उत्पत्ति आवश्यक है। इन सब बातों के लिये हमारे यहां वन महोत्सव का एक समारोह किया जाता है कि सारे भारत में बरता जाता है और जिसका प्रभाव ऐसा पड़ रहा है कि हमारी और जो प्राकृतिक दौलत है उसकी रक्षा हो, इसलिये नहीं कि ये सब चीजें और सामान मिलें बल्कि इसलिये भी आबपाशी के लिये पानी, वर्षा, गंगा के तट पर इन सब पर बनों का प्रभाव पड़ता है। अतएव यह एक बहुत ही आवश्यक बात है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। हमारी नीति इस संबंध में यह रही है कि बनों की रक्षा करते हुये, उसकी उपज का सदुपयोग करते हुये यथासंभव जैसे भी हो सके खेती को बढ़ाने में भी पूरा ध्यान दिया जाय और जो भूमि ऐसी रह गई हो कि वनों से किसी तरह से बच कर खेती के काम में अच्छी तरह से लाई जा सके उसका उस तरह से उपयोग किया जाय। इसके लिये करीब २,५०० एकड़ जमीन सहारनपुर में जंगलों में एक साथ छोड़ी गई ताकि उसमें कुछ लोग जिनकी जमीन, बाढ़ वगैरा से खराब हो गई है खेती कर सकें। इसी तरीके से १२ वर्ग मील जमीन तराई भाबर में छोड़ी जा रही है ताकि वहां खेती की जा सके और कुमायूं के पहाड़ी हिस्सों में भी कई सौ एकड़ जमीन इसके लिये छोड़ दी गई है विशेषकर हरिजनों के लिये ताकि वे वहां जमीन पर खेती कर सकें। उसमें कुछ जमीन उन्होंने ली है और कुछ अभी बाकी है। मैंने चीफ़ कंजरवेटर को कह किया है कि जहां भी जनता की मांग हो और जमीन जंगल से बच सके और वह खेती के काम में आ सके तो उसका ध्यान रखे ताकि जो जनता की आवश्यकता है खेती के संबंध में उसमें किसी तरह की ढील न होने दें। इस तरह से जंगलों का विकास और डेवलपमेंट की भी जरूरत है।

आप जानते होंगे कि पहले हमारे खेलों का सामान पंजाब में बनता था। मगर अब यह काम हमारे प्रदेश में काफी मात्रा में होने लगा है। इसके लिये जैसी लकड़ी की आवश्यकता है मलबरी आदि उनको यहां पर बढ़ाने के लिये उद्योग किया जा रहा है और दूसरी तरह की लकड़ी जिसको और कामों में व्यापार आदि के लिये, रा मैटीरियल (कच्चा माल) के लिये, इंडस्ट्रीज के लिये काम में आ सकती है जैसे तून, टीक वगैरा उनका

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

प्लानटेशन बढ़ाने का उद्योग हो रहा है। मैंने यह हिदायत दी है कि हमारे जंगलों को बढ़ाने में इस बात का खास ध्यान रखा जाय कि जो पेड़ लगाये जायं उनमें लकड़ी टिम्बर हो सकती है और फल भी हो सकता है ऐसे पेड़ों को खासतौर पर बढाया जाय। मुझे आशा है कि इस तरीके पर आम के बड़े-बड़े जंगल तैयार हो जायंगे हमारे यहां जो कि देशी आम होता है जिसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है अब हमारे जंगलों के अन्तर्गत बनाये जायेंगे और इसी तरीके से और भी जैसे महुआ और और चीजें हैं जिनमें फल भी मिल सकता है और जिनकी लकड़ी टिम्बर काम में आ सकती है उनका भी हम विस्तृत रूप से जंगल बनाना चाहते हैं। जिससे दोनों काम हो सकें। जिससे लोगों को फल भी मिल सके और लकड़ी का काम भी पूरी तरह से चल सके।

इसके साथ-साथ हम और भी उपाय जो लोगों की सम्पत्ति को बढ़ाने के और बेकारी को दूर करने के हो सकते है उनको करना चाहते हैं। जैसे लाख के पेड़ हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं। मिर्जापुर में कई लाख रुपया हमको उन पेड़ों की रायल्टी (स्वामित्व) से मिलती था। हमने वहां की हालत को देखते हुये इस साल उसको बिलकुल छोड़ दिया है जिससे वहां के गरीब लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। इस ढंग से हम जंगलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। इसी निमित्त हमने एक प्राइवेट फारेस्ट भी बनाया था जिससे जंगल खराब न हो सकें। एक लैंड मैनेजमेंट सरकिल भी खोला गया था। चार और डिवीजन जो कि नये जंगल आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने के लिये खोले जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो जंगल और पेड़ों की आवश्यकता है उसका ध्यान सब रखेंगें परन्तु इस बात का ध्यान रखते हुये और जंगलों की रक्षा करते हुये जनता के सुभीता को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो जंगल के अधिकारी हैं उनको इस बात को देखना है कि जंगल का शासन प्रबन्ध इस तरह का हो जिससे जनता को कष्ट न पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो उनके हकूक हैं उनको व्यवहार करने और और फायदा उठाने में यदि कहीं आवश्यकता हो और उसके लिये गुंजाइश हो तो उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जो नीति हमारे जंगल के संबंध में है उसके साथ सब काम होना चाहिये। जनता का पूरा सहयोग जंगलों की रक्षा, सुधार और उन्नति में मिलता रहे क्योंकि बिना पारस्परिक विश्वास और सहयोग के जंगलो से पूरा लाभ नहीं हो सकता।

यद्यपि हमारे यहां जंगलों का पहले से बड़ा महत्व रहा है, वह ऋषि मुनियों के स्थान रहे हैं, वहां पर किसी जमाने में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं और वहां आखेट का भी स्थान और इस तरह की सब बातें रही हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि जंगलों के द्वारा जो लाभ होता रहा है, वह भी होता रहे और साथ ही जनता की सेवा भी होती रहे और जनता का पूरा सहयोग हमें इन जंगलों के प्रबन्ध में मिलता रहे। इस साल के बजट के अनुसार जो जंगलों से बचत होगी वह सन् ४९–५० के मुकाबले में करीब १ करोड़ ज्यादा होगी। वह बचत सन् ४९–५० में १ करोड़ ४२ लाख थी और इस साल २ करोड़ २१ लाख के करीब बचत होगी। मैं आशा करता हूं कि इस प्रदेश के जंगलों और बनों का जो कुछ भी प्रबन्ध रहा है उससे किसी को असंतोष न होगा और सदन के सभी सदस्यों का इसमें सहयोग मिलेगा। इसमें कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के हित के लिये इस नैसर्गिक और प्राकृतिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखते हुये हमारा सबका यह कर्त्तव्य जनता के हितों को बढ़ाना और उसके जीवन को सुखी करने में उद्योग करना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में जंगलों की रक्षा को राजनीतिक प्रश्न न बताते हुये जो भवन का ध्यान

आकृष्ट किया उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जंगलों की रक्षा के प्रश्न के साथ साथ जो जंगलों का क्षेत्रफल है उसको देखते हुये पिछले सालों में बन विभाग ने अपना पुराना ब्रिटिश समकालीन रवैया अधिक नहीं बदला है। यह हो सकता है कि मननीय मुख्य मंत्री जी के व्यक्तित्व से और जब कि आजादी का आन्दोलन लड़ा जा रहा था उस समय की उनकी राय का कोई असर आज भी पड़ा हो लेकिन जहांतक अफसरों की मनोवृत्ति और सरकारी योजना का सवाल है हमारा यह विभाग उन सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहा है। हमारे सामने सरकार की १५ साल की योजना है जो हमारे प्रदेश में बनों के बारे में बनाई है। मैं उसमें सबसे पहले नक़शे को देखता हूं कि सरकार को यह मालूम ही नहीं है कि २२ जिलों में कितने जंगल हैं। अलग-अलग जिलों का नकशा बना है कि कहां कितनी आबादी या जंगल ह लेकिन २२ जिलों के जंगल के बारे में उसमें लिखा है कि 'नो डेटा' तो जब तक यह पता नहीं चलता कि कितने जंगल इन जिलों में हैं और जब तक कोई डैटा नहीं है तो किस तरह से हम कोई योजना सुचारु रूप से बना कर चल सकते हैं। इन जिलों के नाम यह हैं : देहरादून, अलमोड़ा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, हरदोई, सीतापुर, फतेहपुर, रायबरेली, बाराबंकी, रामपुर, फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर बनारस, जौनपुर और इलाहाबाद। टेहरी के जंगलों का क्षेत्रफल बाद को बतला दिया गया। मैं यह नहीं कह सकता कि बात कहां तक सच है लेकिन जहां तक इस नक़शे का सवाल है इसमें लिखा हुआ है कि इन जिलों में "नो डैटा इज अवेलेबिल" मेरा निवेदन यह है कि वन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दें ताकि लैंड मैनेजमेंट सरकिल का काम ठीक तरह से चल सके। भूमि प्रबन्धक विभाग पर करीब १२ लाख रुपया सा लाना खर्च होता है लेकिन जो काम उसके द्वारा हुआ है उसका हम एनेलेसिस करें तो आइचर्य होगा।सन् ५० में सड़कों के किनारे नये पेड़ ९८ मील लगाये गये उसके पिछले साल जो पेड़ असफल रहे उसमें १०४ मील पेड़ लगाये गये। रेलवे क्षेत्र में जो पिछले साल पेड़ लगाये गये थे वे इतने असफल रहे कि नये पेड़ ९८ मील लगाएगए लेकिन पुराने पेड़ जो वे नहीं जम पाये हैं १४० मील। इस साल भी नये पेड़ों के अलावा जहां पुराने असफल रहे, यानी ८८ मील, वहां भी लगाये गये। इसका मतलब यह है कि पिछले साल जो ९८ मील लगाये गये उनमें से ८८ मील असफल रहे और केवल १० मील कामयाब रहे उन्होंने खुद रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि इन सब क्षेत्रों में पेड़ अच्छी तरह से उगे किन्तु गंगा-खादर में अंशत: मानसून न आने और अत्यधिक परिमाण में घास के छोटे-छोटे पौधे उगने से और नैनीताल तराई में ऐसी ही बातों के कारण पौधों का विकास रुक गया। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा इस डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली को टाइट करें और उन्हें आदेश दें कि काम की योजना ठीक चलनी चाहिये ताकि जिस उद्देश्य से योजना बनायी गयी है वह पूरा हो।

जहां तक कुमायूं डिवीजन का सवाल है, वहां कामर्शल क्राप्स चार जिलों में पाई जाती हैं। वहां पिछले २ साल से यह चला रहा है कि नं० १ क्लास वन फारेस्ट रेवेन्यू विभाग से लेकर फारेस्ट विभाग को दिये जावें। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि सन् २१ में उन्हीं के नेतृत्व में एक आन्दोलन हुआ और फारेस्ट ग्रीवाक्षेत्र कमेटी की रिपोर्ट बनी जिसके अनुसार नं० १ क्लास वन रेवेन्यू विभागो के पास फारेस्ट विभाग से आये थे। अगर वे समझते हैं कि फिर फारेस्ट विभाग में आजावें तो खैर, उनका निश्चय है मगर मेरा इसमें यह सुझाव है कि यदि वे फारेस्ट पंचायतों के अधीन, उनका कुछ स्टाफ बढ़ाकर, कर दिये जावें तो अधिक अच्छा रहेगा। इससे गांववालों के अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं और जंगलों की रक्षा भी अच्छी हो सकती है। इस संबंध में शैड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १९०१ के भंग हो जाने के बाद जो कुमायूं फारेस्ट पंचायत लाज हैं उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। पिछले दो साल से कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने एक बिल बना रखा है जो तभी से पेंडिंग है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुमायूं फ़ारेस्ट पंचायत का काम ठीक से चलाने के लिये, वहां के जंगलों की रक्षा के लिये और काश्तकारों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिये यह आवश्यक है

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कि कुमायूं पंचायत फारेस्ट बिल को मंजूर कराया जाय। कुमायूं में इस समय १-०७८ पंचायत चल रही हैं जिनके अधीन करीब १ लाख ७४ हजार एकड़ जंगल हैं। लेकिन चारों जिलों में कुल एक डिवीजन फ़ारेस्ट पंचायत आफ़ीसर है। आप सोच सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है कि एक ही अफ़सर सब पहाड़ों में जाय। अगर गढ़वाल में और अल्मोड़ा में पंचायत फारेस्ट आफ़ीसर हो जावें और उनका स्टाफ़ अमीन आदि बढा दिये जायं, तो जहां फ़ारेस्ट पंचायतें नहीं बन पाई हैं वहां भी बन जावेंगी। जंगलों की रक्षा भी होगी।

इसके साथ ही साथ तराई भावर में वहां के जंगलों में जनता की हाथियों से रक्षा करने के लिये खड्डे खोदे जाते थे, लेकिन इस समय उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां जंगली हाथी बहुत नुक़सान कर रहे हैं। उनसे बचाव के लिये यह आवश्यक है कि वहां खड्डा आपरेशन्स फिर जारी किये जायं।

प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट जिसके द्वारा तमाम निजी जंगलों की रक्षा की बात कही गयी है उसमें जो नियम हैं उन नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। कोर्ट आफ वार्डस के सिलसिले में यह चीज़ शिकायतें के रूप में सरकार के सामने आ चुकी है। इसलिये उसमें ऐसे क्लास जोड़ दिये जायं जिनसे वास्तव में जंगलों की रक्षा हो सके।

कुमायूं फारेस्ट कमेटी जिसमें वहां के प्रतिनिधि तथा आफीसर्स हैं उनके द्वारा वह संचालित होती है। मेरा विचार है कि उसमें कुमायूं के ठेकेदारों के एशोसियेशनों का भी एक प्रतिनिधि रखा जाय तो अच्छा होगा। ठेकेदारों में अधिकतर ठेकेदार ऐसे हैं जो ईमानदार हैं जो अपनी आमदनी करते हुए जंगलों की रक्षा का भी ख्याल रखते हैं क्योंकि अगर चीड़, साल आदि के वृक्ष वहां न होंगे तो उनकी ठेकेदारी कैसे चलेगी। जो थोड़े से ठेकेदार ईमानदार साबित न हों सरकार को साफ ऐलान करना चाहिये कि ऐसे लोगों को भविष्य में ठेका न मिलेगा। जहां तक डीफारेटेशन का ताल्लुक है बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां अंग्रेजों ने सन् ११ में कब्जा कर लिया था। उन्होंने जबरदस्ती गांवों पर कब्जा करके जंगल को बढ़ा लिया था लेकिन वहां अभी तक एक पेड़ भी नहीं लगाया गया या उगा है। ऐसी ज़मीन फिर से भूमिहीन काश्तकारों को दी जानी चाहिये।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को भली प्रकार समझता है कि कृषि की वृद्धि के लिये और उसकी उन्नति के लिये तथा अपने देश को औद्योगिक बनाने के लिये जंगलों को और सबसे अधिक आवश्यकता खाद की है। जब कि हमारे देश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की प्रगति हो रही है और हमारे आदरणीय सदस्यों की निगाह भी इस ओर लगी हुई है लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने वन को ऊपर किसी वाद विवाद में किसी तरह की भी कोई रोचकता नहीं दिखाई। वन को जहां कंसरवेशन आफ रेंस के लिये उपयोगी समझा जाता है वहां अब डिफेन्स के लिये भी इनकी अत्यन्त आवश्यकता समझी गई है। पिछली लड़ाई में इस बात का अनुभव किया गया है कि वही मुल्क अपने को दूसरे मुल्कों के हमलों से बचा सकता है जहां जंगल होंगे। आज रेल के स्लीपर्स आदि वहीं पैदा होंते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपने देश की रक्षा करने में सफल हो सकेंगे। कृषि के बारे में जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहिले हमारे यहां फल फूल काश्मीर, काबुल और कंधार से आते थे। काबुल कंधार का इलाका पाकिस्तान में चले जाने के कारण हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं और जंगल विभाग को इस बात के आदेश दे दिये गये हैं कि जहां जहां जंगलों में ऐसी पैदावार हो सकती है, करने की कोशिश की जाय। जहां तक मुझे पता चला है ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी जंगलात विभाग से मिल कर इस बात की कोशिश

कर रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जहां कि अखरोट, बादाम, किशमिश तथा अन्य प्रकार के फल के पेड़ लगाये जा सकते हैं, लगाये जायं। । मलबरी, शहतूत वग़ैरह के बारे में आपने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के मुखारबिन्द से सुना। गत वर्ष की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये हुये हैं उनसे आपको भलीभांति मालूम होगा कि इस ओर कहां तक क़दम बढ़ाया गया है। मेरे लायक़ दोस्त तिवारी जी ने उस तरफ से कहा कि सब पेड़ मर गये। मैंने आपको बतलाया कि वहां पानी की व्यवस्था की इतनी कमी है कि लोगों को पानी पीने के लिये डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन मील से लाना पड़ता है और पूर्वी क्षेत्र की हालत तो आपको मालूम ही है। ऐसी आवस्था में आप समझ सकते हैं कि उन पेड़ों में पानी न पड़ने पर उनका मरना स्वाभाविक ही था। मगर आपको यह भी देखना चाहिये कि कितने परसेंट मर गये और कितने परसेंट जीते बचे।

एक बात मैं आपको और बतला देना चाहता हूं कि पहले हमारे महर्षि लोग इन जंगलों के कंद, मूल, फल, पर ही निर्भर रहा करते थे और वे उनके महत्त्व को समझते थे। किसी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिये कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। भारतवासी उसको अपनी एक निधि समझते थे। तत्पश्चात् गुलामी के साथ ही हमारी मनोवृत्ति बदली और हमारे जंगलात कटने शुरू हुए। अंग्रेज जो १५० वर्ष तक यहां थे उन्होंने १८९४ में इस वन विभाग को कायम किया और अपनी नीति निर्धारित की। तत्पश्चात् उनको लड़ाई के जमाने में आवश्यकता पड़ी और उन्होंने जंगलों को बुरी तरह से काटा। उनको अपनी साम्राज्यशाही का अड्डा जमाना था इसलिये उनका ऐसा करना उचित ही था। मगर जमींदारी उन्मूलन के बाद हमारे जमींदार भाइयों ने बेदर्दी और बेरहमी के साथ उन जंगलों को काटा, जंगलों की आमदनी नहीं बढ़ी है। इस वक्त राष्ट्र को, स्टेट गवर्नमेंट को काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, प्लानिंग बनानी पड़ रही है, लोगों के राइट्स निर्धारित करने पड़ रहे हैं। नये लैंड मैनेजमेंट सर्किल बनाने पड़ रहे हैं, इसमें काफी खर्च करना पड़ रहा है और कहीं ५०, ६० साल के बाद पेड़ कुछ काम करने के काबिल होते हैं। मैं समझता हूं कि यह महकमा रेवेन्यू देने वाला महकमा है लेकिन इस वक्त इससे कुछ आमदनी नहीं होती है। मैं आपका अधिक समय न लेकर केवल दो चार बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। माननीय नारायण दत्त जी का यह कहना है कि उनको कम्यूनल फारेस्ट पंचायत में लाया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैंने कहा था कि न लाया जाय।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को पहले कह दिया था और मैं फिर उसे दोहराता हूं कि जैसा आपने कहा कि पंचायतों में असिस्टेंट नहीं हैं, मैं आपको बतलाता हूं कि आप इससे अनभिज्ञ हैं कि एक एक जिले में तीन-तीन असिस्टेंट हैं। नैनीताल में एक, गढ़वाल में तीन और अल्मोड़ा में तीन है। उनको टेक्निकल ऐडवाइस देने के लिये हमारे आफिसर भी वहां जाते हैं। और उनको दर्जा एक के जंगल में रहना पड़ता है। मगर कहीं-कहीं दर्जा दो के जंगलों से कमर्शियल प्वायंट आफ वियू से सरकार को लाभ भी है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट हो, उसके अधिकारों और हकूकों का हनन हो।

एक बात मैं और बतला देना चाहता हूं कि आज कल लकड़ी बहुत जल्द सड़ जाती है। उसके लिये भी एक फैक्टरी खोलने के लिये सरकार का इरादा है। एक अफसर काम सीखने के लिये बाहर, कनाडा भेजे गये हैं ताकि ऐसी फैक्टरी बनायी जा सके जिससे लकड़ी जल्दी खराब न हो। ऐसे बहुत से काम सरकार की ओर से हो रहे हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि इन जंगलों की बिना पर आपको शुद्ध दूध और घी भी प्राप्त हो सकेगा। आज कुछ सदस्यों को इस बात की आवश्यकता

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

पड़ी कि कोकोजाम में लाल या पीला रंग डाल जाय जिससे वह पहचाना जा सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की रहनुमाई में हमारे जंगल फलेंगे फूलेंगे और हमारा सारा प्रदेश हरा भरा हो जायगा।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक बनों का महत्त्व तथा लाभ का सवाल है उसके विषय में हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया है। बन राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उसका राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा भाग है। इस विषय में अभी जो मैंने सुना उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है। जहां तक बन सम्बन्धी सरकार की नीति है और कृषि संबंधी जो नीति है उससे मुझे संतोष है। जो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना उससे अधिक अच्छी बात किसी नीति में हो ही क्या सकती है? लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नीति तो सरकार की अच्छी है लेकिन मैं अपने जिले में देख रहा हूं कि वह नीति कार्यान्वित नहीं हो रही है।

जहां तक कृषि की समस्या है यह जाहिर है कि वहां अभी तक फारेस्ट पिलर्स गांवों के पास मकानों के पीछे लगे हुए हैं। राज्य को विलीन हुए तीन साल हो गये हैं और तब से जनता की मांग है कि डिमार्केशन (सीमा विभाजन) हो जाय, मुनारे हटाये जायं, जिससे वहां के लोगों को जमीन मिल सके। आज कल जमीन मिलने में जो ज्यादा कठिनाई हो रही है उसका कारण यह है कि कुमायूं नयावाद ऐक्ट के नियमों के अधीन जंगलात अधिकारियों के ऐतराजात की वजह से जमीन नहीं मिलती है। स्वाभाविक भी है कि जब तक पिलर्स लगे हुए हैं तब तक खेती के लिए जमीन मिलना कानून के मुताबिक असम्भव है। स्टेट के समय में जंगलात के बीच में भी जमीन मिलती थी, हालांकि नजराना देना पड़ता था। सरकार ने मेहरवानी की है और नजराना तोड़ दिया। लेकिन केवल नजराना तोड़ने से क्या फायदा होता है अगर लोगों को जमीन मिल नहीं सकती। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दें। वहां फारेस्ट सेटेलमेंट होने की व्यवस्था हो रही है लेकिन सुना जा रहा है कि वहां केवल रिकर्डस तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ डिमार्केशन भी किया जाय जिससे हरिजन जो लैंडलेस (भूमिहीन) हैं उनको जमीन दी जा सके। इसके साथ ही साथ जंगलात के बीच बहुत से ऐसे खाली प्लाट्स पड़े हुए हैं जिन पर बन नहीं है। जहां पर बन विभाग जंगल भी नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें उनको करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा और उनकी देखरेख भी फारेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा। ऐसे स्थान बहुत सारे हैं। इतना समय नहीं है कि मैं उनके नाम ले सकूं। तो मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि ऐसे स्थानों को उन हरिजनों को जिनके पास जमीन नहीं है दे दिया जाय। जिससे वे वहां पर काश्त कर सकें। सरकार की तरफ से ऐसा आदेश है कि जंगलों, में उनको लीज (पट्टे) पर जमीन दे दी जाय। लेकिन वह तो जंगलात विभाग की मेहरवानी पर है। सीक्योरिटी आफ टेन्योर (भौमिक अधिकार की सुरक्षा) तो तभी हो सकती है जब कि उनको कानून के अधीन जमीन दी जाय।

कुछ और जमीनें भी हैं जो जंगलात की तरफ से टेम्पोरेरी तौर पर आलू तथा बगीचे के लिये दी जाती हैं। पक्के तौर पर नहीं दी जा सकती। उसमें अब जंगलात विभाग कुछ रुकावट कर रहा है और जिनके पास है उससे छीनी जा रही है। ऐसी जमीनें थीं जिनमें आलू, चक वगैरह थे। तो ऐसे आदेश जंगलात विभाग को हो जाने चाहिये कि टेम्पोरेरी लीज पर लोगों को जमीन आलू, चक तथा बगीचों के लिए दी जाय। इससे बहुत सारे लोगों की खुशहाली हो सकती है।

इसी के साथ-साथ एक बात और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां पर स्वयं जंगल थे। उस समय जब कि आन्दोलन के समय में पेड़ काटने शुरू हुए थे, तो उस आन्दोलन को रोकने के लिये उसे टेम्पोरेरी समय के लिये जंगलात विभाग के सिपुर्द किया गया था। ये जंगल ऐसे हैं जिनकी आमदनी पंचायतों को मिलनी चाहिये थी। वे अभी तक जंगलात विभाग के हाथ में हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ये जंगल शीघ्र पंचायतों को दे दिये जायं। इससे पंचायतों को बड़ा नुकसान हो रहा है और लोगों को असुविधा भी हो रही है, क्योंकि जो लकड़ी वे स्कूल के वास्ते या अपने मकान के वास्ते लेते थे उसके लिये अब उनको डी० एफ० ओ० की शरण लेनी पड़ती है। तीसरी बात यह है कि फारेस्ट कर्मचारी जो हैं वे पंचायत के जंगल की देखभाल में लापरवाही करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ये जंगल कभी न कभी फिर पंचायत को लौट जायंगे। इसलिये ये जो पंचायत के जंगल हैं ये तुरन्त पंचायत को वापस कर दिये जायं।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि जंगलात के डी० एफ० ओ० के हेडक्वार्टर्स बदलने वाले हैं। बजाय पुरोला के अब हेडक्वार्टर मसूरी में होने वाला है और इसी प्रकार दूसरा हेडक्वार्टर ठडियार से चकरौंता बदलने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। ये जंगलात के हेडक्वार्टर्स हैं, ये जनता के हित के लिये और जंगल के हित के लिये हैं, इन्हें बदलना उचित नहीं है। ये उसी जिले में रहने चाहियें जिस जिले में हैं। जिले से बाहर अथवा सर्किल के बाहर हेडक्वार्टर्स नहीं होना चाहिये। इनके हटाने से जो जंगल की तरक्की हो सकती है वह नहीं होगी और जनता को असुविधा होगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खाली खेती से वहां का काम नहीं चल सकता है। वहां जब तक फारेस्ट इंडस्ट्रीज नहीं डेवेलप की जांयगी तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि टरपेंटाइन इंडस्ट्री का कारखाना टिहरी में खोला जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस समय वन के सम्बन्ध में इस सदन में प्रस्तुत है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह विभाग हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने ले लिया है, इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी दिन प्रति दिन वृद्धि होती ही जायगी। इस विभाग के सम्बन्ध में दो बातें मुझे सुझाव के तौर पर प्रस्तुत करनी हैं।

पहली बात यह है कि कश्मीर में जो अफारेस्टेशन (वनारोपण) हो रहा है उसके आधार पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि पिछले दस साल से मेरा सम्बन्ध कश्मीर के वन विभाग से रहा है और जो बातें मैंने वहां देखीं मैं चाहूंगा कि हमारा प्रान्त भी उन बातों को अपने काम में लावे ताकि हम भी अपने वन विभाग की उत्तरोत्तर तरक्की कर सकें और हमारे प्रान्त को वन से जो दो करोड़ २४ लाख की आमदनी है उसमें और वृद्धि हो सके। सबसे पहली मेरी यह इच्छा है कि जो अफारेस्टेशन हमारे प्रान्त में हो सके, उसके लिये यथाशक्ति हमें प्रयत्न करना चाहिये।

उसके लिये मैं यह बतलाऊंगा कि दो किस्म के फारेस्ट होते हैं, एक तो ब्राड लीफ फारेट्स (चौड़ी पत्ती वाले बन) होते हैं और दूसरे कानिफेरस फारेस्ट्स (सदाबहार वन) होते हैं। ब्राड लीफ फारेस्ट्स लोअर लेबिल पर उगाये जाते हैं जिनमें बांस, साल और खैर वग़ैरह के दरख्त आते हैं। एक दो हजार अबब सी लेबिल (समुद्री सतह से ऊपर) पर ये दरख्त उगाये जाते हैं। इससे और ऊंचाई पर हम जायं तो और कई किस्म के ब्राड लीफ के दरख्त पैदा होते हैं, जैसे दालचीनी

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

चीनी, वौल, नट, च्यूस्टनट वग़ैरह हैं। इससे और ऊंचाई पर कानिफेरस ट्रीज़ पैदा होते हैं। चार हजार की हाइट (ऊंचाई) पर चीड़ के दरख्त उगाये जाते हैं। चीड़ हमारे प्रान्त में काफी तादाद में उगाया जाता है। इससे और हाई अल्टिटचूड (अधिक ऊंचाई) पर छः हजार फीट तक कैल और देवदार के पेड़ उगते हैं। हमारे प्रान्त में इन चीजों की उन्नति इतनी नहीं हो सकी है जितनी कि कश्मीर में हो रही है। कश्मीर में देवदार के बड़े घने जंगल हैं।.साथ ही इस आल्टीटचूड पर कैल के भी दरख्त होते हैं। हमारे प्रान्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान गंगोलीहाट, लोहाघाट और पिथौरागढ़ आदि जगहों की ओर आकृष्टत करना चाहता हूं जहां देवदार वर्तमान में भी मौजूद हैं मगर वह नाकाफी है। यदि उसमें उन्नति की जाय तो ये जंगल और भी बढ़ाये जा सकते हैं। इसके अलावा फरस्ट्रस की ओर भी ध्यान देना है। इसके पैकिंग कैसेज़ बनते हैं, टेम्पोरेरी हटमेंट्स (अस्थायी कुटीर) बनते हैं या पेपर पल्प (कागज की लुग्दी) बनाया जाता है। यह लकड़ी हमारे प्रान्त में बहुत कम है।

तो मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री इस ओर अपना ध्यान देंगे ताकि इन चीजों से जो बाई पोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं और जो पहाड़ी इाकों में बनाये जा सकते हैं उनकी तरक्की हो। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगाल कि स्पोर्ट्स का सामान, फर्नीचर और प्लाई वेुड फैक्टरीज़, ये चीजें तभी बन सकती हैं जब जंगलों को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाय। अखरोट की लकड़ी से कश्मीर में बहुत ही अच्छा फ़र्नीचर बनाया जाता है। इसके अलावा एक चीज बर होती है जो सौ डेढ़ सौ रुपये मन के हिसाब से इटली को एक्सपोर्ट (निर्यात) होती है। अगर इन चीजों में उन्नति की जाय तो बहुत काफी हमारे प्रदेश को और विदेशों से फायदा हो सकता है। एफारेस्टेशन कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ी सी नर्सरीज़ आदि बनायी जायं और उनको भेड़ और दूसरे जानवरों से बचाया जाय इन्क्लोजर (घेरा) वग़ैरह देकर तो कुछ ही अर्से में हम काफी नर्सरीज़ बना लेंगे और जंगलों का विकास कर लेंगे? बाद को तो जंगलों को प्रकृति खुद ही मदद करके बढ़ा देती है।

इसके बाद एफ़ारेस्टेशन में मेडिसिनल प्लाइंट्स (औषधीय पौधे) और हर्ब्स (जड़ी-बूटी) आदि का पैदा करना आवश्यक हो गया है। अब छतरमंजिल में एक लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) बन गयी है जिसके लिये हमको ऐसे प्लांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बना सकें और हमें बाहर से इम्पोर्ट (आयात) न करना पड़े। इससे हमारा बहुत काफी रुपया बचेगा। कश्मीर जो कि एक मामूली सा देश है उसने इस विषय में बहुत तरक्की की।

ऐसे ही माइनर प्रोडक्ट्स (छोटी पैदावार) के बारे में रोज़िन टरपेंटाइन का बिजनेस है। इसमें भी बहुत काफी उन्नति की जा सकती है। कश्मीर में कुठ का चीन से व्यापार बहुत काफी होता है। हमारे प्रान्त में भी इसमें हम बहुत काफी तरक्की कर सकते हैं। ऐसे ही कत्थे का व्यापार हम लोग बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं की शूटिंग और फिशिंग आदि की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे प्रान्त में शिकारगाह बहुत हैं। मगर उनका यथोचित प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिये ऐसे जानवर जो हमारे प्रान्त में नहीं हैं वे बाहर से मंगा कर लाये जायं और पाले जायं। इससे हम जानवरों में बहुत तरक्की कर सकते हैं और शिकारगाह बना सकते हैं। तराई भावर में सब से बड़ा शिकारगाह बनाया जा सकता है। इसी तरह से फ़िशिंग के लिये हम लोग यहां हैचरीज़ बनाये और उनकी उन्नति करें जिससे काफी तरक्की हो सकती है।

अध्यक्ष--(श्री नारायण दत्त तिवारी से) अब माननीय उपमंत्री जी बोल चुके। उनसे उत्तर आपने पा लिया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैंने जो आशंका की थी उसके विषय में माननीय नेगी जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि उसमें उनको काफी सफलता रही है। लेकिन उन्होंने परसेंटेज नहीं बतलाया कि कितने परसेंटेज उनको लैंड मैनेजमेंट सर्किल में सफलता रही। मैंने यह बतलाया कि पिछले साल ९८ मील लम्बे पेड़ों में से ८८ मील लम्बे पेड़ असफल रहे हैं। केवल १० मील में सफलता प्राप्त हुई है। वह रिपोर्ट में साफ है, तो मैं अब भी जोर देकर कहूंगा कि इसको और भी सुचारुरूप से चलाया जाय। जहां तक वन विभाग के काम का सवाल है यानी डिप्टी कंजरवेटर आफ फारेस्टस् और कंजरवेटर आफ फारेस्ट आदि के काम को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह साल के ज्यादा समय में हैडक्वार्टर्स पर ही रहते हैं जब कि इनकी डचूटी ज्यादातर दौरा करने की होती है। इनको दौरा का ध्यान नहीं रहता है और यह सारा काम वर्किंग प्लान आफिसर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। उस पर दृष्टि नहीं डालते हैं और हेडक्वार्टर्स में जो कागजात होते या आते हैं उनको ही देखा करते हैं।

कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा भी बहुत से पेड़ काटे गये। आप जमींदार और जागीरदारों की बात तो छोड़ दीजिये। आपके कोर्ट आफ वार्डस तक ने ऐसा किया। गवर्नमेंट को चाहिये था कि वह पहले भी इसके लिये आर्डीनेंसेज निकालती, लेकिन अब तो प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट को खूब कसा जाय और इसमें संशोधन लाया जाय जिससे प्लेन्स में भी इनकी रक्षा हो सके।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है वह यह है कि पतरौल जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको ३५ रुपये से लेकर ४५ रुपये वेतन मिलता है और मोहर्रिर जो हैं उनको ४५ रुपये से लेकर ६० रुपया वेतन मिलता है और यही लोग शेर वग़ैरह का मुकाबला करते हुए जंगलों की रक्षा करते हैं। अगर आप उनको कोई इंसैंटिव नहीं देंगे तो कैसे इनसे अच्छा काम करा सकते हैं। इन कर्मचारियों के डेपुटेशन को सन् १९४९ में माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने आश्वासन भी दिया था कि वह उनके वेतन के ऊपर विचार करेंगे। इनके लिये कुछ होना चाहिये क्योंकि वन विभाग इन्हीं लोगों के ऊपर चलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके लिये कोई सहूलियत नहीं है और पे कमीशन की रिपोर्ट भी उनके लिये लागू नहीं होती है।

दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि सुपीरियर सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की चिकित्सा के लिये इसमें ६,००० रुपये रखे गये हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों के संबंध में इसमें कोई जिक्र नहीं है। क्लार्क्स के वेतन को आप देखिये कि क्लार्क्स के वेतन की स्थापना में २५ रुपये से लेकर ४०० रुपये तक अंतर रखा गया है। यह तो इतना बड़ा अन्तर है यानी १६ गुने का अन्तर है। यह भी मैं समझता हूं कि बहुत अप्रासंगिक है और मोटरों के लिये लिखा गया है कि ५६,००० रुपये की ग्रांट आफिसर्स की मोटरों के लिये हैं। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे नेगी जी इन बातों को साफ कर दें।

इसके अतिरिक्त बजट में लिखा हुआ है कि "अतः यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित प्रत्येक ५ अफसरों पर एक मोटर दी जाय।" एक लिस्ट है लेकिन अंग्रेजी के बजट में लिखा हुआ है कि

"It is therefore decided that one lorry may be allowed to each of the following officers"

[अतः यह विनिश्चित किया जाता है कि एक-एक लारी निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रत्येक को दे दी जाय।]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह तो एक बड़ी बात है और आखिर में भी हिन्दी वाले बजट में लिख दी गई हैं कि इसके अन्तर्गत ५२,८०० रुपये की व्यवस्था सम्मिलित कर दी गई हैं। अंग्रेजी के बजट में लिखा है कि—

"to the exclusion of a sum of Rs. 52,800"

[५२,८०० रुपये की धनराशि को छोड़ कर]

इसमें भी ५२ हजार रुपया लिखे है और उसमें भी ५२ हजार रुपये हैं। पर एक में इंक्लूजन है और उसमें एक्सक्लूजन है। यह इतनी बड़ी गलती कैसे रह गई है। इसको मैं चाहूंगा कि नेगी जी साफ कर दें।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हम लकड़ी के ठेके देते हैं उनमें सरकार को ध्यान रखना जरूरी है। लकड़ी काटी जाती है और वह किस तरह सप्लाई हो रही है। आप टनकपुर, रामपुर और कोटद्वारा में चले जाइये तो आपको लकड़ियों की बड़ी चट्टियां लगी हुई दिखाई देंगी। उनके खरीदने वाला कोई नहीं है। अकेले ठेकेदार पर छोड़ देना ठीक नहीं है। अगर लकड़ी इकट्ठी पड़ी रह जायगी तो फिर ठेका कैसे होगा। जनता को जहां जरूरत है वहां लकड़ी नहीं पहुंच पायेगी और वैगन्स के न मिलने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसलिये सरकार को देखना चाहिये कि लकड़ी ठीक तरह से सप्लाई हो रही है या नहीं। इसके अलावा आप कंजरवेटर्स को आज्ञा दें कि वह अधिकतर समय यानी साल भर में ९ महीने दौरे में रहें और खाली हेडक्वार्टर्स नैनीताल वगैरह में न पड़े रहें बल्कि अपने सर्किल में दौरे में रहें। इसके साथ ही साथ लैंड मैनेजमेंट सर्किल जो है, उसमें रुपया खर्च होता है उसको जंगलों की रक्षा करने के लिये मजबूर किया जाय और उनको अपने-अपने डिवीजनों में ठीक से काम करना चाहिये, वहां पर वास्तविक रूप में काम करें, यह नहीं कि रिपोर्ट दे दी कि इतने पेड़ लगाये, इतने सूख गये और इतने और लगाने की आवश्यकता है। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में संशोधन किया जाय जिसके जरिये से जंगलों की रक्षा हो सकेगी। छोटे कर्मचारी जैसे फारेस्ट गार्ड्स वगैरह हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय और उनको सहूलियतें दी जायं। यू० पी० पे कमेटी ने सिफारिश की थी कि हर ६० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी के बच्चों को हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दी जायगी। यू० पी० सरकार ने कहा था कि वह शीघ्र ही यह प्रस्ताव लायेगी लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। आज मैं फिर जोर देता हूं कि इस विभाग की आमदनी छोटे कर्मचारियों पर निर्भर करती है, इसलिये उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाय। ५ लारियों वाला जो मामला है उसको हमारे माननीय नेगी जी कृपया साफ कर देंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे बहुत लम्बी तकरीर नहीं करनी है। मेरी नारायण दत्त जी से थोड़ी सी शिकायत है। उन्होंने जो बातें आखिर में कहीं वह प्रत्युत्तर नहीं है, बल्कि नई बातें हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ आंकड़े सही नहीं हैं। उनको यह शुरू में ही बतलाना चाहिये था ताकि मैं उस तफसील को देख लेता और उनको बतला देता कि यह उनका भ्रम है या हमारी गलती है। अगर गलती है तो मैं उसे मान लेता। अगर नहीं है तो उनका भ्रम उनको मालूम हो जाता। इन बातों के लाने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल यह है कि शुरू में न ला कर आखिर में वह लाये। इस वक्त उनका उत्तर देने का अवकाश मेरे पास नहीं है।

लारीज के बारे में जो उन्होंने कहा, कुछ लारियां फारेस्ट विभाग के पास थीं। मेरे पास यह तजवीज आई कि जो खर्चा उनका सफर में होता है वह बहुत ज्यादा होता है अगर लारियों का इस्तेमाल जो उनके पास थीं उनका इस्तेमाल उनको करने दिया जाय तो वह खर्चा कम हो सकता है। मैंने उस सबको देखकर कहा ठीक है, लारियों का इस्तेमाल करने दिया जाय।

अब यह बात कही गई कि ५ लारियां है या १ । यह मैं ठीक से इस वक्त नहीं कह सकता । मैं समझता हूं कि संभवतः नारायण दत्त जी को भ्रम होगा लेकिन मैं चाहूंगा कि वह बाद में मुझे से मिलें ताकि जो गलती इसमें रह गई हो वह मुझे मालूम हो जाय या अगर कोई भ्रम हो तो उनको मालूम हो जाय । गलत चीज का कायम रहना ठीक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त फारेस्ट विभाग के गार्डस (रक्षकों) की तनख्वाह के बारे में जो बात कही गई, वह एक व्यापक बात है । छोटे अहलकारों का जहां तक ताल्लुक है उनकी तनख्वाह बढ़ाना हम चाहते हैं । मगर सोचना यह है कि कैसे बढ़ाई जाय । अब टैक्सेशन के प्रोपोजल्स (प्रस्थापनायें) आने वाले हैं उनमें इस बात पर गौर होगा कि दरअसल जो जायज खर्चा लोग समझते हैं उसको किस हद तक देने को तैयार हैं । फिर इस तरह की कमियों को दूर करने का तरीका निकाला जायगा । हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग सुखी हों लेकिन दुखों को दूर करने के उपाय क्या हैं, उसे निकालने की जरूरत है । जो बात बहस के सिलसिले में यहां कही गई मैं उनकी कद्र करता हूं । जितने भी सुझाव आये हैं उन सब पर विचार किया जायगा और जहां तक हो सकेगा उनको व्यावहारिक रूप दिया जायगा और ऐसे काम जिनको करने से जनता का हित होगा उनको अमली रूप पहनाने का यत्न किया जायगा । क्योंकि उनके सुझाव से हम लाभ उठाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि अगर काफी समय हमें मिल सके तो उस पर विवाद हो सकता है । हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी । मैं चाहता हूं कि जिनको वन विभाग से दिलचस्पी हो वे सब उस कमेटी में आयें । यथा समय उस कमेटी की बैठक होगी और ऐसी बातें बतलायी जायं ताकि जो सुधार आप चाहते हैं वे किये जा सके । यह काम हमें और आपको सब को मिलकर करना है ।

उन्होंने कुछ बातें पंचायतों के बारे में कहीं कि यह फारेस्ट पंचायतों के सिपुर्द कर दिये जायं । क्लास वन फारेस्ट बहुत बड़े हैं और पंचायतें बहुत थोड़ी हैं । उनके ऊपर इतना बोझा रखना क्या आप समझते हैं कि यह ठीक होगा । क्या वह उनकी रक्षा कर सकेंगे । वन विभाग जितने जंगलों का इन्तजाम करता है वह भी उसके लिये कभी-कभी मुश्किल होती है । पंचायतें इस काम को, इस जिम्मेदारी को ले सकें यह कोई आसान काम नहीं है । यदि ऐसी बात हो सके जिससे जनता का सम्पर्क बढ़ सके या उनके अधिकार में जंगल आ सकें मुझे इसके सिद्धांत के मानने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन व्यवहार में यह मुश्किल सी लगती है । मैं समझता हूं कि जंगल विभाग को इस तरह से चलाना है कि जिससे सब की सहानुभूति उनके साथ हो सके, सबका सहयोग उनको मिल सके । मगर यह भी जानना चाहिये कि क्लास वन फारेस्ट ऐसे हैं जिनके बीच में काफी तौर पर कोई गांव पड़ता नहीं है तो फिर क्या गुंजाइश इस बात की है कि पंचायत उनका इन्तजाम कर सकें । अगर व्यावहारिक रूप में यह चीज हो सके और वह बतला सकें तो उसको हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं । जो इस वक्त प्रबन्ध है उसका सुधार अगर कुछ हो सके तो वह हम करना चाहते हैं ।

एक बात जो उन्होंने कही वह मुझे सिद्धांत के प्रतिकूल लगी है । वह यह है कि ठेकेदारों को फारेस्ट कमेटी में रखा जाय और ठेकेदार उसको यह समझेंगे कि यह बाजी मारकर आगे चला गया और उनको असंतोष होगा और ठेकेदारों को खुद यह बात अच्छी नहीं लगेगी । जो सरकार के साथ ठेका करते हैं सिद्धान्त रूप से वह इन्तजाम उनके साथ नहीं हो सकता है । जिनका कोई भी इंट्रेष्ट किसी चीज से है उनका निर्णय करने में उनका पूरा अधिकार नहीं होना चाहिये । वह सलाह दे सकते हैं मगर वह उसके अन्दर रखे जांय तो यह एक एम्बरेसिंग (कष्टप्रद) बात हो जायगी । एक ठेकेदार दूसरी नजर से देखता है और एक जनता का प्रतिनिधि उस बात को दूसरी नजर से देखता है । इस तरह से उसका परिणाम लाभदायक नहीं हो सकता है । इसलिये वह स्वतंत्र उस काम को करें तो ठीक है लेकिन कमेटी में रहना ठेकेदारों के लिये हित की बात नहीं है ।

कुछ जंगलों की बाबत और यह कहा गया कि जंगलों की बसासत ऐसी होनी चाहिये कि जिससे गांव वालों को तकलीफ न हो । मैं भी इस उसूल को मानता हूं और इसी के मुताबिक हिदायत सैटिलमेंट अफसर को दी गई हैं । पुराना जो टेहरी का

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

जंगल था वह बहुत ज्यादा गांव के पास थे। अगर उनमें कोई गुंजाइश असुविधा की हो तो उसको हटाना चाहिये जिससे जनता को कष्ट न हो आखिर जंगल जनता के लिये है। जनता जंगलों के लिये नहीं है। लेकिन जंगल से जनता को लाभ हो सके, लोगों का हित कर सकें इस सिद्धांत के अनुसार इनको कार्य करना चाहिये। इसी तरह के फारेस्ट सेटिलमेंट हैं। मगर इसमें कुछ समय लगता ही है।

कुछ यह भी कहा गया कि जंगल के अधिकारी हथियार नहीं रखते हैं। मैं समझता हूं यह बात ठीक तरह से सही नहीं है बल्कि गलत है क्योंकि जंगल के अधिकारियों को अपना बहुत समय जंगल में देना पड़ता है। वैसे हमारे जंगलों का प्रबन्ध ऐसा बुरा नहीं है और किसी ने कोई खास बात नहीं बतलाई सिवा इसके कि लैंड मैनेजमेंट सर्किल की सड़क के किनारे के जो पेड़ लगाये गये वह ९० मील सूख गये। मैं बतलाना चाहता हूं कि उसमें यह नहीं लिखा है कि वह सूख गये बल्कि यह लिखा है कि पानी के न होने से दब गये। यह हो सकता है कि पानी न मिलने की वजह से या किसी दूसरी वजह से जितना उभार होना चाहिये पेड़ों का न हुआ और इसी वजह से वह कुछ दबे से रह गये हों। इसका मतलब यह नहीं है कि वह सूख गये और अगर पानी बिलकुल न हो, पेड़ लगाये जायं और वह सूख जायं तो फिर उस उसका इलाज क्या है? सैकड़ों मील में पानी के लिये फुव्वारे का इन्तजाम तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा किया जाय तो इसी के लिये हर साल सदन को लाखों रुपया मंजूर करना पड़ेगा। तो यह तो हो नहीं सकता। लैंड मैनेजमेंट सरकिल के और बहुत से काम हैं, यह ९० मील के पेड़ तो बहुत कम हैं। नारायण दत्त जी ने किताब को तो पढ़ा होगा; उन को मालूम होगा कि उसके काम करने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इरोजन्स रेवीन्स, और जो एरिया रिक्लेम किये हैं और जो एफारेस्टेशन हुआ है यह तमाम काम वह करता है और उसके बाद भी थोड़ी सी एक चीज को लेकर तमाम काम को कण्डैम (निन्दित) करना कोई न्याययुक्त बात नहीं है। जितनी बात अच्छी हुई हो उसको अच्छा कहना और जो खराब हो उसी को खराब कहना एक ही बात हो सकती है। अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर उन्होंने गफ़लत की है तो उन्हें उसका पूरा जवाब देना चाहिये और उनको जवाब देना पड़ेगा। तो जितनी बातों की कमी हो वह बतलाई जायं तभी एक मुनासिब आलोचना हो सकती है। फिर भी उन्होंने जो सुधार बतलाये हैं मैं समझता हूं उनकी ओर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री नरेंद्र सिंह जी ने जो बातें बतलाई हैं वह मूल्यवान् बातें हैं और उनसे हमें लाभ पहुंच सकता है और मैं चाहूंगा कि चीफ़ कंज़रवेटर आफ़ फ़ारेस्ट्स और दूसरे कर्मचारी जो विभाग के हैं वह उन पर ध्यान दें कि उनके अनुसार वह कहा तक काम कर सकते हैं और उनके सुझावों को पूरे तौर से उपयोग में लाने का प्रयत्न करें।

टेहरी की एक दिक्कत का जिक्र किया गया और कहा गया कि जो विभाग के हेडक्वार्टर हैं वह मंसूरी और चकरौता में क्यों बनाये गये हैं। दिक्कत इसमें यह है कि टेहरी में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां आसानी से लोग पहुंच सकते हों और आ जा सकते हों। इसके अलावा कोई दूसरी जगह बतलाई जा सकती है जहां से काम हो सके। कोई जिले से बाहर रखने का शौक नहीं है जरूरत तो इस बात की है कि काम ठीक हो मंसूरी और चकरौता टेहरी से ज्यादा करीब हैं और गढ़वाल का प्रबन्ध ऐसा अच्छा है नहीं, इन सब बातों को देख कर यह टेम्पोरेरी (अस्थायी) इंतजाम किया गया है। अगर इस संबंध में कोई सुझाव हो कि किस ढंग से काम अधिक अच्छा हो सकता है तो उसे देखने के लिये तैयार हैं। हम तो सुप्रबन्ध और जनता का संतोष चाहते हैं। असंतोष सुप्रबन्ध में भी रस नहीं आता इसलिये मैं आशा करता हूं कि श्री नारायण दत्त जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह उसे वापिस ले लेंगे।

अध्यक्ष—क्या माननीय नारायण दत्त जी इसको वापस लेना चाहते हैं।

मतदान-अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०-वन

श्री नारायण दत्त तिवारी—समय की कमी की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरी मजबूरी है वापस लेने में।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५ 'वन (लेखा शीर्षक १०' वन) के अन्तर्गत १,२१,२४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन (सामान्य प्रशासन के कारण व्यय) तथा अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन (कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय)

(मुख्य मन्त्री) **श्री गोविन्द बल्लभ पंत**—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११, लेखा शीर्षक २५, सामान्य प्रशासन, के अन्तर्गत २,७८,४४,६०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,६१,४४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

ये दोनों मांगें एक विस्तृत, परन्तु एक दूसरी से संबद्ध, बातों से ताल्लुक़ रखती हैं। मुझे इसमें कुछ कठिनाई होती है और वह यह कि जितने विषय इनके अन्तर्गत हैं उन सबके बारे में मैं भाषण देने का यत्न करूं तो बहुत कम समय सारे सदन को बहस के लिये रह जायगा। सदन के सदस्यों को इनके भिन्न भिन्न अंगों के बारे में कहने की अभिलाषा होगी। मैंने कटौती के प्रस्ताव देखे। यदि उनमें यह संकेत अच्छी तरह से होता कि किन-किन बातों के बारे में लोग यहां विवाद करना चाहते हैं तब भी मैं पहले उनका कुछ प्रत्युत्तर देकर उन बातों का समाधान करने का यत्न करता। परन्तु जो कटौती के प्रस्ताव दिये गये हैं वे साधारण तौर के हैं जिनमें कोई इसका संकेत है नहीं। इसलिये मुझे कुछ इस समय कहना आवश्यक नहीं लगता। तो मैं इस समय इस प्रस्ताव को कर देता हूं और आखिर में मैं अध्यक्ष महोदय से आशा करूंगा कि वे मुझे इतना समय देंगे कि मैं उस समय जो कुछ मुझे कहना हो वह कह सकूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदर्णीय स्पीकर महोदय, मैं अनुदान संख्या ११-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय में १ रुपये की कटौती उपस्थित करता हूं।

स्पीकर महोदय, मैं पहले ही आपसे यह निवेदन करूंगा कि समय की कमी तो हमारे लिये भी है इसलिये मुझे आशा है कि आप कुछ समय विशेष देने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष—५ मिनट आप और ले लें, इस तरह १५ मिनट आपके हैं।

श्री राजनारायण—धन्यवाद।

आदर्णीय स्पीकर महोदय, जब मैं इस अनुदान पर बोलने के लिये उठा हूं तो मुझे एक परेशानी जरूर हुई, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली। यदि इस समय कुछ प्रकाश पड़ गया होता तो हमारे लिये इसमें मुख्य मुख्य बातों पर अपना मत व्यक्त करने में सुविधा होती। सामान्य प्रशासन में करीब करीब तमाम बातें समावेश कर जाती हैं। हम यह देखते हैं कि इतिहास में दो ऐसे मुख्य क्रांतिकारी महान् पुरुष हुये हैं जोकि

[श्री राज नारायण]

अपने जीवनकाल में अपनी विचारधारा को लेकर क्रांति में सफल हुये हैं, एक लेनिन और दूसरे महात्मा गांधी। लेनिन कहा करते थे "Every cook must learn how to rule the state" (प्रत्येक पाचक को सीख लेना चाहिये कि राज्य का शासन किस प्रकार होता है।) महात्मा गांधी कहा करते थे कि "मैं चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधान मंत्री एक किसान हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सलाहकार के रूप में बैठें।" जब ये दोनों आदर्श हमारे सामने उपस्थित हैं और जब हम वर्तमान सरकार के उद्देश्य को उस आदर्श की कसौटी पर तौलते हैं तो हमें महान् दुख और आश्चर्य होता है। हम सोचते हैं कि क्या इन आदर्शों की पूर्ति उस ढांचे से हो सकती है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी चलाना चाहते हैं। मेरा यह निश्चय मत है कि वर्तमान ढांचा महात्मा गांधी के आदर्शों से नितान्त विरुद्ध है। जहां तक कि प्रगतिशील विचारों का संबंध है, शासन के विकेन्द्रीयकरण की मांग करने वालों का संबंध है, उनके लिये वर्तमान ढांचा अमान्य है, जैसे एक मकान में अन्त में यह जरूरत होती है कि उसको गिराकर ही दूसरा भवन खड़ा किया जाय उसी तरह से हमारे लिये भी यह जरूरी हो गया है कि वर्तमान ढांचे को गिराकर नये मकान का निर्माण करें। कांग्रेस सरकार ने जो रवैया पिछले सालों में अख्तियार किया है और पिछले साल का अनुदान पेश करते समय माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरीके का भाषण दिया था अगर हम उस पर ख्याल करते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि आगे भी इसमें कोई विशेष सुधार नहीं होगा क्योंकि सुधार होने की कोई विशेष गुंजाइश दिखाई नहीं देती।

आदर्णीय स्पीकर महोदय, मैं यह चाहता था कि जब विविध अनुदानों पर वादविवाद हो रहा था तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री महोदय अवश्य उपस्थित होते। क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही हमें बहुत आसानी हुई होती उनको भी इस हाउस के मस्तिष्क को समझने में और दूसरों को भी उनके विचारों को जानने में आसानी हुई होती मैं अत्यन्त विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिस तरीके के ढांचे को लेकर चल रही है उस ढांचे से सामान्य जीवन में कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण अपने गवर्नमेंट सरवैन्ट्स के सामने दिया उसमें भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि पदचिन्हों पर चलना तो दूर उनकी ओर यह सरकार देखने का प्रयत्न नहीं करती। जब पुलिस बजट पर बहस हो रही थी तब मैंने कहा था कि सत्याग्रह पर अपने विचार प्रकट करते हुये महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरीके से एक विदेशी शक्ति को हटाने के लिये सत्याग्रह की आवश्यकता होती है उसी तरह से धनिकों के शासन को समाप्त करने के लिये गरीबों को सत्याग्रह का शस्त्र इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहां परेशानी हो जाती है जबकि आदर्णीय मुख्यमंत्री जी यहां तक कह जाते हैं कि प्रजातंत्र में सत्याग्रह की गुंजाइश ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स को इस समय आदर्णीय स्पीकर महोदय, आपके सामने द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी तमाम और सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं। उसकी एक एक कड़ी को लेकर देखा जाय तो मालूम होगा कि क्या यह वर्तमान सरकार प्रजातांत्रिक प्रणाली पर चल रही है या कि वह शक्ति को केन्द्रित कर रही है। मेरे पास उन रूल्स की सन् १९४८ की करेक्टेड कापी है। उसके २३ वें रूल को देखने से यह पता चलता है कि जिस तरह की आशा अंग्रेजी सरकार अपने सरवेंट से रखती थी यह सरकार भी वैसी ही आशा रखती है। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार तानाशाही की ओर जा रही है। पहिले क्या रूल था इसको तो मैं समय के अभाव के कारण नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसमें २८ मार्च को जो ऐड कर दिया गया है इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं—

"Add the following as a new rule 23-A, after the existing rule 23 :—

A government servant may not, except in the legitimate discharge of his official duties, either by himself or directly or indirctly through his wife or any other relative who is either dependent on him or who is residing

with him, in any document or in any public utterance delivered by him or by his wife or other relative, make or cause to be made any statement of fact or opinion which criticises or brings into contempt or disrepute the decisions of government or of his official superiores."

निम्नलिखित नवीन नियम २३-क वर्त्तमान नियम २३ के उपरान्त जोड़िये —

["कोई सरकारी कर्मचारी, अपने सरकारी कर्त्तव्यों के वैध निष्पादन के अतिरिक्त स्वयं अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी पत्नी या अन्य किसी संबंधी द्वारा जो या तो उसका आश्रित है अथवा उसके साथ रह रहा है, किसी लेख्य में, अथवा वह या उसकी पत्नी या अन्य कोई संबंधी किसी सार्वजनिक भाषण में किसी तथ्य अथवा अभिप्राय का वक्तव्य न देंगे और न दिलवायेंगे जो सरकार अथवा उसके उच्च अधिकारियों के विनिश्चयों का अपमान या निन्दा या आलोचना करता है।"]

वह रूल कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की श्रीमती या उसके ऊपर आश्रित रहने वाले गवर्नमेंट के फैसले को क्रीटिसाइज नहीं कर सकते। आदर्णीय स्पीकर महोदय, अखबारों में इस पर कई बार टीका टिप्पणी हो चुकी है। यहां तक सुनने में आया है कि बहुत से गवर्नमेंट्स सर्वेंट्स की श्रीमतियां, अब यह फैसला करने वाली हैं कि वे करें तो क्या करें, वे अपने विचार प्रकट करें तो कैसे करें, अगर प्रकट करती हैं तो उनके हस्बैंड नौकरी से हटाये जा सकते हैं। क्या यह महात्मा गांधी का उसूल है, क्या यह जनतंत्र सरकार है, क्या किसी डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यह बात आ सकती है ? यह सवाल उठता है और इसका हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिये । गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने हैं, उनके ऊपर जितनी बाधा, जितने अंकुश अंग्रेजी राज्य में नहीं लगा था उससे ज्यादा अंकुश महात्मा गांधी के सिद्धांत का अनुकरण करने वाली इस कांग्रेसी सरकार ने लगाया है । ट्रेजेरी बेंचेज पर जितने माननीय सदस्य हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बार बार अनुशासन के नाम पर नहीं चला जा सकता है। अनुशासन के नाम पर ५ वर्ष तक देश में कपड़े की कमी की गयी, अन्न की कमी की गयी, मकानों की कमी की गयी, और जो जीवन की मौलिक आवश्यकतायें थीं उनकी पूर्ति नहीं हुई। हमें तो बहुत परेशानी हो जाती है जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की यह हालत है। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो कारलाइल ने कहा था कि क्रांति तो हुई मगर मुल्क की गरीबी नहीं मिटी। किसी ने पूछा "क्यों" ? तो उसने कहा कि मालूम होता कि धनिकों की सरकार कायम करने वाले जो लोग हैं वे अपनी तिकड़म से उसी तरह की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना नहीं चाहते हैं । फ्रांस की व्यवस्था का स्वरूप हमारे सामने आता है, रूस की व्यवस्था का स्वरूप हमारे सामने आता है । बोलशेविक पार्टी के सदस्यों ने स्की से बार बार कहा कि किसानों से क्रांतिकारी कदम उठाने के लिये जो वादा किया था क्रान्तकारी कदम क्यों नही उठाते, लेकिन करेंसकी की हिम्मत नही पड़ी। तो हमें वर्त्तमान सरकार की मनोवृत्ति को देखना है कि पूंजीवादी मनोवृत्ति को छिपाने के लिये बारबार जनता पर दोषारोपण किया जाता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनता की गरीबी को मिटाने के लिये, जनता को तमाम सुख सुविधायें देने के लिये सरकार जो भी कदम उठावे उसका जनता स्वागत करेगी, चाहे जमीन का बटवारा हो, चाहे उद्योगों का समाजीकरण हो, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता के नाम पर वर्तमान सरकार की पूंजीवादी मनोवृत्ति को छिपाने के लिये ... ...

अध्यक्ष—आप माननीय "मुख्य मंत्री" को संबोधित करके न बोलें ।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आज सेक्रेटेरिएट का ढांचा है उसको मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री और सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं । बाकी बातें मैं बाद में, अध्यक्ष महोदय, फिर निवेदन

[श्री राजनारायण]

करूंगा। यह बहुत अहम सवाल है इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ और समय देंगे।

एक डिपार्टमेंट फाइनेंस को ही ले लीजिये। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं रजिस्टर कीपर, रेफरेंस कलर्क, सुपरिंटेंडेंट ८, असिस्टेंट सेक्रेट्री ४, अंडर सेक्रेटरी ३, ज्वाइन्ट सेक्रेट्री १, डिप्टी सेक्रेटरी १, सेक्रेटरी १, हैं। इसके बाद आप देखें कि एडिशनल सेक्रेट्री भी हैं। इस तरह से रेड टैपिज्म बराबर बढता जा रहा है। इसके ऊपर बहुत क्रीटिसिज्म हुआ है लेकिन फिर भी लाल फीतावाद खत्म नहीं हो रहा है।

अब स्टेनो का नम्बर आता है। नये नये मंत्रीगण आये हैं इसलिये नये नये स्टेनो रखे जायेंगे। पुराने स्टेनो हटाये जायेंगे और नये स्टेनो रखे जायेंगे चाहे वे उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हों या न हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और तमाम माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्रीय सरकार है और क्या जनतंत्रीय सरकार की यही कसौटी है? सरकार शब्दों में चाहे भले ही कहें कि वह जनतंत्र चाहती है मगर जितने नियम, उपनियम, कायदे कानून बनायेंगी, वे सब जनतंत्र को ठुकरानेवाले बनायेंगी। तो उससे जनतंत्र नहीं आ सकता। उससे हमारा मुल्क तानाशाही की ओर ही बढ़ेगा। जैसा हमारे सदन में हमारे गोरखपुर के एक कांग्रेसी सदस्य ने बोलते समय कहा कि इस सदन में बिचारों को व्यक्त करने की भी आजादी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर जगह शक्ति को केन्द्रित करने की स्कीम चल रही है। और जब शक्ति केन्द्रित करने की ओर जायेंगे तो कैसे जनतंत्र प्रणाली की ओर जा सकते हैं। इन सब चीजों को देख कर हम डेफिनिट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यह सरकार जनतंत्र प्रणाली की ओर नहीं जा रही है। अब यह इतना भयंकर कोढ हो गया है, कि उस रोग का अब इलाज नहीं है। चाहे ट्रेजरी बेंचेज के लोग हों या विरोधी दल के लोग हों अगर आज दुर्भाग्य से लोग समझते हैं कि यह सरकार जनतंत्र प्रणाली की ओर जा सकती है तो वे बुद्धि विभ्रम में हैं। न यह सरकार रेड टेपिज्म हटा सकती है, न खाना दे सकती है, न कपड़ा दे सकती, न मकान दे सकती है, न दवा दारू दे सकती है, न स्कूल दे सकती है। जिन तरीकों को अख्तियार करके इन सारी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिये जब वह तरीके ही नहीं अख्तियार किये जा सकते हैं तो शब्द जाल से क्या हो सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ओजस्वीपूर्ण भाषण भले ही सदन में दे डालें। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस गतिविधि को लेकर उनकी सरकार चल रही है उस गतिविधि से जनता का कल्याण नहीं होगा। उसको हमारे चौखम्भा राज के सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार एक किसान के बालक का प्रधान मंत्रित्व को ग्रहण करने का सिद्धांत मानते हैं तो सारी शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा।

बराबर मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने निवेदन करता आया हूं कि जनता की गांव पंचायतें बनी हुई हैं, जिला पंचायतें बनी हुई हैं। क्यों नहीं हम सब काम, खाने का, कपड़े का, दवा दारू का, गांव पंचायतों के हाथ में देते हैं? जिला पंचायतें हैं। क्यों नहीं जिला बोर्ड के सभापति को जो जनता से बालिग मताधिकार द्वारा चुन कर आये हैं पावर दी जाय? क्यों नहीं जिला कमेटियों को सारा निर्माण कार्य दिया जाय? छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर, भेदभाव के सिद्धांत को लगा कर तमाम काम को गड़बड़ किया जा रहा है। इससे जन कल्याण नहीं हो सकता। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ट्रेजेरी बेंचेज के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सोते समय अपनी छाती पर हाथ कर सोचें कि जो सुझाव सम्मानित सदस्यों के सामने उपस्थित किये जाते हैं जबतक उन सुझावों को ग्रहण नहीं किया जायगा तबतक कोई काम कैसे चल सकता है। ये मौलिक समस्यायें हैं। वे इन पर सोचें।

अगर मैं इसके बाद कमिश्नर और जिला प्रशासन की ओर बढूंगा तो सारा समय इसी में चला जायगा। बाद में मैं आपको साबित कर दूंगा कि जिलें में जो व्यवस्था है वह सारी शक्ति को केंद्रित करने की ओर जा रही है। वह इतनी थोथी, लूली, लंगड़ी है, कि जनता के

हाथ में जो कुछ जाना चाहिये, जनता जो प्रभु है उसके हाथ से प्रभु सत्ता छीनी जा रही है। और जब वह प्रभु सत्ता छीनी जा रही है हमारे माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पंत की सरकार के जरिये, तो मुझे महान दुख होता है।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने आज इस भवन के अन्दर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन (सामान्य प्रशासन) के सिलसिले में जो अभी तकरीर हुई उसे बहुत गौर से सुना। मेरे दोस्त लीडर आफ दि अपोजीशन ने बजाय दस मिनट के १५ मिनट तक इस मसले पर काफी रोशनी डाली। जब मैं यह तकरीर सुन रहा था तो मुझे ऐसा ख्याल पैदा होता था कि इन कुर्सियों में ख्वाह इस तरफ हों या उस तरफ हों एक खास तासीर होती है और जो शख्स उस कुर्सी पर बैठता है वह उन तमाम ख्यालात का हामी बन जाता है कि जिसका उससे पहले बैठने वाले बना करते थे। उन्होंने एक लम्बी चौड़ी दास्तान जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन महकमे के मुताल्लिक सुनाई और उसके बहुत से नुक्स भी सुनाये। मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ नुक्स हो सकते हैं लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गुजिस्ता पांच साल के अन्दर हुकूमत ने उन स्कीमों को अमली जामा पहनाने के लिये बहुत कुछ किया जो इस सूबे को जनता से ताल्लुक रखती थीं। डेवेलपमेंट की स्कीमें बनायी गयीं। इसी बजट से मालूम होता है २० करोड़ रुपये डेवलपमेंट के काम के लिये रखे गये, हर महकमे में सुधार की कोशिश की गयी, और गवर्नमेंट ने तो एक कदम और आगे बढाया कि जहां तक डेवेलपमेंट का ताल्लुक था उसने कभी भी ख्याल नहीं किया कि हम अगर काफी टैक्स लगा देंगे तो इससे गवर्नमेंट से नाराजगी पैदा होगी और बहुत लोग इससे परेशान होंगे। उन्हों ने डेवेलपमेंट के प्रोग्राम को पूरा करने के लिये टैक्स लगाने से भी गुरेज नहीं किया। खुद इस बजट से मालूम होता है कि कई टैक्सों की तरफ इशारा किया गया है जो इस सेशन के अन्दर या इस साल के अन्दर लगाये जायेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बाज बातें सुनने में आयीं। मैं जानता हूं और शायद इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि सिर्फ कानून बनाने से किसी मुल्क या किसी सूबे की हालत का सुधार नहीं हो सकता। उसके सुधार के लिये जरूरत इस बात की पड़ेगी कि सब पार्टियों और सब जमातें मिल कर उसमें सहायता दें और सूबे की उन्नति और डेवलपमेंट को आगे बढ़ायें। यह जरूर है कि पार्टियां अपना मुख्तलिफ प्रोग्राम रखती हैं, पोलिटिकल प्रोग्राम, इकोनामिक प्रोग्राम और सोशल प्रोग्राम और हर किस्म के प्रोग्राम उनके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फिर भी यह मुमकिन हो सकता है कि अपने अपने प्रोग्राम पर सख्ती से आमिल होने के बावजूद भी हम एक तरह की मैक्सिमम कोआपरेशन (अधिकतम सहयोग) इस बात का पैदा करें और सब लोग मिल कर सहायता करें और ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के काम को बेहतर बनायें।

मैं बड़े अदब के साथ इस बात को बतलाऊंगा कि पिछला जब पंचायतों का एलेक्शन हुआ तो मैंने पिछली तकरीर में कहा था और आज भी दोहराता हूं कि कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छी और मुनासिब पेशकस की। उन्होंने यह किया कि पंचायतों का एलेक्शन पार्टी-बन्दी के उसूल पर नहीं होने दिया। अब फिर एलेक्शन आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि यह मिसाल जो कांग्रेस ने कायम की है अगर दूसरी पार्टियां भी इस पर कारबन्द हों तो इससे सूबे की बहुत भलाई हो सकती है, वह इसलिये कि जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है पंचायतों में कोई कांस्टिट्यूशनल पोलिटिकल मामलात हल नहीं होंगे बल्कि वे रोजमर्रा की जरूरतों की प्राब्लम्स को हल करेंगी। वहां अगर हम पार्टी बन्दी से बाला होकर इस बात की कोशिश करें तो यह ज्यादा मुनासिब होगा।

[श्री सुल्तान आलम खां]

आला तरीके से जहां तक फूड प्राब्लम का मामला है मैं समझता हूं कि हर आदमी और हर इंसाफ पसन्द इंसान इस बात को महसूस करेगा कि जहां तक गिज़ा का ताल्लुक़ है यह पार्टी बन्दी से बाला होना चाहिये, इसलिये कि हम लोगों को जान से खेल नहीं सकते, लेकिन मुझे बाज वक्त अफसोस के साथ यह सोचना पड़ता है और मैं इस बात को ख्याल करता हूं कि हमें वह मैक्सिमम कोआपरेशन जो गिजा के मामले में मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलता। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि हंगर मार्चेज हो रहे हैं, फूड प्राब्लम्स (खाद्य समस्या) के ऊपर डिमांस्ट्रेशन्स (प्रदर्शन) होते हैं। यह तो ऐसी चीजें हैं जिनसे बजाय इसके कि हम मुल्क या सूबे की उन्नति के लिये एक दूसरे के क़रीबतर आ सकें और उससे ज्यादा दूर हो जाते हैं। हम खुद सोचें और इस बात पर गौर करें कि जहां तक मुल्क की उन्नति का सवाल है, जिसमें गिज़ा का मसला सबसे पहले आता है, उसमें कहां तक यह सही होगा कि उसे हम पार्टी बन्दी का शिकार बनायें और इस सिलसिले को हम इस रोशनी में देखें कि इससे हमें पोलिटिकल या सियासी नफा क्या हासिल हो सकता है। यह चीज तो ऐसी है कि जिसको पार्टी बन्दी से बाला होकर हमें देखने की जरूरत है और बगैर इसके काम नहीं चल सकता। एक ऐतराज बार बार किया जाता है और वह यह है कि हमारे मुल्क में और सूबे में एफ़िशियेंसी (कार्यक्षमता) गिर गयी है और रेड टेपिज्म (दीर्घसूत्रता) बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो इससे क़तई इन्कार कर सके। देखना यह है कि जिन लोगों के हाथ में ताकत है वे कहां तक इस बात की कोशिश करते हैं कि इस चीज को दूर करें।

मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की नियत के मुताल्लिक़ किसी शख्स को शक शुबहा नहीं हो सकता कि उस गवर्नमेंट में जिसके आनरेबिल पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत जैसे तजुर्बेकार पोलिटिकल लीडर हैं वे लोग जानबूझ कर इस बात से गुरेज करें कि एफ़िशिएंसी को बढा कर रेड टेपिज्म को दूर न करें। लेकिन देखना यह है कि दिक्कत क्या पेश आती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे नेशनल कैरेक्टर (राष्ट्रीय चरित्र) की है। जब तक सबके सब मिल कर इस बात को न समझ लें कि हमें अपने जाती अगराज़ और मक़ासिद मुल्क और सूबे के अग़राज़ और मक़ासिद के नीचे रखना है उस वक्त तक यह नामुमकिन है। मैं डिटेल (विस्तार) में नहीं जाऊंगा लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं सकता कि आज हमारे तालीमी इदारों से जो लोग निकलते हैं वे लोग जहां तक तालीम का ताल्लुक़ है उसमें तो मुकम्मल होते हैं लेकिन जहां तक नेशन बिल्डिंग कैरेक्टर (राष्ट्र निर्माण-चरित्र) का सवाल है उसमें बड़ा कमी होती है। यह सही है कि तालीम के मामले में भी तरक्की करने की बड़ी जरूरत है और प्लानिंग कमीशन ने भी इसकी तरफ तवज्जह दिलायी है लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे नेशनल कैरेक्टर में इतनी कमी है तो फिर हम किस चीज के मुताल्लिक़ उतना ध्यान दे सकेंगे।

श्री त्रिलोकी नाथ कौल (ज़िला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने ११ और १२ नम्बर की डिमांड्स के ऊपर पेश किया है उसका मतलब सिर्फ यह है कि मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कमिश्नरी और बोर्ड के मुहकमे हमारे यहां पर अभी तक क़ायम हैं। वह फिजूलखर्ची है और बेकार है। कमिश्नरी और बोर्ड ये उस जमाने में अंग्रेजों ने कायम की थीं जब कि महज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था और बाकी न मिनिस्टर्स होते थे न इतने मेम्बरान। सब से अव्वल मतलब उस वक्त में अंग्रेजों का यह था कि उन्होंने अंग्रेजों के लिये बड़ी बड़ी जगहें क़ायम की थीं। जिस वक्त कि हमारी कांग्रेस ने सत्याग्रह का आन्दोलन शुरू किया था आप साहबान को ख्याल होगा कि सालाना प्राविंशल पोलिटिकल कांफ्रेंस कांग्रेस की जानिब से हुआ करती थी और हर पोलिटिकल कान्फ्रेंस के जलसे में इसकी अंग्रेजी हुकूमत से मांग की जाती थी कि कमिश्नरी और बोर्ड का जो मुहकमा है यह फ़िजूलखर्ची है, इसे तोड़ दिया जाय। अफ़सोस है कि हम जब बरसरे हुकूमत हुए तो हमको इसका ख्याल नहीं रहा। अंग्रेज उस वक्त यह कहता था कि कमिश्नरी हमने इस वजह से कायम की है कि ये हमारे वाच गार्ड्स (पहरेदार) हैं, यानी अच्छे अच्छे जिलों को ये वाच करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब तो आपने असेम्बली के दस दस और बारह बारह मेम्बर एक एक जिले से चुन

कर बजाय एक वाच गार्ड के बारह वाच गार्डस हर जिले में कायम कर दिये हैं। अलावा इसके हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसीडेंट्स हर जिले में मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि एक एक चीज की खबर जिलाधीश और सुपरिंटेंडेंट पुलिस के कानों तक हम लोगों के द्वारा पहुंचती है और अगर वहां से कुछ निर्णय नहीं होता है तो माननीय मंत्रियों के पास पहुंचती है। तो अब इन वाच डौग्स की मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। अब आप गौर कीजिये और यह देखिये कि यह काम क्या करते हैं। कमिश्नर माल की अपीलों को सुना करते थे लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने ज्यादा काम का बहाना किया और हमारी गवर्नमेंट ने अब एडीशनल कमिश्नर्स मुकर्रर कर दिये हैं। वह भी काम उनके पास नहीं रहा और जहां तक कोर्ट आफ वार्डस का सवाल है वह भी जमींदारी अबालीशन के बाद करीब करीब खत्म ही समझ लीजिये। अब रह गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और बोर्डस् का काम तो सिवाय पोस्ट आफिस के काम के और कोई काम नहीं है। हमारे मंत्रियों के पास उनकी रिपोर्ट, शिकायत या मंजूरी के लिये पेश करें और कोई विशेष काम उनके पास नहीं है जिसके ऊपर इतना रुपया सर्फ किया जाय। यहां हर सीगे के मंत्री मौजूद हैं और आसानी से कोई तरकीब निकाली जा सकती है जिससे यह फिजूलखर्ची बन्द हो जाय।

मुकद्दमे भी अब जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में तीन चौथाई दीवानी में होंगे और बहुत कम मुकद्दमे इनके पास रह जायेंगे। ऐसीसूरत में बेहतर होगा कि आप कुल मुकद्दमात को एक ही जगह रखें और दीवानी में ही हुआ करें या यह न भी हो तो कुछ हिस्सा माल में रहे तो अपील के लिये जिस तरह से बकिया मुकद्दमा ३-४ के लिये जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में इंतजाम है कि दीवानी में होंगे और उनकी अपील जजी में होगी तो फिर इनको भी दीवानी जजी में कर सकते हैं।

महाराज कुमारबालेन्दु शाह (जिला टेहरी गढवाल)—उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसकी बुराई की जा सकती है जैसे कि अभी एक वक्ता ने की, और इसकी तारीफ भी की जा सकती है, जिसके लिये बहुत सी मूर्तियां उत्सुक हैं। अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आज उपमंत्रियों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। उपमंत्रियों के रखने या न रखने के विषय पर कोई सैद्धांतिक बहस नहीं हो सकती है। यह तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है मगर जब परिस्थिति ऐसी पाई जाती है कि वह नियुक्त किये जायं, तो साथ ही साथ यह भी आशा की जाती है कि उनके ऊपर उचित विश्वास और जिम्मेदारी रखी जायगी।

पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि उचित परिस्थिति की वजह से जब उप मंत्री नियुक्त किये जाते हैं तो उनसे क्या आशा की जाती है? क्या यह कहा जाता है कि उप मंत्रियों का मुख्य काम मंत्रियों को सलाह देने का है। यह आश्चर्यजनक बात क्या सही हो सकती है। आखिर मंत्रियों को उपमंत्रियों की सलाह की आवश्यकता पड़ सकती ही कैसे है और अगर यह कहा जाता है कि उपमंत्रियों का मंत्रियों को सलाह देने का काम है, तो यह कैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी को जो कि और मंत्रियों को अपनी सलाह मनवाने के लिये मशहूर हैं हां, यह कैसे कि उनको तीन तीन सलाहकारों की आवश्यकता पड़ी, और क्या सैयद साहब और हाफिज साहब और मंत्रियों से अधिक चतुर हैं जो कि उनको उपमंत्रियों की सलाह की आवश्यकता ही नहीं? तो यह भी कोई सही कारण दिखाई नहीं देता।

मंत्रियों के बारे में यह तो हमेशा सुनाई देता है कि मंत्रिगण हमेशा अतिव्यग्र रहते हैं। ये किस प्रकार के काम में व्यग्र रहते हैं, और क्या व्यग्र रहना जनता के लिये हर्षजनक बात है, इसका अनुसंधान इस समय नहीं हो सकता। किन्तु इससे यह प्रतीत होता है कि उपमंत्रियों का काम मंत्रियों का जनता की सेवा करने के कार्य में सहायता और उसको हल्का करने का है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जिस प्रकार का कार्य उपमंत्रियों को सौंपा जाता है वह वास्तव में

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

मंत्रिगण के काम को हल्का करेगा या नहीं, और क्या वास्तव में इससे जनता की सेवा भलीभांति होती है ? मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार का काम उपमंत्रियों के हाथ इस समय सौंपा जाता है उसका केवल एक ही परिणाम है और वह यह है कि राज्य शासन के कागजात अंतिम समाप्ति के पहले एक और व्यक्ति के यहां अटक जाते हैं।

चुनाव में जनता ने बड़े बहुमत से मौजूदा सरकार में विश्वास प्रकट किया है, फिर भी हम सबको यह मानना ही पड़ेगा कि आम जनता में एक भयानक असंतोष फैला हुआ है। इसका कारण जो भी हो, इसको मानने में हमें कोई हिचकिचाहट न होनी चाहिये। यदि इस भयानक असंतोष को दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय नहीं निकालती तो जो ऊपरी एकता इस समय सरकार और जनता में परस्पर पाई जाती है वह नष्ट हो जायगी। इस ऐकता को स्थायी रूप देना आवश्यक है और इस एकता को स्थायी रूप केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है कि जनता और शासक में परस्पर सम्पर्क और सहयोग बढ़ाया जाय। यह सत्य है कि आज हमारी सरकार को जनता के बारे में सीधे सीधे कम ही पता है। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों पर विश्वास न किया जाय, कर्मचारियों पर विश्वास करना आवश्यक है, किन्तु साथ ही साथ यह याद रखना चाहिये कि हर एक कर्मचारी विश्वास के योग्य नहीं है। जो कर्मचारी अपने जिले के निवासियों और साथी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकता उससे कम ही आशा की जा सकती है। अब समय कम होने के कारण मैं अपना सुझाव मुख्य मंत्री जी को यह दूंगा कि उपमंत्रियों को एक नये प्रकार का काम दिया जाय। इस प्रदेश के ५१ जिलों को आप इन उपमंत्रियों में बांट दें और मंत्रिमंडल द्वारा जो नीति लखनऊ में निश्चित की जाय उस नीति को यह उपमंत्री अपने अपने हल्कों में वही प्रकार से लागू करें। उनसे यह आशा की जायगी कि वे यहां लखनऊ में न रह कर अपने अपने हल्कों में ज्यादा समय व्यतीत करें। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसमें शासन संबंधी कठिनाइयां निकाल सकते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि यदि मुख्य मंत्री जी चाहें तो सब कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यदि मुख्य मंत्री जी इस सुझाव को सम्पूर्ण प्रदेश में एकदम लागू करना उचित न समझें तो उनसे मेरी प्रार्थना यह है कि टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून के जिलों का एक संघ बनाकर इस सुझाव को वहां आजमा कर देखें। इस प्रकार और केवल इस ही प्रकार से ओवर सेंट्रलाइजेशन (आवश्यकता से अधिक केन्द्रीकरण) की बुराई को काउंटर ऐक्ट किया जा सकता है और चिड़चिड़े मिजाज, अनुभवहीन और हठी कर्मचारियों को समझाने से जनता एवं सरकार को बचाया जा सकता है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के प्रारम्भ में लगभग १० मिनट तक गांधीवाद का भाषण सुनने के बाद मैंने भी यह निश्चय किया कि मैं भी इस अनुदान पर अपनी राय जाहिर करूं। गांधीवाद पर आज यह प्रांतीय सरकार नहीं चल रही है और यह सबक दिया गया कि उन सदस्यों को कि जिनका अधिकतर जीवन केवल किताबों के पढ़ने में नहीं गया है बल्कि उसको जीवन में परिणत करने में गया है। जहां तक मैंने गांधीवाद को समझा है उसमें नैतिकता और वास्तविकता को काफी स्थान है। मुझे तो ताज्जुब होता है इस सदन के अन्दर ऐसी बातें सुनकर कि उस नैतिकता से हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और वह इस मायने में कि उस गांधीवाद में यह भी कहा गया कि जिस चीज को हम विश्वास की निगाह से नहीं देखें या जिस चीज पर विश्वास करें उस चीज को छोड़ देना चाहिये और उसको दूसरे रास्ते पर चला जाना चाहिये। इसलिये जब यह पता चलता है कि कुछ संस्था या कुछ व्यक्ति जो कि इस सदन को तमाशा घर समझते हैं और तमाशा घर समझने और कहने के बाद उस सदन का राजनीतिक उद्देश्य के लिये प्रयोग करते हैं। तो यह गान्धीवाद की परिभाषा में कम से कम नहीं आता है।

फिर गांधीवाद के साथ साथ तानाशाही और हिटलरवाद का जिक्र किया गया। इस विषय में मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। तानाशाही में और हिटलरवाद में छोटा

स्तर या बड़ा स्तर इस तरह की बात आप कह सकते हैं और कहना बड़ा आसान है इस भारत भूमि में और स्टैलिन की फैक्टरी से निकले हुये शब्द आप आसानी से भले ही कहें कि इस प्रांत में वह चीज है नहीं बल्कि सारे मुल्क में नहीं है लेकिन जिन लोगों ने हिटलरवाद और तानाशाही की सही शक्ल देखी है, आपको उस शक्ल का देखने का मौका न मिले, लेकिन अगर वह मौका मिल सके तब फिर हिटलरवाद और तानाशाही का विरोध करें तब तो बात समझ में आती है।

जहां तक इस अनुदान का सम्बन्ध है इस पर कहना बहुत कुछ है लेकिन २,३ बातें कहकर मैं बैठ जाऊंगा। सरकार के बदलने के बाद किसी विदेशी सरकार के या किसी देशी सरकार के बदलने के बाद यह आवश्यक है कि नौकरियों का पुनःसंगठन किया जाय। पुनर्संगठन करने के बाद उनमें कोई नई मनोवृत्ति का समावेश किया जाय और नई मनोवृत्ति का समावेश करने के बाद फिर नई दुनिया बनाने का प्रयत्न किया जाय। आज हमको इस चीज को इस कसौटी से देखना है कि हमारे अधिकारी कहां तक सफल हुये हैं इस नई दुनिया के बनाने में। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के और इस प्रान्त के जो हमारे नेता हैं मुख्य मंत्री जी, उन्होंने नौकरियों का संगठन किया और संगठन करने के बाद उनके अन्दर नई मनोवृत्ति डाली। यह देखने के बाद कोई भी विदेश या इस देश का रहने वाला इस बात का अन्दाजा लगा सकता है कि यह काम कहां तक हुआ है।

दुनिया के लोग जब यह अन्दाजा लगाते थे जब यहां से अंग्रेज गये कि अब यहां पर साम्प्रदायिकता इतनी ज्यादा पैदा हो जायगी कि इससे इस सरकार के पैर लड़खड़ा जायेंगे। लेकिन यही अधिकारी थे जिन्होंने उस समय शांति स्थापित की और एक नई दुनिया यहां पर बसाने का प्रयत्न किया। उनकी आप खुले दिल से और ठंडा पानी पीकर बुराई करते हैं। यही नहीं किया बल्कि अगर आप गौर से देखें और निष्पक्षता से देखें तो उन्होंने ही हमारी कितनी ही योजनाओं को सफल बनाया है। पंचायतराज की योजना जिससे इस प्रान्त का भविष्य बनने जा रहा है कितना सम्बल वह पकड़ गई है इसको स्वीकार करने की कोशिश करना चाहिये।

यही नहीं इन्हीं अधिकारियों के प्रयत्नों से हमने यह भी देखा कि जो क्रांतिकारी भावनायें पूर्वी जिलों में उठी थीं वह कहां चली गई। उनका आज पता नहीं है और इतना ही नहीं आज भी हमारा नियोजन का सबसे बड़ा काम जिस पर हमारा और हमारे प्रदेश का भविष्य निर्भर है उसको सफल बनाने के लिये हमारे अधिकारी कितने जोरों से काम कर रहे हैं। आलोचना करना तो आसान होता है लेकिन गुणों को देखना उदारता होती है। यदि गुणों को देखें तो आज जिन व्यक्तियों के लिये हम इस अनुदान में मांग कर रहे हैं वह आज १५,१६ और १७ घंटे अपने काम में लगे रहते हैं। उनके सामने एक भविष्य के लिये भावना है और प्रेरणा है और बहुत से बुढ़ापे तक में इतना काम कर रहे हैं। अन्त में एक दो शब्द और कह कर मैं बैठ जाऊंगा शिकायत तो हम हर बात की कर सकते हैं, भगवान राम चन्द्र जी के राज्य में भी जिसकी कल्पना हम आज करते हैं एक दो आदमियों ने शिकायत की थी तो आज शिकायत शिकायत तो हमारी भी हो सकती है यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं इतना कह कर बैठ जाऊठगा कि हमें जरा उदारता और निष्पक्षता से विचार करना चाहिये।

श्री सदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान पर बहस करते वक्त मुझे दुख है कि समय बहुत कम है और हम लोग अलग अलग विषयों पर बहस नहीं कर सकते। मैं आशा करूंगा कि जो अगला बजट हमारा आयेगा उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी अलग-अलग समय दें ताकि अलग-अलग विभागों का अध्ययन करके बहस की जा सके। आज सदन के सामने मैं सोचता था कि उधर की तरफ से लोग कम बोलेंगे और हम उधर से माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनेंगे ताकि जान सकें कि प्रांत

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

का भविष्य क्या होगा। उधर से भाषणों की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि अब तो डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन चुके हैं इसलिये और अब तो ५ साल को बात गई, दुनिया बदलती रहती है ५ साल में अब उसकी आशा इस वक्त तो गई। और आज जब मुख्य मंत्री जी भवन में बैठे हैं तो कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है कि इस सदन के सामने बजट पर आलोचना कर सके या बहस भी कर सके।

मैं जानता हूं कि इस प्रान्त के लिये खेद की बात है कि माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत के मुख्य मंत्री होते हुये इस प्रांत में जो कुछ हो रहा है उस को देख कर हमें बड़ा दुख होता है। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात न करके केवल एक दो सिद्धांत की बात ही बतलाऊंगा। गांधीवाद की बात यहां कही गई। मैं कहूगा कि गांधीवादी कभी गिरता नहीं है और जब वह गिरता है तो ऐसा गिरता है जैसे कि माननीय राम नरेश जी। न तो गांधीवाद में कुछ बनता है और न लेनिन की फैक्ट्री में कुछ बनता है। आप तो यह देखिये कि इस यू० पी० की फैक्ट्री में आज क्या बनता है। आज हम बढ़ते हुये नये नये विभाग देखते हैं लेकिन मैं एक माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण पढ़ रहा था जिसकी तरफ मेरी नजर पड़ गई वह मैं पढ़ कर सुनाता चाहता हूं। कमिश्नरी के अबालीशन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी सन् २७ में कहा था।

"I would further like to suggest that every Commissionership should be reduced or should be abolished. Of course, the Government will not find it easy to accept. I recollect what I read recently in a book of Mr. Higgs. He says that an old Minister used to tell him that it was as hard to get at adepartment to give up any staff as it was to get butter out of a dog's mouth."

[इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक कमिश्नर का पद या या तो कम कर दिया जाय या उत्सादित कर दिया जाय। निस्संदेह सरकार को यह स्वीकृत करना सुगम न होगा। मुझे स्मरण है जो मैंने अभी श्री हिग्ज की एक पुस्तक में पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि एक वृद्धमंत्री मुझसे कहा करते थे कि किसी विभाग से कर्मचारी को कम करना उतना ही कठिन है जितना कि किसी कुत्ते के मुंह से मक्खन निकाल लेना।]

यह हमारे मुख्य मंत्री जी ने कमिश्नर की पोस्ट्स के लिये कहा था। आज करीब २५ वर्ष हो चुके हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा है। मैं किसी के व्यक्तित्व पर नहीं जा रहा हूं। यह जो इतना रुपया हम कमिश्नर्स पर खर्च करने जा रहे हैं वह फ़जूल का खर्चा है। यह हम मुग़लों के समय में सुना करते थे कि वे दूर बैठे रहा करते थे और जिलों में वे अपने छोटे छोटे हिटलर्स को शायद कभी कभी हुकुम दिया करते थे। मैं कहता हूं कि इस कमिश्नर्स इंस्टिट्यूशन को खत्म किया जाय और इन लोगों को डैवेलपमेंट के काम पर लगाया जाय। ५ तो खत्म हो चुके हैं, ५ और हैं उन्हें भी खत्म करो।

अब ज़रा इन छोटे हिटलर्स के सिलसिले में भी कुछ कह डालूं। यहां प्रान्तीय एडमिनिस्ट्रेशिन में तो माननीय मुख्य मंत्री जी से किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती है कि उनसे कोई ग़लत काम करा ले। लेकिन जहां तक डिस्ट्रिक्ट की बात आजाती है मुझे दया आती है उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स पर, जिन पर जिले के कांग्रेसी लोग और एम० एल० ए० हावी होते हैं। जो चाहते हैं करा लेते हैं। इस प्रांत में एम० एल० ए० राज्य की चर्चा लखनऊ में नहीं बल्कि जिलों में होती है। इसलिये मैं इस भवन के फ्लोर पर मुख्य मंत्री से प्रार्थना करुंगा कि वह साफ साफ हिदायत दें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये, कि वह ईमानदारी से काम करें, यानी किसी के दबाव में न आवें। अगर कोई कांग्रेसी एम० एल० ए० ग़लत बात कहता है तो उसे न मानें, कोई सोशलिस्ट कहता है तो न मानें या कोई इंडिपैंडेंट कहता है तो न मानें। अगर आप इस प्रदेश की उन्नति चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम ऊपर उठें तो सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि जिलों के लोगों के ऊपर विश्वास हो और उनका सहयोग

हासिल करें, आज होता क्या है ? कुछ ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जो अनकमफ़र्म्ड (अस्थायी) हैं। यदि उनको कनफर्म कर दिया जाय तो कम से कम वे न्यूट्रल (निरपेक्ष) तो हो सकते हैं क्योंकि जब तक वे कनफ़र्म नहीं होते हैं तब तक वे तो किसी न किसी एम० एल० ए० के पीछे लगे ही रहते हैं कि वह हमको मुख्य मंत्री जी से कनफर्म करा देंगे। मेरे ज़िले में भी बदकिस्मती से एक अनकनफर्न्ड ऐसे आफिसर हैं। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह एक लम्बी चौड़ी फेहरिस्त हमको उन अनकनफ़र्न्ड लोगों की कल ही मिली है जिनसे कोई यह आशा नहीं कर सकता है कि वह लोग हमारी हुकूमत के चलाने वाली पार्टी के लोगों का साथ न दें। वे मजबूर हैं। यहां तक कि कभी कभी आपस में एम० एल० ए० लोगों में भी ज़िलों में झगड़ा हो जाता है, वह कहता है कि इसको परमिट दो और दूसरा कहता है कि इसे दो। इस तरह हमारे प्रांत की हुकूमत ठीक नहीं चल सकती है। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भला आपके रहते हुये यह प्रान्त न सम्भल सके ? आपको देखते ही लोग डरते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह डरते हैं। लेकिन आप क़सूरवारों को को भी छोड़ते हैं।

एक इबट्सन साहब हमारे यहां कमिश्नर थे। उन्होंने बड़े जुल्म किये थे। माननीय मुख्यमंत्री का मुकद्दमा एक बार उन्हीं की अदालत में हुआ। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के लिये ऐसे बुरे शब्द इस्तेमाल किये जिनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब से हुकूमत की बागडोर मुख्यमंत्री जी के हाथ में आई तो हम लोगों ने कहा कि साहब, यह आदमी ऐसा है तो पंडित जी बोले, अरे भाई जाने दो। यह उनकी आदत है और इससे मैं जानता हूं कि वह अफसरों को ठीक करना चाहते हैं। पर कर नहीं सकते आप चाहे जो कुछ भी करें परन्तु अफसरों को आपको ठीक करना हो होगा। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से यही प्रार्थना है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री (जिला गोंडा)––जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, साहब तीन बजने में अब सिर्फ ४ मिनट ही बाकी है, लम्बी बात कहने से गुरेज करके मैं दो तीन जुम्ला अर्ज कर दूं। उधर के बैठने वालों की बातों को बगौर सुना। जहां तक कमजोरियों का ताल्लुक़ है वह उनको अच्छी तरह से समझ गये और जहां तक दिक्कतों का सवाल है उनका ख्याल ही है जहां तक इस बजट का ताल्लुक़ है ४ करोड़ कुछ लाख का बजट है। इसके लिये एक हालत समझ में आती है। दोनों तरफ से दरख्वास्त की गई है, मैं भी अपने सबसे बड़े पोलीटिकल रहनुमा, इस हाउस के लीडर से दरख्वास्त करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि कमिश्नरों की पोस्ट्स को खत्म कर दिया जाय।

जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है हुकूमत में रहते हुये, इस सूबे में रहते हुये मैं आदी हूं सख्त से सख्त नुक्ताचीनी का। लेकिन जब आप नुक्ता चीनी करते हैं तो दयानतदारी का यह तकाजा है कि जहां भी कोई अच्छा काम हुआ हो वहां उसकी तारीफ करें। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि हमारे आनरेबिल चीफ मिनिस्टर चाहे जितना अच्छा बजट बनाकर लाये उधर के बैठने वाले कभी भी मुतमइन न होंगे जब तक कि वे वहां न बैठें जहां हम बैठे हुये हैं और वे हमारे लिये ही सामान मुहैया न करें। जहां तक कि कांग्रेस और सोशलिस्टों के तरीका कार और पालिसी का ताल्लुक़ है जनता ने उसका फैसला कि कौन तरीका कार अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, इलेक्शन के अन्दर ही दे दिया। जनता ने जो राय उस वक्त जाहिर की वह सारा सूबा जानता है। सारे सूबे में से वे बावजूद कोशिशों के चन्द लोग ही ला पाये। उन्होंने बता दिया कि आपकी रविश नामुकम्मिल है, आपके उसूल गलत हैं। मैं अपने लीडर आफ अपोजीशन से कहूंगा वह पार्टी के तो नहीं अपोजीशन ग्रुप के मेंबर हैं।

श्री राज नारायण––आदर्णीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारी पार्टी नहीं है बल्कि ग्रुप है जब कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कई बार कह दिया है कि हमारा ग्रुप नहीं पार्टी है और रिकगनाइज्ड पार्टी है और उसका एक वेल रिकनाइज्ड

लोडर है। ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य बार बार इस बात को कहा करते हैं। हम समझते हैं कि यह स्पीकर महोदय का अपमान है, सदन का अपमान है, और इस प्रकार के अपमान को हम सहन नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर मेरी कोई रूलिंग तो नहीं चाहते हैं। जितनी संख्या पर अपोजीशन पार्टी मानी जाती है यद्यपि वह संख्या तो आपकी नहीं है फिर भी सहूलियत के लिये आपकी पार्टी को मौका दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बहुत अनुचित तो नहीं है लेकिन अगर वे ऐसा करें तो बहुत सुन्दर होगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी—हुजूर वाला, मैं शुक्रगुजार हूं उस प्वाइन्ट आफ आर्डर का और उस पर जो फैसला हुआ उसका। मेरे पास वक्त बहुत कम है और अगर लाल झंडी दिख गई तो बैठ जाना ही पड़ेगा। मैं यह कह रहा था कि जहां तक अपोजीशन पार्टी का रविश का ताल्लुक इस बजट के सिलसिले में, इस गवर्नमेंट के सिलसिले में, उससे मैं देखता और बाहर उस रविश से, उस नीति से मुल्क को काफी नुकसान हुआ है। इस भवन के अन्दर समझ में नहीं आता आपकी कैसी रविश है, कैसी अदा है। आपका एतराज तो सिर्फ एतराज के लिये ही होता है। आप इसके आदी हैं और जिन्दगी के आखिरी वक्त तक आदी रहेंगे जो आपकी पार्टी है चाहे उसके उसूल के मालिक हों या खिलाफ हों, बहरहाल....

श्री मुस्तफा जालस खां—आन ए प्वायन्ट आफ आर्डर सर। आपकी कोई पार्टी इस ऐवान के अन्दर नहीं है जिसके मुताल्लिक इशारा हो रहा है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य का मतलब मुझसे नहीं है वे "आप" शब्द को विरोधी पक्ष के नेता के लिये कह रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी—हुजूरवाला, हमारा तीस मिनट वक्त इन दोनों हजरात ने ले लिया है इसलिये आप मुझे उतना वक्त दे देंगे। आप हुजरात ने एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने में और इस सूबे में अम्नोअमान को तबाह करने में जो नुमायां काम किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाय कम है। आपने हमारी जिन्दगी को बरबाद करने की ठानी है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य "आप" शब्द का व्यवहार कम करें क्योंकि इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी महोदय, मुझे चंद मिनट में यह अर्ज करना है कि अपोजीशन ने बहुत शानदार शब्दों में कहा है कि आपने ऐसे कायदे कानून बनाये हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बाल-बच्चे और उनकी औरतें अगर राजनीति में भाग लेंगी तो उनको भी सजा होगी। कमिश्नरों को हटा दिया जाय इस पर हमारे उपाध्याय जी ने बहुत जोरदार शब्दों में माननीय पंत जी को एक स्पीच पढ़ी जो कुछ दिन पहले उन्होंने दी थी कि कमिश्नरों का पद नहीं रहना चाहिये और कहा कि आज जब कि माननीय पंत जी शासन की कुर्सी पर खुद मौजूद हैं तो भी इन कमिश्नरों की पोस्ट मौजूद है। मैं अदब के साथ आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि बन्दूक बड़ी बुरी चीज है जब तक कि वह दुश्मन के हाथ में है। और जब हमारे हाथ में है तो वह बहुत अच्छी चीज है। उसके हाथ में बन्दूक रहना बहुत खराब है जो कि डकैती करता है किन्तु जो शेर का शिकार करता है उसके हाथ में शस्त्र होना बहुत अच्छी बात है। हुजूरवाला, अगर आपकी बात मान लें तो आप कहेंगे कि पुलिस तो अंग्रेजों की थी, ये सिपाही अंग्रेजों के थे, और अंग्रेज यहां से छोड़ कर चले गये इसलिए इनको भी निकाल दो। फिर आप कहेंगे कि यह भवन तो अंग्रेजों के वक्त मौजूद था और इसमें अंग्रेज बैठा करते थे इसलिये हम इसमें से भी निकल जायं। गीता का एक श्लोक है कि

"सक्ताः कर्मण्यविद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्ताः, चिकीर्षुर्लेकिसंग्रहम् ।"

भावार्थ यह है कि जिस प्रकार दुनियावी कामों में फंसा हुआ मूर्ख आदमी अपने लिए काम करता है ठीक उसी प्रकार दुनिया से निर्लिप्त विद्वान आदमी काम करे, लोक संग्रह के लिये अर्थात् संसार के कल्याण के लिये ।

आपको जवाब हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे और बहुत अच्छा उत्तर देंगे। हम उसमें अपना समय क्यों लगायें? ग्रान्थर ने कहा है कि एशिया में पडित जी से बढ़ कर जवाब देने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे अर्ज करना है कि हमें और आपको अपनी कमजोरियों को कबूल करना चाहिये। हमारे बहुत से माननीय मंत्रियों ने अपने विभाग की अपनी कमजोरियाँ कबूल की हैं। पहले यहां पर अंग्रेजों का विधान था, हमने अपना नया विधान बनाया और उसको सुधारने की कोशिश की। लेकिन सुधारने में कुछ वक्त लगता है। बिगाड़ना आसान होता है लेकिन बनाने में कुछ समय लग जाता है। अपनी कमजोरियों को कबूल करने के साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार ने जनता के लिये अब तक क्या-क्या किया है।

जनाबवाला, पब्लिक अब हमसे बड़ी आशा करती है। पहले तो पब्लिक यह समझती थी कि ये कांग्रेसी झंडा पताका वाले क्या करेंगे, इनके हाथ में है ही क्या? और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? लोग कहा करते थे कि "कहते हैं गांधी जी होम रूल लेंगे, दीवाना हो गये हैं गूलर का फूल लेंगे" लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद अब लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस के हाथ में सब कुछ है और कांग्रेस वाले सब कुछ कर सकते हैं। लोग जानते हैं कि कांग्रेस सरकार जनता की सब तकलीफों को फौरन दूर कर सकती है लेकिन नहीं कर रही है। उसको यह नहीं मालूम कि सरकार प्रांतवासियों के लिये सब सहूलियतें पहुचाना चाहती है और बहुत कुछ पहुचायी भी है किन्तु जितना चाहती है उतना नहीं पहुंचा पा रही है।

हमें इस बात का दुख है कि जहां कांग्रेस सरकार ने इतने अच्छे अच्छे काम किये वहां हमारा प्रचार कम हुआ। हमारा प्रचार विभाग और सूचना विभाग ठीक काम करता तो इस सदन में इतनी भी लाल टोपियां दिखलायीं नहीं पड़तीं। अगर हमें सचमुच मुल्क की भलाई करनी है, और कर रहे हैं, ईमानदारी से, अक्लमन्दी से तो कोई वजह नहीं है कि यहां एक भी लाल टोपी आ जाय। अगर हमारा एक भी विरोधी यहां आता है तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी जरूर है। उसको हमें दूर करनी चाहिये।

जनाबवाला, जमींदारी प्रथा चली गयी। अब देहातों में कवि, गाने वाले, और लेखकों की कद्र खत्म हुई। हमें अब उनकी सहायता करनी चाहिये उनसे प्रचार का काम अच्छी तरह लिया जा सकता है।

जनाबवाला, दो दिन पहले एक साहब ने फरमाया था कि चूंकि छोटे अफसर बड़े हो गये हैं, सिपाही से थानेदार, थानेदार से एस० पी० और एस० पी० से आई० जी० बन गये। लाल रोशनी हो गयी है और मुझे अपनी स्पीच दो मिनट में खत्म करनी है इसलिये कई प्वाईंट छोड़ देता हूं। तो मैं कह रहा था छोटे बड़े हो गये। लिहाजा काम में खराबी आ गयी। यह कोई बात नहीं है। स्वराज्य सबके लिये हुआ। फलस्वरूप सबका उत्थान हुआ अगर कांग्रेस वाले छोटे से बड़े हो गये, तो सिपाही से अगर कोई अफसर हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो प्रसन्नता की बात है। अन्त में मेरी गुजारिश यह है कि जहां ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर अफसरों को भी बतलाया जाय कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्यूनलिज्म वगैरह क्यों हैं। आज कल के समय में उपयुक्त नहीं हैं। अगर हमारा प्रचार का तरीका यूं चले तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। लाल रोशनी जल रही है इसलिये अभी कुछ समय बाकी है

[श्री सीताराम शुक्ल]

मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा कि गढ़वाल से गंगा निकली और सब के पापों को नष्ट किया तथा सबको आनन्द दिया और आज जब भुखमरी चल रही है तो नैनीताल निवासी हमारे माननीय पं० गोविन्द बल्लभ पंत यहां आये और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आपकी हुकूमत में सबको सुख मिलेगा। महाभारत में संजय ने कहा था कि:—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।।

जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां पार्थ ऐसा धनुर्धर है वहां विजय, श्री, लक्ष्मी स्वभावतः हो जायंगी। आज मैं अर्ज करता हूं कि जहां धुरंधर विद्वान, बुद्धिमान उत्तम वक्ता, अच्छे चरित्र वाले हमारे मुख्य मंत्री पं० पंत हैं और जहां माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी सज्जन सच्चरित्र जैसे उत्तम लेखक, अच्छे वक्ता हमारे सूचना मंत्री हैं, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी ? मिलेगी और जरूर मिलेगी।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में कदाचित भाग लेने की चेष्टा न करता यदि मेरी यह धारणा न हुई होती कि जिस स्तर पर इस विवाद को जाने की आवश्यकता थी उस पर यह नहीं जा रहा है। सामने की बेंचों से हमारे जिन माननीय सदस्यों ने इस अनुदान के संबंध में भाषण किया उसे मैंने सुना। हमारे मित्र और भाई विरोधी पक्ष के नेता श्री राजनारायण सिंह जी का भी भाषण मैंने सुना। उन्हीं को अधिक समय मिला और उन्होंने कुछ मौलिक बातें इस अनुदान के संबंध में वादविवाद में पेश की जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि हमको भी और उनको भी विचार करना आवश्यक है और इसी कारण मैंने इसमें कुछ भाग लेने की धृष्टता की है।

मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं उनका भाषण बराबर सुनता रहा हूं। बराबर वह बोलते रहे हैं। परन्तु आज का जैसा उनका भाषण हुआ था, जो असंबद्धता और विश्रंखलता से भरा हुआ था, वैसा कभी पहले नहीं हुआ था। इस विवाद में वे कुछ सुझाव देते, या इस सरकार के संचालन में कोई नयी बात बताते जिससे कि जनता का भी कल्याण होता और सरकार भी उससे प्रकाश ग्रहण करती। परन्तु उन्होंने शुरू किया लेनिन से, गांधी जी का नाम लिया, जनतंत्र का भी नाम लिया, विकेन्द्रीकरण का भी नाम लिया, सत्याग्रह भी आ गया, फ्रांस की राज्य क्रांति भी आ गयी, इनका एक दूसरे से क्या सम्बन्ध था यह विशेष समझ में नहीं आया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने जनतंत्र की जो बात कही और उसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को जोड़ दिया, उसका उनका क्या अर्थ था। मैं जानना चाहता था कि क्या दुनिया में कोई ऐसी सरकार भी है, इस जगत में कोई ऐसी व्यवस्था भी है, शासन की कोई ऐसी नीति भी है जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी जनतन्त्र बरता जाता हो। क्या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें यह अधिकार होता है कि वे जब जो विचार चाहें प्रकट करें ? विचारों की स्वतन्त्रता, कार्य करने की स्वतन्त्रता और अपने मत को अभिव्यक्त करने की ऐसी स्वतंत्रता उनके भीतर हो कि सरकार की चाहे कोई नीति हो परन्तु वे जैसे चाहे अपने विचार प्रकट किया करें ?

उन्होंने विकेन्द्रीकरण की भी बात कही, गांधी जी के नाम का भी उल्लेख किया। हम सब जानते हैं कि गांधी जी विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती थे। उन्होंने एक नयी विचारधारा, राजनीतिक भी और सामाजिक भी जगत के सामने रखी जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि सचमुच सच्चा जनतंत्र वास्तव में, शक्ति के, पूंजी के और उद्योग धंधों के साधनों के विकेन्द्रीकरण से ही हो सकता है। समाज की उन्नति में एक प्रकार से उनके विचारों की एक खास और आवश्यक देन थी जगत की सभ्यता के लिये और उन्होंने इन विचारों को हमारे सम्मुख उपस्थित किया। अब तक समाजवादी विचार धारा अथवा लेनिन जिनका नाम राज नारायण जी ने लिया उनकी विचारधारा पर आप दृष्टिपात करें तो वह विकेन्द्रीकरण

की ओर ही अग्रसर होती है। वह उद्योग-धंधों का भी विकेंद्रीकरण चाहती है, उत्पादन के साधनों का भी विकेंद्रीकरण चाहती है, एक केंन्द्रित शासन व्यवस्था भी चाहती है। इस लक्ष्य को सामने रख करके कि इसी केन्द्रित शासन व्यवस्था से एक दिन वह समय आयेगा जब संसार से शासन व्यवस्था ही उठ जायगी, कोई स्टेट रह ही नहीं जायगी, स्टेट्स "विदर अवे" कर जायेंगी आज उसके प्रमाण मौजूद हैं। रूस में जाइये, एक समाजवादी सरकार वहां है। क्या उससे बढ़कर केंन्द्रित शक्ति पर अवलम्बित सरकार ससार में और कहीं है? जहां कहीं भी इस प्रकार के समाजवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर सरकार का सगठन हुआ है, वहां इसी प्रकार केन्द्रीयकरण की ओर प्रगति हुई है। यही प्रगति आप चीन में देख रहे हैं। हमारे देश में प्रजातत्र की बुनियाद रखी गयी और जनतत्र की बुनियाद रखी गयी इस आधार पर कि इस देश का प्रत्येक बालिग चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपने देश की सरकार बनाने में अपना मत व्यक्त करे और उसी बुनियाद पर यहां एक जनतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। यह जो हमारा आदरणीय सदन है जिसमें हमारे योग्य माननीय सदस्य, प्रतिनिधि चुनकर आये हैं ये ऐसे ही बालिग मताधिकार पर चुनकर आये हुये हैं। क्या आज इससे बढ़कर कोई जनतांत्रिक शासन व्यवस्था दुनिया के किसी कोने में है?

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है मैं तो नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा अपने माननीय भाई से कि यद्यपि सरकारी कर्मचारियों को अपने विचार के अभिव्यक्त करने की एक प्रकार से आज्ञा और अनुमति कोई सरकार नहीं देती परन्तु साथ ही साथ ऐसी समाजवादी सरकारें हैं जो सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर साधारण नागरिक को भी अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार नहीं देतीं। रूस की सरकार की ओर दृष्टिपात कीजिये, चीन की सरकार की ओर दृष्टिपात कीजिये। वे तो साधारण नागरिक को भी अपनी सरकार के विरुद्ध मत व्यक्त करने की, उसके विरुद्ध चलने की और उसकी टीका टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देती हैं, सरकारी कर्मचारियों की बात तो दूर है। आज इस देश में जिस प्रकार की जनतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है उसमें कितनी स्वतंत्रता मत को व्यक्त करने की, कितना अधिकार अपने विचारों को सामने रखने का, कितनी शक्ति लोगों को प्राप्त है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमारे और आपके इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था का आदर करते हैं। उसकी प्रशंसा करते हैं। और देशों के लोगों के विचारों को आप देखें कि हमारे और आपके गौरव को कितना दूसरे देशों के लोग मानते हैं और कहां तक हमारे इस प्रयोग को वे सफल समझ रहे हैं। रही सरकार की बात। वह सरकार हमारे प्रांत में मौजूद है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आयी है। वह सरकार अपने सामने एक लक्ष्य रखती है। वह वही लक्ष्य है जिस लक्ष्य को महात्मा गांधी ने हमको और आपको सबको समझाया है और बताया है और जिस लक्ष्य के लिये हमने वर्षों तक युद्ध किया और देश में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। वह लक्ष्य यही है कि इस देश के प्रत्येक नर-नारी का जीवन स्तर ऊंचा हो, प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, जीवन के लिये जो बहुमूल्य आवश्यक समादान और उपादान हो सकते हैं उन सबका उपयोग करने का अवसर सबको समान रूप से प्राप्त हो और इस देश में जनतंत्र का एक ऐसा वृक्ष फूले फले जिसकी छत्रछाया में प्रत्येक नर नारी, चाहे अमीर हो या गरीब हो समान रूप से अवसरों का उपभोग करने के लिये शक्ति रखता हो। हमारे सामने यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा और आपका सब का कर्त्तव्य है कि इस लक्ष्य को पूरा करने की हम चेष्टा करें।

जहां तक हमारे शासन व्यवस्था के यंत्र का सम्बन्ध है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। यह हम और आप सब जानते हैं कि हमारे पीछे एक इतिहास रहा है। एक इतिहास के बहाव में बहते हुये हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। उस इतिहास का एक स्वरूप रहा है और

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

उस स्वरूप का परिणाम यह है कि आज इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सामने मौजूद है और यह यत्र भी मौजूद है जिसके द्वारा हम और आप काम लेना चाहते हैं। इस देश में कोई हिंसात्मक क्रांति नहीं हुई। गांधी जी ने एक पथ दिखलाया। हम उसी पथ से चले हैं। जब कि हम अपने शत्रु को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे, अपने देशवासियों की कौन कहे। वह यंत्र हमारे सामने मौजूद है और आपको विश्वास होना चाहिए कि इस देश का जो निवासी है, इस देश के अनाज से जो पल रहा है, इस देश की भूमि पर जो जीवित है, यहां के वातावरण में जो जीवित है वह हमारे और आपके समान ही देशभक्त होगा, ऐसा होना ही चाहिए। हमारे और आपके ही घर के लोग सरकारी अधिकारियों और कर्मचरियों में भी होंगे। देश का उत्तर दायित्व उन्हें भी उठाना होगा और समान रूप से वे उसी प्रकार जिम्मेदार हैं जिस प्रकार से हममें से कोई भी देश के प्रति जिम्मेदार हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति उसमे से निकम्मा हो, नालायक हो, अथवा हमारे गौरव के विरुद्ध कार्य करने वाला हो वह दाड़ित होगा, दाड़ित् होता रहा है।

एक बात मैं बहुत नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि यहां के शासन यंत्र के सदस्यों के संबंध में हमारे देश के दूसरे प्रदेशों के लोगों की धारणा क्या है। इसका हमको और आपको थोड़ा बहुत अनुभव होगा। हम जानते हैं कि अनेक प्रांतों में हमारे प्रदेश के न जाने कितने कर्मचारी योग्य कर्मचारी समझ कर और यह समझकर कि अधिक सफलता के साथ जनहित का कार्य कर सकते हैं, बुलाये गये हैं, गये हुये हैं और सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं हम तो अपने को और इस प्रदेश को इस मामले में भाग्यवान समझते हैं कि हमारे इस प्रदेश के राज्य का नेतृ व और उसका सूत्र एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके चरित्र और व्यक्तित्व का प्रभाव न केवल हमारे ही और आप पर बल्कि सारे शासन पर पड़ रहा है। उस प्रभाव को अधिक से अधिक तीव्र करने की चेष्टा हमारी और आपकी होनी चाहिये और यदि शासन के यंत्र में कोई त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को दूर करके एक ऐसी व्यवस्था का संचालन करने में सफल होना चाहिये जिससे देश का कल्याण हो सके, यहां के निवासियों का कल्याण हो सके और हमारा उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से सदा से हमारे सांस्कृतिक इतिहास में अग्रणीय रहा है वैसे ही इस स्थिति के इस युग में, नवनिर्माण के कार्य में, नये जीवन की रचना में भी अग्रसर हो सके।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९१७ में जब रूस में पहली महान् समाजवादी क्रांति हुई थी तो वहां के नेताओं ने एक नारा बुलंद किया था "All power to the soviets" पंचायतों के हाथ में तमाम राजसत्ता निहित होनी चाहिये। २२ वर्ष की खानाजंगी के बाद जब नये चीन का जन्म हुआ तब वहां पर भी एक नारा बुलन्द किया गया "All power to the peoples Committees' (जन समितियों के हाथ में समस्त शक्ति हो) वैसे ही हम भी उम्मीद करते थे कि जब कांग्रेस के नेताओं के हाथ में देश की बागडोर आयेगी तो वे कांग्रेस कमेटियों को जनता का प्रतिनिधि मानकर नारा लगायेंगे कि "Ali power to the congress committees" (कांग्रेस समितियों के हाथ समस्त शक्ति हो) लेकिन यह बात नहीं हुई। मेरी समझ में कांग्रेसी नेताओं ने सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गल्ती तथा सबसे बड़ा धोखा देश के साथ यही किया। अब आज वह स्थिति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय—मैं आज आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों का, माननीय मुख्य मंत्री का और उनकी अगल बगल में बैठे हुये अन्य मंत्रियों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उनकी निगाहों में कांग्रेसी नेताओं की कांग्रेसी एम० एल० एज० का जिला कांग्रेस कमेटियों के प्रेसीडेंटों और सेक्रेटरियों की वह कदर नहीं है जितनी कि उनकी निगाहों में कलेक्टर की, कप्तान की और दो पैसे के छोटे छोटे सरकारी कर्मचारियों की है। आज राज सत्ता कांग्रेसजनों के हाथ में नहीं है, कांग्रेस के हाथ में भी

नहीं है। कांग्रेस मेम्बरों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज एक मौका उन्हें आत्म परीक्षण (सेल्फ इंट्रौस्पैक्शन) का है जो उन्हें करना चाहिये। राजसत्ता जनता के हाथ में आनी चाहिये आज यहां के मजदूर और किसानों के हाथ में गवर्नमेंट नहीं है। चीन में पीपल कमेटी के हाथ में गवर्नमेंट आगई है। पीपुल का उनका अपना अर्थ अलहदा है।

सन् १९४२ के ऐतिहासिक अगस्त प्रस्ताव में जहां तक मुझे याद है, जिसे पास कराने में माननीय मुख्य मंत्री जी का भी हाथ था, यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद हिन्दुस्तान की राज सत्तामजदूर और किसानों के हाथ में, फैक्टरियों और कारखाने, और खेत खलिहानों में काम करने वाले मजदूरों व किसानों के हाथ में निहित रहेगी। लेकिन आज राजसत्ता उनके हाथों में नहीं है और न कांग्रेस कमेटी के हाथ में ही है।

जब अंग्रेजों से हमारी स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा था, तमाम लोगों ने जो प्रगतिशील थे चाहे वह कम्युनिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे क्रांतिकारी हों और चाहे दूसरे प्रगतिशील लोग सबके सब मिल कर कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्र थे और संयुक्त मोर्चे के रूप में कांग्रेस को साम्राज्यवाद विरोधी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्लेटफार्म समझकर लड़े थे। लेकिन आज कांग्रेस से ही बहुत से लोग निकल चुके हैं। अतः कांग्रेस आज पहले जैसी नहीं है। इसलिये आज वह नारा "All power to the congress committees" (कांग्रेस समितियों के हाथ समस्त शक्ति हो) नहीं लगाया जा सकता है। वह प्रगतिशील न होगा।

उतना समय नहीं है कि मैं उन तमाम बातों के ऊपर जा सकूं और उनका उत्तर दूं जिनका जिक्र श्री कमलापति जी ने अभी अभी किया है। लेकिन एक बात है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हमारी जनता के हाथ में सत्ता नहीं है, ग्राम पंचायतों के हाथ में सत्ता नहीं है, जिला पंचायतों के हाथ में सत्ता नहीं है, सूबे की पंचायत के हाथ में सत्ता नहीं है अखिल राष्ट्रीय पंचायत के हाथ में भी सत्ता नहीं है, ज़िले का मालिक आज कलेक्टर होता है, जिले का मालिक कप्तान है न कि जिले की राज सत्ता जिले के चुने हुये लोगों के हाथ में है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और तमाम मंत्रियों से अपील करूंगा कि वह इस चीज को बदलें और नये राष्ट्र का निर्माण करें। अंग्रेजों ने जिस साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामन्तवादी राजतंत्र को हिन्दुस्तान में अपनी हुकूमत कायम रखने के लिये, हिन्दुस्तान की जनता का खून चूसकर हिन्दुस्तान को सफेद करने के लिये, कायम किया था, उसी को आज कायम रखकर किसी प्रकार की भलाई की आशा करना एक दुराशा है, और मिथ्या है। इसलिये हम चाहते हैं कि आज देश का एक नये ढांचे के रूप में निर्माण किया जाय एक नये राजतंत्र के अनुसार के तमाम ताकत जनता के हाथ में हो ज़िला कलक्टर और तमाम सरकारी अधिकारी चुने जायं और निर्वाचित हों। तमाम सरकारी अहलकार चुने हुये हों। ऊपर से नियुक्त अधिकारी निरंकुश होते हैं। आज जिले का कलेक्टर, जिले का कप्तान जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। वह देखता है ऊपर के अधिकारियों की ओर, उनको जनता का ध्यान नहीं रहता। यह बुनियादी चीज है जिसकी ओर मैं सरकारी बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों और मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बुनियादी गल्ती को कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण के समय किया था, अगर इसका निराकरण नहीं किया गया तो देश की भलाई करना अगर आप चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के इस बजट को इस आदरणीय सदन के सम्मुख उपस्थित करने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस समय विचारणीय केवल सामान्य प्रशासन बजट के लिये ही नहीं बल्कि १९५२–५३ के सारे ही बजट के लिये, क्योंकि ज्वान्ट रिसपांसिबिलिटी है और

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

लगभग सारा ही उत्तरदायित्व अधिकांश रूप में उनके ही कंधों के ऊपर है, मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं । जैसा कि मुझसे पूर्व माननीय श्री कमलापति जी त्रिपाठी ने अपने भाषण में बताया, यह निर्विवाद है कि आज हमारे प्रदेश के सौभाग्य से यहां का शासन संचालन देश के एक तपस्वी और सच्चे नेता के हाथ में है। अब मैं कुछ बातों की ओर सुझाव के रूप में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं। सामान्य प्रशासन के ऊपर ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने की जिम्मेदारी आती है क्योंकि सारे ही विभागों का संचालन किसी न किसी रूप में यही से होता है।

मैं सारे प्रदेश की बातों की ओर न जाकर केवल विलीन रियासतों की ओर ही माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। विलीन रियासतों की जनता को लौहपुरुष स्वर्गीय सरदार पटेल की एक बड़ी ही अनुपम नीति निपुणता के फलस्वरूप स्वराज्य प्राप्त हुआ और वह इस प्रदेश का अंग बन गई। लेकिन आज तक भी वहां के जन साधारण को ऐसा महसूस नहीं हो पाया है कि वे कूप मंडूक से निकल कर विशाल समुद्र में जा मिले हों निश्चय ही अभी तक तो किसी न किसी रूप में कुछ सरकारी विभागों की उपेक्षा के कारण, वहां के लोगों को ऐसा लगा है कि वह पुराने सामन्तशाही शासन से मुक्ति पाकर एक जनतंत्रीय शासन के अन्तर्गत नहीं आयें बल्कि मुझे हार्दिक खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनके साथ, उनको कुछ दुराव जैसा बर्ताव होना लग रहा है और वह अपने को एक कांक्वर्ड (विजित) की हैसियत में विजेता (कांकरर) द्वारा शासित किया जाना पा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी मंत्रियों ने इस बात का समय-समय पर विश्वास दिलाया है कि जो सुविधाएं रियासतों की जनता को रियासती शासन में थी न केवल वह कायम रहेगी अपितु उनसे बेहतर सुविधायें उनको दी जायंगी, लेकिन बार-बार मुख्य मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाने पर और उनके आदेश देने पर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विभागों की ओर से उनके आदेशों की अवहेलना होती है । विभागों के अधिकारी यहां बैठ कर केवल यह सोच लेते हैं कि यह नये छोटे छोटे जिले हैं, जैसे अगर और जिलों के लिये आदेश चलते हैं उसी के अनुपात से इन नये जिलों के लिये भी भेज दिये जाते हैं । लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि किसी पुराने जिले में जैसे बरेली या मुरादाबाद या कहीं और कोई भी और कैसा भी परिवर्तन शासन प्रबन्ध में हो उससे कोई विशेष अन्तर नहीं ड़ता, परन्तु उन नये जिलों के विषय में साधारण रूप में विचार नहीं होना चाहिये । वहां तो प्रत्येक सरकारी अफसर को इस दृष्टि से भेजा जाना चाहिये कि वह वहां पर पूर्वापेक्षा अच्छा असर शासन का जनता पर डालने की कोशिश कर सकें और इस बात का ध्यान रख सकें कि वहां की जनता ऐसा न महसूस करे कि किसी तरह से भी उसके साथ अन्य स्थानों की अपेक्षा भेद का व्यवहार किया जा रहा है ।खास करके रामपुर के बारे में मैं अनेक उदाहरण अपनी इस बात की पुष्टि में दे सकता हूं, परन्तु समय का अभाव है, अतः अति विनम्र निवेदन है कि सरकार द्वारा इसकी जांच की जाय । यदि किसी और रूप में नहीं तो एक कमेटी इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्यों और सरकारी अधिकारियों की बनाई जावे जो इन तीनों विलीन रियासतों के बारे में वहां जा-जा कर वहां की समस्याओं की अच्छी तरह से जांच करे और उनकी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री के दे सकें जिससे यह तीनों रियासतें प्रदेश के अन्य भागों की बराबरी के दर्जे पर आ जायं और किसी रूप में भी प्रदेशीय शासन के लिये एक विशेष प्रकार का सरदर्द न बनी रहें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का समय लेनिन और गान्धीवाद के सिद्धांतों में नहीं गुजारना चाहता हूं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में आपके द्वारा ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि जिससे इस सदन के सदस्यों का और इस प्रान्त के निवासियों का इस विषम परिस्थिति में कल्याण हो सके । इस सदन में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने यह बतलाया था कि कमिश्नरों का स्थान अब यहां पर नहीं रहना

चाहिये । कई वर्ष पहले भी और पिछले वर्ष भी उन्होंने यह बताया था कि उनकी उपयोगिता क्रमशः अब हलकी होती जा रही है । जब हम इस बजट में अब भी उनके स्थानों को पाते हैं तो बजाय इसके कि हमारी आशा आगे की तरफ बंधे कि अब सुधार होगा, विपरीत इसके नीचे की तरफ जा रहे हैं । सरकार द्वारा रेवेन्यू की एक्टीविटीज के सिलसिले में एक पैम्फलेट छपा है । इसमें इस बात का जिक्र है कि सारा कारोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो था वह सब कमिश्नरों के हाथ से निकाल कर लैंड रिफार्म कमिश्नर के सिपुर्द कर दिया गया है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रान्त का इतना बड़ा धन जब कि आज इतनी आर्थिक कठिनाइयां हैं, और खास कर उन पूर्वी जिलों में जिनका नाम लेना भी मेरे कुछ दोस्तों को खलता है, बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं । मुझे इस वास्ते उन जिलों का नाम लेना पड़ता है कि वहां पर जो दयनीय वास्तविक स्थिति है उसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है । इस वास्ते इतना धन बजाय इसके कि इन कमिश्नरों पर खर्च किया जाय पूर्वी जिलों में खर्च हो तो बहुत अच्छा होगा । अगर इस खर्चे को निकाल कर उन निवासियों पर जिनके बदन पर चिथड़ा नहीं है , जो न मालूम कितने दिन से भूखे मरते रहते हैं अगर यह रुपया उस तरफ लगा दिया होता तो प्रान्त के इन दुखी नर नारियों का बहुत कल्याण होता और हम इस सूबे के रहने वाले और इस सदन के जितने सदस्य गण हैं उनके संतोष को कुछ नजदीक कर लेते ।

यह भी कहा जाता है कि सरकार के साधारण कार्य में सुधार किया गया है । ठीक है यह हो सकता है, मैं भी मानता हूं कि सुधार हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हमारे सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं जिनसे हम सोचते हैं कि उस तरफ शायद सरकार का ध्यान ही नहीं गया है । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का आप प्रबंध करते हैं लेकिन वह एरिया जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वहां कि आबादी २५ लाख है और वह काफी दायरे (क्षेत्रफल) को कवर करता है और लुत्फ तो यह है कि वह जिला प्राकृतिक रूप से अब दो हिस्सों में बंट गया है । एक तो राप्ती का दक्षिणी क्षेत्र है और दूसरा उत्तरी राप्ती क्षेत्र कहा जाता है ।

तहसील बांसी जहां का मैं निवासी हूं और जहां की जनता का मैं प्रतिनिधित्व भी करता हूं, वहां के एस० डी० ओ० बांसी में अपना हेडक्वार्टर न बना कर ३२ मील दूरी पर बस्ती में जा कर रहते हैं। वह रक़बा नैपाल की तराई तक जाता है । विचार करने की बात है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की यह अनुदान है और जरा सोचने की बात है ६० मील के फ़ासले से किस तरह से लोग बस्ती पहुंचते होंगे । बरसात के और चौमासे के जमाने में नदी पार करने में कैसी उन पर बीतती होगी और किस तरह से वह गोरखपुर और गोंडा हो कर जाते हैं। यह सोचने की बात है कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता होगा। जब हम और जगह का उदाहरण देखते हैं कि हेडक्वार्टर एस० डी० ओ० का तहसील के कोने में है तो जब हम बांसी तहसील में उसको नहीं पाते तो स्पष्ट बात है और अनुमान करते हैं कि आखिर इतनी दूर की मंजिल को पार करके यह शासन किस तरह से क्षमतापूर्वक और सफलता पूर्वक चल सकेगा। कमिश्नरों को अलग करना होगा और उनको उचित स्थान पर पहुंचाना है और भी अहलकारान हैं जिनको देखना है सरकार का दबदबा है ख्याति है और दूर तक आपकी प्रशंसा है लेकिन दूसरी तरफ़ हम देखते हैं और तमाम अहलकार पूर्ण रूप से जानते है और जनता जानती है गोरखपुर और देवरिया के ऊंचे दर्जे के अफ़सरों के खिलाफ़ वहां कितनी गुनगुनाहट है और कितनी मर्मांरह है । शायद काफ़ी हद तक यहां की सरकार भी जानती होगी ।

मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि आप के पदाधिकारी जिन पर आप को भी भरोसा है और हमारा भी भरोसा है वह वहां पहुंच कर अपने फ़रायज को कहां तक अंजाम देते हैं और कहां तक फ़र्ज़ की अदायगी

[श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी]

में खामी करते हैं। गोरखपुर और देवरिया की तरफ इस सिलसिले में अधिक उद्योग और देखभाल की जरूरत है। मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में अपने जिले की शिकायत इतनी नहीं करता जितनी उक्त जिलों की शिकायत मेरे सुनने में आती है। यद्यपि काफ़ी सहायता हमको मिली है और हम आशा करते हैं कि एक दो लाख नहीं ५० लाख भी दे दें तो इन ५ महीनों में अगहन तक वह बस्ती के भूखों और बिलखते लोगों के लिये काफ़ी न होगा। अगर हम उनकी तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं तो यह मुख्य मंत्री जी की विडम्बना होगी, इस सरकार की विडम्बना होगी।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सामान्य प्रशासन के संबंध का अनुदान जो आज पेश है उसके लिये मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही जहां तक शासन को चलाने की बात है हमारे मुख्य मंत्री जी को शासन चलाने के लिये मेशीनरी तो वही पुरानी मिली है जो ब्रिटिश काल में थी। सिर्फ उसको चलाने वाले हमारे मुख्य मंत्री जो नये हैं और मुख्य मंत्री जो अपनी योग्यता से ठीक से चलाने का बराबर ही प्रयत्न कर रहे हैं और जहां जहां तक सम्भव है हो सका वह बहुत काफी अंश तक सुधार की कोशिश कर रहे हैं वह सुधार भी कर लाये हैं। कुछ कमियां उसमें अब भी बाक़ी हैं वह मानी जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी बहुत जल्द कोशिश करके इन कमियों को भी दूर करने की कृपा करेंगे। जहां तक कि सरकारी अफ़सरों की बात है उनमें ईमानदार भी हैं और किसी हद तक ऐसे भी हैं जो हमारे शासन को ठीक से चलाने में बराबर ही रोड़ा अटकाते हैं। उनके बारे में मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी प्रत्येक जिले से सूचना प्राप्त कर उन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। जिलों में गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है जिससे वहां की जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है और वह यह समझने लगी है कि हमारी जनप्रिय सरकार इन गुंडों को नहीं दबा सकती। इसकी वजह से हर भला आदमी अपनी इज्जत को खतरे में समझता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत ही नम्रनिवेदन करूंगा कि वह इस गुंडाशाही को रोकने के लिये कड़े से कड़े क़दम उठावें और जिलों के कर्मचारियों को आदेश दें कि वे इसे जल्द दबाने का प्रयत्न करें। इससे हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी कठिनाई हल हो जावेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, और इससे शायद सभी माननीय सदस्य वाक़िफ़ हैं, कि जहां तक हथियारों की बात है गुंडों के पास हथियारों की कमी नहीं है। लेकिन भले आदमियों के पास बल्लम और तलवार इत्यादि तक रहने को कानूनन मनाही है, उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है। जब कि गुंडों के पास बिना लाइसेंस कितने ही हथियार हैं और वे उपद्रव मचाते हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि हथियारों के लाइसेंस की कोई नयी नीति अपनाई जाय। मुख्य मंत्री जी ने २४ मई को जो अपना बख्शी के तालाब पर भाषण दिया था उसमें यह कहा था कि गुंडों से हिफाजत के वास्ते लाइसेंस दिया जाय। हम समझते थे कि वह बात अमल में आवेगी लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। हर आदमी को लाइसेंस देना भी कठिन है यदि प्रत्येक गांव में कुछ भले आदमियों को लाइसेंस दे दिये जावें तो इससे चोरियां और डकैतियां बहुत हद तक रुक सकती हैं और इससे हमारे शासकों को एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जायगी।

जहां तक शासन करने की बात है, हमारे मुख्य मंत्री जी का बहुत ही विशाल हृदय है और होना भी चाहिये। अभी मदनमोहन उपाध्याय जी ने एक मिसाल पेश की। जब वह पकड़े गये तो किसी कर्मचारी या अफ़सर ने उनके प्रति बहुत ही भद्दे शब्द कहे और जब उनसे छूटने के बाद यह कहा गया कि उसका एवज लेना चाहिये तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी इसी तरह की लिस्ट बना रही होगी और जब कि उनकी हुकूमत आवेगी तो वे उसका कर्मचारियों से बदला लेंगे। मैं समझता हूं कि यह भावना बहुत ही ग़लत है और इसे निकाल देना चाहिये। एक तरफ़

तो जनप्रिय होने की बात कही जाती है और दूसरी ओर ऐसी भावना अपने अन्दर रखने की बात कही जाती है । मेरी राय में यह बहुत ही छोटे हृदय की बात है । अगर किसी ने मुझसे व्यक्तिगत कुछ बुरी बात कही तो उसको झलक शासन के कामों में नहीं आनी चाहिये । जनता के हित की बात सोचनी चाहिये और अगर कोई कर्मचारी शासन की अवहेलना करता है या उसे ठीक से नहीं चलाता है तो अवश्य ही उसे दंडित किया जाय, न कि हम अपनी व्यक्तिगत बातों को देखें ।

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री अवश्य ही मेरी बातों पर ध्यान देंगे और जनता के सामने और भले आदमियों के सामने जो जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न करने की कृपा करेंगे ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विवाद और इसका अनुदान एक ऐसे व्यक्ति से संबंध रखता है जिसका केवल इस प्रदेश में ही महत्व नहीं है सारे देश में महत्व है । मैं उस अनुदान की तफ़सील में जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तफ़सील में जा कर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं । एक भी कौमा उसका बदल नहीं सकता हूं । जब कुछ कम कर ही नहीं सकता हूं तो फिर बेकार कोशिश करने में नहीं जाऊंगा । कुछ शास्त्रार्थ की बातें भी हुईं उनमें भी अपना और हाउस का समय बरबाद नहीं करना चाहता । यह बात ठीक है कि उसके उत्तर देने की जरूरत है । मैं एक ही बात का उत्तर देना चाहता हूं जो हमारे माननीय पुराने मित्र, कहने का मुझको हक़ है, श्री कमलापति त्रिपाठी ने भवन के सामने जो बातें पेश की । हमारा हिन्दुस्तान का राज्य एक वैलफेअर स्टेट कहा जाता है । सिक्यूरिटी का वक्त तो अब बीत चुका है । ऐसा माननीय त्रिपाठी जी मानेंगे । गोरवाला कमेटी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि सिक्यूरिटी का वक्त अब हिन्दुस्तान में पूरा किया जा चुका है और अब इक्वेलिटी का वक़्त आ गया है और उसी की तरफ हुकूमत को बढ़ना चाहिये । हुकूमत को मैं इसी कसौटी पर तौलता हूं और देखना चाहता हूं कि वह समता की ओर जा रही है या विषमता की ओर । मैं अपने शब्दों में नहीं, गोरवाला कमेटी के शब्दों में कहना चाहता हूं । अगर आप का राज्य समता की ओर जा रहा है तो वह राज नारायण जी का जवाब होता लेकिन यदि समता की तरफ नहीं जा रहा है विषमता की तरफ़ जा रहा है तो ख़तरा है सबसे ज्यादा कमलापति त्रिपाठी जी को , हमारे लिये वह ख़तरा कम है ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता था कि किसी भी प्रजातंत्रवाद में सिविल सर्वेन्ट्स का एक स्थान होता है । जो लोग सरकार का काम करते हैं, सरकार का काम करने वालों के बारे में, गोरवाला साहब की स्पष्ट राय है कि जिस तरह से ये सर्विसेज चलाई जा रही है वह ग़लत है । उन्होंने यह चीज़ केवल केंद्र के लिये ही नहीं कही बल्कि सूबों के लिये कही थी और कहा कि कभी भी इस तरह से किसी काम में भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती । जो नीचे डिप्टी और तहसीलदार साहब थे उनको कलेक्टरों की जगहों पर या दूसरी बड़ी बड़ी जगहों पर रख दिया जाता है तो फिर वह ऐफीशियेंसी और ईमानदारी के साथ, जैसा कि सरकार का इरादा है कैसे काम कर सकते हैं ? मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता । केवल इस सदन की खिदमत में, माननीय मुख्य मंत्री की खिदमत में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि वे पिछले ४-५ वर्षों का नतीजा देखें । उन्होंने खुद बख्शी के तालाब पर इसका ज़िक्र किया था । उन्होंने कहा था कि यह मिशीनरी बिलकुल नाम्मुकम्मिल और निकम्मी है । हम किसी परिणाम को देखकर ही किसी चीज को ठीक या ग़लत समझते हैं । यदि यह सरकार अपने कामकी जांच निष्पक्ष जजों द्वारा करानेको तैयार नहीं है तो जो कोई भी काम होगा उसका फैसला जनता करेगी । आज हम बजट पास कर रहे हैं और बजट पास करके यह रुपया हम सेक्रेटरीज को दे रहे हैं, सूबों के सारे प्रबंधकर्ताओं को दे रहे हैं । फिर हमें यह देखना

[श्री गेंदा सिंह]

होगा कि जितना रुपया दिया उस से कितना काम हुआ। अगले वर्ष बजट आये तो हमें एक कमेटी बैठानी चाहिये वह कमेटी एक हाई पावर कमेटी हो, वह इस बात को जज करे, इस बात का फैसला करे कि उसमें से कौन काम पूरे किये गये। वह कार्य नहीं पूरा हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। मैं समझता हूं कि इससे गलत पालिसी और नहीं हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि सिविल सर्वेण्ट सारा पाप करता है और उस सारे पाप की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री अपने ऊपर ले लेती है। मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं कि इसका परिणाम यह होता है कि सिविल सर्वेण्ट यह समझता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, वह जो कुछ भी करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने ऊपर ले लेंगे। इसका परिणाम यह होता है कि वह जनता की परवाह नहीं करता है और उसके परवाह न करने की वजह से उसका परिणाम सारे सूबे को भुगतना पड़ता है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ऐसी कमेटी बनायें और ऐसी कमेटी से जांच करावें कि वह काम जो पूरा नहीं होता है तो जिसकी जिम्मेदारी पर आपने काम दिया है उसको रहने की जरूरत नहीं है या नहीं इस पर विचार करें।

अधिकतर रिक्रूटमेंट भी आपका डाइरेक्ट होना चाहिये। आज यूनिवर्सिटी से निकले हुये नौजवान मारे मारे फिरते हैं। उनमें वे जजबात हैं, वे ख्यालात हैं जिनकी बिना पर वे देश की खिदमत करना चाहते हैं। ये जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार हैं वे पुराने जमाने की अंग्रेजी हुकूमत के वक्त के तरीक़े सीखे हुये हैं और उसी तरीके पर वे चलते है। उन तरीकों से उनको बाहर निकालना आज मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इस हुकूमत से मैं समाजवाद की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि अगर ईमानदारी से इसी हुकूमत को चलाने की कोशिश की जाय तो जो हालत आज है वह हालत न रहेगी और जनता का कुछ हद तक भला हो सकेगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान नं० ११ के अन्तर्गत आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रयाग के लिये इस साल १,८४,७०० रुपया बजट में रखा गया है। यह संस्था नये आफिसरों की शिक्षा के लिये बनायी गयी है और मुझे इस संस्था से कुछ व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। मेरा अनुमान है कि जिस नीति से और जिस नीति के अनुसार इस संस्था को चलाया जा रहा है वह बहुत ही लाभदायक है। यह बहुत आवश्यक है कि हमारे नये कर्मचारियों में जिनके ऊपर शासन की नीति को चलाने का भार है सेवा भाव उत्पन्न हो। पहले भी सरकारी कर्मचारी थे लेकिन उनका काम दूसरे तरीके का था। अब पुलिस स्टेट नहीं रही बल्कि आज वेलफेयर स्टेट है। यह बहुत आवश्यक है कि जो नीति और जो कानून इस सदन में बनें उनका पालन हमारे सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से करें और उसके लिये उनकी मनोवृत्ति को बदलना बहुत ही आवश्यक है।

इस समय इस संस्था के एक वाइस प्रिंसिपल हैं और जहां तक मुझे मालूम है, इस वक्त सिर्फ एक टेम्पोरेरी लेक्चरार हैं। प्रिंसिपल की जगह इस वक्त खाली है। मेरा अपना ख्याल है कि प्रिंसिपल एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सरकारी काम के अनुभव के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व से जो इस संस्था में विद्यार्थी आवें या आफिसर्स आवें उन पर एक ऐसा प्रभाव डाले जिससे वे अपने जीवन में राजकीय कार्य अच्छी तरह से कर सकें,। जहां तक मैं जानता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इस संस्था में विशेष रुचि रखते हैं और उनके अपने विचार भी यही हैं कि इस संस्था के द्वारा राजकीय कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदली जाय। मैं सरकार की इस नीति का अनुमोदन करता हूं और मुझे आशा है कि इस संस्था के द्वारा बहुत ही सुन्दर कार्य होगा।

एक दूसरे विषय पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। वह कमिश्नरों के बारे में है। इस साल ५ कमिश्नरों के लिये बजट के अन्दर प्राविजन किया गया है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना खयाल है कि भले ही अंग्रेजो के

शासन काल में कुछ रहा हो, लेकिन अभी कमिश्नरों का रखना आवश्यक है । जिलाधीशों के कार्य का निरीक्षण और उनकी देखरेख बहुत जरूरी चीज है । कमिश्नर एक अनुभवी कर्मचारी होने के नाते ऐसी जांच बहुत सुन्दरता से कर सकता है । यह कहना कि अब कमिश्नर बिलकुल बेकार हैं और उनको हटा दिया जाय मेरे विचार में ठीक नहीं है । अगर कमिश्नर कुछ रहें तो उनसे लाभ ही होगा । हानि नहीं होगी । हां यह जरूर इस वक्त कर दिया गया है कि कमिश्नरों की सीमाओं को बढ़ा दिया गया है । पहले पांच छः ज़िलो के ऊपर एक कमिश्नर रखा जाता था । अब दस, ग्यारह, बारह जिलों के लिये एक कमिश्नर रखा गया है । मेरा अपना ख़याल है कि कमिश्नर अब भी आवश्यक कार्य कर रहे हैं और उनका रहना आवश्यक है ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष जी, इस भारतवर्ष में हमारे प्रदेश की एक ऊंची पोजीशन है । जितने प्रदेश हैं वे हमारे इस प्रदेश को ऊंचा गिनते हैं। इसे ऊंचा गिनने का श्रेय हमारे मुख्य मंत्री जी को है । यह हमारे सौभाग्य की बात है कि हमको एक ऐसे अच्छे, चरित्रवान्, और योग्य शासक मिले हैं ।

जहां तक हमारे प्रशासन का संबंध है उसमें केंद्रीय प्रशासन तो काफी अच्छा चल रहा है । इसके संबंध में कोई शिकायत करप्शन की नहीं है यदि कोई शिकायत है तो यह तो कहा जा सकता है कि यहां काफी देर लगती है । जहां तक इस का संबंध है मैं समझता हूं कि हमारा मंत्रिमंडल इस पर ध्यान देगा कि कार्य में कुछ सुगमता हो ।

जहां तक जिले का सरकारी कर्मचारियों के चरित्र का संबंध है हमारे देश का नैतिक-स्तर नीचा है और जैसा जनता का स्तर है वैसा ही सरकारी कर्मचारियों में भी दिखायी देता है। जिलाधीश और जहां तक डिप्टी कलेक्टर्स हैं उन में तो शिकायत कम है । लेकिन नीचे के कर्मचारियों में काफ़ी है । एक चीज यह है कि आज कल जो नीचे का प्रशासन है उस पर जनता का प्रभाव कम है । वह जनता के प्रभाव को नहीं मान रहे हैं जनता का सहयोग कर्मचारियों के साथ कम है । इसलिये उसमें जितना सुधार होना चाहिये उतना सुधार नहीं होने पाता । उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें इस तरह का सुधार होना चाहिये जिससे वहां के अधिकारी वर्ग का सहयोग वहां के कार्यकर्ताओं से अधिक हो। और उनमें सहयोग की भावना अधिक काम करे । यह मुझे कहना है ।

इसके अलावा जो कुछ एतराज हमारे विरोधी दल ने किये हैं कि यहां पर स्वतंत्रता नहीं है एक अफसर की स्त्री और संबंधी अपने विचार स्वतंत्रता के साथ प्रगट नहीं कर सकते । यह एतराज सुन कर मुझे हंसी आती है । कहीं भी किसी देश में ऐसा नहीं किया जाता कि जो अधिकारी वर्ग हैं उनके निकट संबंधी नुक्ताचीनी करें। अगर एक नौकर ही मालिक की नुक्ताचीनी करे तो फिर शासन चल नहीं सकता । प्रशासन के लिये जरूरी है कि अनुशासन ऐसा हो कि जिसमें कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों की आलोचना न कर सकें। न उनकी पत्नियां और न उनके लड़के समालोचना कर सकें । अगर वे समालोचना करते हैं तो फिर शासन नहीं चल सकता । मैं यह पूछता हूं उन माननीय महोदय से, कि अगर उनके यहां कोई नौकर हो तो क्या वे यह पसन्द करेंगे कि उनका नौकर उनकी समालोचना करे या उनकी पत्नी उनकी नुक्ता चीनी करे। जब वह पसन्द नहीं करते तो यह सीधा नियम है । आप इस पर क्यों नुक्ताचीनी करते हैं। हमारे देश में जैसा जनतंत्र चल रहा है वैसा बहुत से देशों में नहीं है। बहुत से देशों में तनिक भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। वहां पर कोई भी राज्य की समालोचना नहीं कर सकता है। जो देश चीन व रूस कहे जाते हैं वहां कोई समालोचना नहीं कर सकता है। हम अपने पड़ोसी देशों को भी देखते हैं। हमने ईरान में, और ईजिप्ट में देखा कि गड़बड़ी वहां कैसी हो रही है, वहां की फौज जबरदस्ती कब्जा कर लेती है। हमारे लिये यह ख़ुशी की बात है कि यद्यपि अभी हमारे हाथ में राज्य की बागडोर आयी है तब भी हमारे यहां

[श्री रतन लाल जैन]

ऐसा अच्छा नियंत्रण है कि ऐसी बातें हमारे यहां नहीं हो रही हैं। इसलिये हमारे देश के जनतंत्र का मुकाबला उस देश से हो सकता है, यहां का सब में अच्छा जनतंत्र कहलाता है यानी इंगलैन्ड और अमरीका के जनतंत्र से। वहां पर जैसी राजनीतिक स्वतंत्रता है वैसी ही राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे देश में है। अगर यह स्वतंत्रता न होती तो आज हमारे विरोधी दल के सज्जन इस प्रकार से कैसे आलोचना इस भवन में करते ? इसलिये मैं यह कहता हूं कि हमारे जहां जनतंत्र ठीक चल रहा है। यहां जो कुछ खराबियां हैं वे आज की नहीं हैं बल्कि बहुत वर्षों से चली आ रही हैं। हमारा नैतिक स्तर नीचा है। जब हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हो जायगा तब सुधार भी हो जायगा। मैं यह जानता हूं कि हमारे प्रमुख मंत्री इसका प्रयत्न कर रहे हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमिश्नरों और जिला प्रशासन के अनुदान पर अपने विचार भवन के सामने रखना चाहता हूं। श्रीमान्, कांग्रेस को आज इस प्रान्त में हुकूमत मिले करीब-करीब सात-आठ साल हो गये हैं और हमने यह देखा कि जिस तरीके से आज हमारे जिलाधीश कार्य कर रहे हैं उस से जनता को कितना लाभ और हमारे राज्य को कितना फायदा हो रहा है। श्रीमान्, आप के जरिये मैं सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के काल के मुकाबले में अब कितने ज्यादा ओहदे अफसरों के हर जिले में बढ़ा दिये गये हैं। जिस जिले में एक कलेक्टर, चार डिप्टी कलेक्टर, एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस और इस प्रकार पांच सात अफसरों से हुकूमत चलायी जाती थी वहां अब दर्जनों अफसर काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि मैं समझता हूं कि उनमें आपस में बहुत ज्यादा सहयोग भी नहीं है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार की जो योजनायें बनती हैं उनकी सूचना जिलाधीश विरोधी दल के या किसी दल के एम० एल० ए० को नहीं देते हैं। इसी प्रकार मंत्री जी के वहां आने के संबंध में, किसी जल्सा के संबंध में या किसी खास स्कीम के संबंध में हमारे जिलाधीश दूसरे दलों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि इन कर्मचारियों के दिलों में यह भावना आ गयी है कि जो पार्टी आज हुकूमत करती है उस पार्टी को अगर खुश रखते हैं तो उनकी नौकरी और उनका काम बिलकुल ठीक है। जिन विभागों का काम हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी करते हैं उनमें हम ज्यादा आशा रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा।

जिलाधीश को ऐसा होना चाहिये कि वे सब का सहयोग प्राप्त करें। जिले की जितनी चीजें हैं, जैसे ला ऐंड आर्डर और और चीजें वे उसी हालत में ठीक तरह से चल सकती हैं जब जिलाधीश सब के सहयोग से कार्य करना चाहता हो। अगर वह किसी एक पार्टी के चन्द एम० एल० एज० के इशारे पर ही चला करेगा तो जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे जिले में, अब तो वह जिलाधीश नहीं हैं, लेकिन जब वह थे तो उनका तरीक़ा यह था कि जो किसी एम० एल० ए० ने जा कर उनके कान में कह दिया बस उसी के अनुसार उन्होंने आर्डर दे दिया। म्युनिसिपल बोर्ड के कामों में भी, जिसके बारे में वे कोई हस्तक्षेप लिखा नहीं कर सकते थे, ऐसे-ऐसे आर्डर दे दिया करते थे कि कुछ कहा नहीं जा कसता जब उनसे कहा जाता था कि श्रीमान्, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वह स्वयं क़बूल करते थे कि हां, मैंने रूल्स को देखा और मुझे ऐसा आर्डर नहीं निकालना चाहिये। तो मैं आप से कहता हूं कि जिलाधीश को स्वयं यह समझना चाहिये कि वह स्टेट का नौकर है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह तो नौकर है, मालिक से कैसे खिलाफ़त कर सकता है। तो उसको तो यह समझना चाहिये कि वह तो केवल स्टेट का नौकर है।

मैं आप से कहता हूं, श्रीमन् कि आज हमारे यहां मारल डिग्रेडेशन (नैतिक पतन) इतना ज्यादा हो गया है कि कोई ट्रांसफ़र के मारे, कोई अस्थायी नौकरी के मारे, कोई अपने बच्चों को नौकर कराने के मारे मजबूर हो जाता है कि वह ठीक न्याय नहीं कर पाता है। जैसा कि आज का युग है, हर एक आदमी को मौक़ा देना चाहिये कि वह ऊंचा उठ सके। आज होता यह है कि कांग्रेस का एम० एल० ए० तो चाहे जिस वक्त जिलाधीश से मिल आये

लेकिन किसी जनता के कार्यकर्ता को या किसी और एम० एल० ए० को उससे मिलने में कठिनाई होती है । आपकी पार्टी का संगठन जरूर हर जिले में अधिक है । तो आप उससे यह दिखलाना चाहते हैं जनता को कि कलेक्टर साहब, एस० पी० साहब, एस० डी० ओ० साहब, ये जितने साहब हैं उनके पास हमारे आदमी जायंगे तो आसानी से काम हो जायगा और हम हर तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेंगे । तो यह नहीं होना चाहिये । हर एक आदमी को सुविधा मिलनी चाहिये, हर एक आदमी को तरक्की करने के लिये मौक़ा देना चाहिये ।

जुडिशल आफ़िसर्स को आप देख लीजिये । इतने जुडिशल अफ़सरों को आपने रखा मगर क्या मुक़द्दमों की तादाद कम हुई ? क्या न्याय जल्दी मिलने लगा है ? जुडिशल अफ़सरों को आप ढाई सौ रुपया तनख़्वाह देते हैं। अब आप यह सोचिये कि ढाई सौ रुपये में कैसे गुज़ारा हो सकता है? मैं भ्रष्टाचार वग़ैरह की बात नहीं कहता हूं । लेकिन ढाई सौ रुपये में वे कैसे गुज़र बसर कर सकते हैं ? कम से कम उनको इतनी तो तनख़्वाह दीजिये कि वे आसानी से गुज़र बसर कर सकें । रेवेन्यू अफ़सरों की भी यही हालत है । मकानों तक के लिये परेशान हो रहे हैं।

श्री हर खयाल सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण ग्रांट पर मुझे आपने समय दिया उसके लिये आप को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में मैं माननीय मुख्य मंत्री को भी अपने इस प्रदेश में पांच साल के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं । यह इस प्रदेश की तमाम जनता और सदन के तमाम सदस्यगण जानते हैं। कि इस प्रांत का एडमिनिस्ट्रेशन जो कामयाब हुआ है उसकी सराहना किये बगैर कोई नहीं रह सकता है । जो काम इस गवर्नमेंट ने किये उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं।

जो ज्वाला और संकट इस प्रदेश में पांच साल के जमाने में पड़ा, जिस तरह से फिरकापरस्ती ने जोर पकड़ा और इस प्रदेश की सीमाओं पर ईस्टर्न पंजाब, नैपाल और तिब्बत हैं, वहां भी असंतोष था और बिहार में भी फिरकापरस्ती के झगड़े थे। मैं कह सकता हूं कि अगर इस सूबे की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया और जनता की कोई भलाई भी नहीं की और ऐडमिनिस्ट्रेशन करप्ट रहा तो भी इतनी ही बात बहुत है कि इस सूबे में शान्ति रही और किसी किस्म की ज्वाला नही भड़की । यह पंत गवर्नमेंट के ही कारण है।

मैं यह जानता हूं और सोशलिस्ट भाइयों की तरफ से क्रिटिसिज्म भी सरकार का हुआ है। मैं उनको तथा सदन के तमाम सदस्यगणों को बतलाना चाहता हूं कि संसार में ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जिसमें कोई कमी न हो । एडमिनिस्ट्रेशन आदमी से ही चलता है । इंसान खून, मांस और हड्डियों का बना हुआ है । इसमें कई कमियां है । किसी भी गवर्नमेंट में और किसी भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की कमी का होना कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं है, निराशा की बात नहीं, जिससे देश गलत जगह पर या गड्ढे में चला जाता हो ।

दुनिया के मुल्कों में और भी सरकारें हैं जो कई कई सौ वर्षों से डैमोक्रेसी के ढंग पर राज्य कर रही हैं और जहां की १०० प्रतिशत जनता पढ़ी लिखी है वहां की जनता क्या अपनी सरकार में कमी नहीं देखती ? क्या अमेरिका जैसे धनाढ्य देश की जनता, जो पढ़ी लिखी है यह नहीं चिल्ला चिल्ला कर कहती कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया इस प्रदेश की सरकार से ही नहीं बल्कि दुनियां के दूसरे मुल्कों की सरकार से भी जनता कुछ न कुछ चाहती ही रहती है ।

आज जितना हमारी सरकार ने किया है अगर इससे दुगुना तिगुना या चौगुना भी कर दिया होता तब भी यहां की जनता की यही शिकायत रहती कि सरकार ने यह बुराई की और

[श्री हर खयाल सिंह]

यह गलती की और यह कमी रही । मैं समझता हूं कि हुकूमत की बुराई करना और उसमें कमी निकालना कोई अक्लमंदी और ऐसी बात नहीं है जिससे देश का कुछ सुधार हो सके । करप्शन ऐसा सस्ता नहीं है जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का हो या वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का हो, पहाड़ी या मैदानी हो, सोशलिस्ट का न हो या कांग्रेस का न हो बल्कि यह तो सब का एक सामूहिक प्रश्न है । सब के लिये यह एक प्रश्न है । यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में मैं मानता हूं कि खराबियां हैं और मेरे दोस्तों ने जिन खराबियों को बतलाया है उनसे भी ज्यादा मानता हूं कि खराबियां हैं। मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं। जिसको हुकूमत हैं इसलिये हमारे ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम कोई खराबी न छोड़ें । अगर जनता कोई शिकायत करती है तो वह कह सकते हैं कि हुकूमत में गड़बड़ी है और हुकूमत इंएफीशियेंट है, हम क्या करें लेकिन अगर जनता हमसे कहेगी तो हम कहेंगे कि हम मानते हैं और हम जिम्मेदार हैं। हम उनसे ज्यादा इस एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना चाहते हैं, बुराई को तथा कमी को दूर करना चाहते हैं।

मैं इसके साथ साथ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जो भी कमेटियां बनी और जितने भी कार्य हुये और जिस तरह से भी जनता की भलाई की बात सरकार ने की तो उसके पीछे जनता का मारेल सपोर्ट नहीं हो सका और जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी थे उसके दिमाग में सर्विस की वह भावना जो हमको गांधी जी ने बतलाई थी और जो सदन के सदस्य चाहते हैं वह उनमें कूट कूट कर नहीं भरी जासकी। उनमें इनएफीशियेंसी है और उनमें ब्रिटिश रूल की कुछ झलक भी है और उसका यही इलाज है जो मैं बतलाता हूं कि आप लोगछोटे अफ़सरान को न पकड़ें, छोटे अफसरान की गड़बड़ को न देखें बल्कि बड़े अफ़सरान को देखें । एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशकार रिश्वत ले रहा है, ऊपर मुकदमा हो रहा है और नीचे एक रुपये की रिश्वत ली जा रही है और ऊपर महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है और वहां यह लिखा हुआ है कि रिश्वत लेना और देना पाप है । यह भी पेशकारों को कहते सुना गया है कि महात्मा जी जो हाथ फैलाये हुये हैं वह हमसे कहते हैं कि कम से कम ५ रुपये लो, तो आप उस मैजिस्ट्रेट को पकड़िये । अगर ऐसा होगा तो अहलमद और पेशकार रिश्वत लेना बन्द कर देंगे । अगर आप किसी डी० आई० जी० को इस बात के लिये पकडेंगे कि तुम्हारे निरीक्षण में यह खराबी है तो दूसरे जो छोटे कर्मचारी , दरोगा वगैरह हैं उनपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा । इसके साथ-साथ मैं हर पार्टी के सदस्य से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सरकारी जाब्ते की कार्यवाही में किसी किस्म का हस्तक्षेप करने का प्रयन्न न करें, उसको वैसा ही चलने दें जिस व्यवस्था में वह चल रही है ।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, जो यहां भाषण हुये हैं उनके लिये मैं सदन के सदस्यों का और विशेषकर जिन्होंने यहां तक़रीरें कीं उनका अनुगृहीत हूं और जिन्होंने मेरे बारे में कुछ उदार शब्द कहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे यह आशीर्वाद चाहता हूं कि वह और हम सब मिल कर, देश के हित को करने में सन्मार्ग पर चलते हुये अपने को सबल बनाते हुये देश को नैतिक आध्यात्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में बलवान्, पुरुषार्थी और उन्नत बना सकें।

राजनारायण जी से मुझे जितनी आशा थी उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं बतलाई जिनसे मैं लाभ उठा सकता । यह कहना कि हम लेनिन और गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं यह हमको कुछ आगे नहीं ले जाता । गांधी जी के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, परन्तु हमारा दावा कभी नहीं रहा कि हम उसमें सफल हुये । हमारी अब भी यही आकांक्षा है कि हम गांधी जी के बतलाये हुये रास्ते को पकड़ सकें, उनकी सीख के मुताबिक चल सकें परन्तु हम निर्बल हैं, निरीह नहीं हैं। हम में बहुत सी कमियां हैं। इसलिये गांधी जी के मार्ग को अपनाने की इच्छा करते हुये भी हम यह नहीं कह सकते कि हम उसमें बहुत सफल हुये हैं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हम लोग जो कांग्रेस को छोड़ कर किसी और संस्था में नहीं रहे और न हमें गांधी जी के कार्यक्रम में त्रुटियां कम मालूम हुईं बमुकाबले औरों के और आज गांधी जीके निधन के बाद भी हमारे लिये उनके सिद्धांतों के लिये जो तब श्रद्धा थी वही आज भी है वह तब कम न थी और न उसमें आजबढ़ने की गुंजाइश है। अब बहुत से प्रोफेटस् (महात्माओं) के लिये

कहा जाता है कि उनके जीवन काल में सब का बराबर आदर नहीं होता । राजनारायण जी का समर्थन गांधी जी के सिद्धान्तों के लिये पहले से अधिक हो गया है तो मैं उनको बधाई देता हूं और उनसे आशा करता हूं कि जहां तक हम उनके अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं उसमें हमको वह सहारा पहुंचायेंगे और जहां कहीं आगे बढ़ने में हम विचलित होंगे तो वह हमको रोकेंगे । मैं दोनों बातों के लिये उनका अनुगृहीत होऊंगा ।

लेनिन के बारे में मैं बहुत कम जानता हूं, वह जानते हैं। मगर इतना जानता हूं कि लेनिन के बतलाये हुये मार्ग से जो लोग चले हैं उन्होंने न तो सत्याग्रह को ही अपनाया है और न लोकतंत्र को ही अपनाया। उन्होंने अपने विचारों के अनुसार जो उनसे भिन्न विचार रखते थे उनके मस्तिष्क को कुचलकर और उनके शरीर का अवसान करके अपनी ही परिपाटी को किसी तरह कायम रखा। वह हमारी नीति नहीं है क्योंकि हम अपने को परफैक्ट (पूर्ण) नहीं समझते हैं और यह समझते हैं कि विचार-विनिमय से आगे का रास्ता निकल सकता है और साथ ही यह भी समझते हैं कि यदि हम देश की सेवा में सफल न हों तो औरों को अधिकार है और उनको अवसर मिलना चाहिये और यह देश के हित की बात है कि वह देश की उन्नति के लिये उस जिम्मेदारी को लें जिसको हम पूरा करने में सफल नहीं हो सके । जिसको वह सफलतापूर्वक कर सकें । इसलिये फैसिज्म (तानाशाही) का रास्ता हमारा नहीं है और वे जो वहां बैठे हुये हैं जानते भी हैं नहीं तो शायद उनको भी फैसिज्म को बराबर दोहराने का अवसर ऐसी स्टेट में नहीं मिला करता है ।

यह भी वह जानते हैं कि जहां तक साधारण नीति का संबंध है सत्याग्रह का और लोक-तंत्र का आपस में एक विरोध का प्रतीक है । मनुष्य को आध्यात्मिक बातों के लिये सत्याग्रह करने का अधिकार है परन्तु राजनीति में जब हम लोकतन्त्र के सिद्धान्त को मानकर आगे चलते हैं और कार्य करते हैं तब फिर बौद्धिक विवाद और आपस में विचार विनिमय करके ही सच्चे मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। यदि जिनके हाथ में शासन है वह न मानें तो जनता को सच्ची बात समझाकर इस योग्य बनाते हैं कि वह अयोग्य आदमियों को अलग करे और फिर योग्य आदमियों के हाथ में शासन का भार सौंपे। नहीं तो, जो भी कहीं पर मतभेद है, सत्याग्रह करने लगें तब विचार ही नहीं रहता है । तब तो जनता को विचारों के द्वारा कनवर्ट (परि-वर्तित) करने का अवसर नहीं रहता है । तब तो एक तरह का जब्र होता है । इसलिये जहां तक लोकतंत्र की बात है, चाहे वह जानते नहीं हैं, लेकिन जब हमने डिमोक्रेसी को मान लिया है तब हमें डिमोक्रेसी के अनुसार चलना चाहिये । सत्याग्रह के माने जहाँ तक कानून की अवधि में कोई बात करते हैं उसके सिवाय इसके क्या माने हैं कि जिस लोक संस्था में आ कर लोगों के प्रतिनिधि बन कर हम कोई नियम बनाते हैं, जनता के नाम पर उसी विचार से हम स्वयं करें, चाहे वह इधर बैठते हों या उधर बैठते हों, लेकिन सदन एक है उसमें कोई इधर या उधर बैठने से फर्क नहीं होता है परन्तु सदन के नियमानु-सार उस शासन को मानते हैं तो, जो कानून बनाते हैं उसकी जिम्मेदारी सब के ऊपर आती है चाहे वह उसका विरोध करे चाहे वह उसका समर्थन करे । इसलिये इस सदन का सदस्य होने के नाते डेमोक्रेसी के मायने उत्तरदायित्व को समझना है । मैं समझता हूं कि जो यहां इस डिमोक्रेसी को माने और इस नियम को माने कि जनता के विचारों के अनुसार जो प्रतिनिधि होते हैं उनको अपने काल में कर्त्तव्य निभाना होता है फिर कोई नीति अपना लें और लोगों को समझा कर बौद्धिक क्रान्ति करने का उद्योग कर सकते हैं। परन्तु कानून के विरुद्ध जा कर वह ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिसमें कि नियम न चल सकें। यों तो बात यह भी कही गयी कि यह तो केपिटलिस्ट गवर्नमेंट (पूंजीवादी सरकार) है । मैं नहीं जानता कि हममें से कौन कैपिलिस्ट है और कैपिलिस्ट गवर्नमेंट क्या किया करती है । यह भी मैं नहीं जानता कि क्या जमींदारी अबालिशन का काम एक

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का नमूना है ? परन्तु अब तो श्री वीरेन्द्रशाह को मानना पड़ेगा कि अब तो वह कैपिलिस्ट हो गये जब से जमींदारी खत्म हो गयी और जब तक जमींदारी थी तब तक वह जो कुछ भी रहे हों, कैपिटैलिस्ट नहीं थे। यह भी कैपिटलस्ट गवर्नमेंट का ही काम है कि ट्रान्सपोर्ट के तमाम काम को नेशलाइज (राष्ट्रीयकरण) करे और सब चीजों को सरकार के अधीन करे जिस से यातायात का सारा प्रबंध जनता के हाथ में आये। इसी तरह से केपि-लिस्ट गवर्नमेंट का ही नमूना है तमाम स्टेट्स का मर्जर (विलीनीकरण) करे, बनारस नरेश, नवाब रामपुर और टेहरी के राजा के अधिकार, उनकी बड़ी-बड़ी करोड़ों की सम्पत्ति जनता के हाथ में आ जाय और वहां का शासन जनता के हाथ में आ जाय। यह सब कैपिटैलिस्ट सरकार के ही नमूने दिखाई देते हैं।

कहा जाता है कि सरकार डिसेण्ट्रेलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरण) के खिलाफ काम करती है और यह जनता के स्वत्वों को छीनती है। मैं बतलाना चाहता हूं उनको कि ३५ हजार पंचायतों का क़ायम करना भी इसी बात की मिसाल है कि जनता के अधिकारों को छीन कर दूसरों के हाथ में दिया जाता है। हमको वास्तविक बातों को देखना चाहिये और वास्त-विकता को देख कर बात कहनी चाहिये। मैं समझता हूं यदि यह कहा जाय कि फलां बात को देखने और सोचने की आवश्यकता है कि पंचायतों के अधिकारों में क्या परिवर्तन हो सकता है, वह सवाल देखने और समझने का हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनेंगे उसकी बनावट कैसी हो और अधिकार क्या हों यह सोचने की बात है। जब हमारे उद्देश्य एक ही हैं तो ऐसी बातें खामख्वाह कहना चाहें हम नजदीक भी हों वहां दूर मालूम पड़ें तो वह हालत किसी के लिये भी लाभदायक और हितकर नहीं है। अगर ऐसी बात कही जाती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। आज आप मानें चाहे न मानें जितने भी इस सदन के सदस्य हैं उनमें से बिरले ही १ या २ को छोड़ कर किसी के मौलिक विचारों में कोई मतभेद नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि व्यवहारिक दृष्टि से अपने-अपने पैमाने को लगाने में भेद हो सकता है कि कब किसको किया जाय इसमें भेद हो सकता है लेकिन इस विचार में कि जनता की सेवा हो, उसके हाथ में अधिकार आयें, उस का हित हो, उसकी गरीबी, भूख, बीमारी और बेकारी सब दूर हो, इस बारे में कोई भेद कहीं भी इस सदन में नहीं है और न कोई चाहता है कि कैपिटलिज्म कायम करके लोगों को ग़रीब बनाया जाय लेकिन किसी को कैपिटलिस्ट कह कर चौराहे पर ले जा कर फांसी दी जाय यह हमें नहीं चाहिये। माननीय राजनारायण जी ने तो जमींदारों के साथ भी चुनाव में काफ़ी सहयोग किया। उन में कोई ऐसी कमजोरी नहीं है और उन में कोई ऐसी संकीर्णता भी नहीं है और इसलिये उन्होंने सब के साथ मिल कर काम किया है और वह कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।

एक ही बात श्री राजनारायण जी ने यहां पर कन्क्रीट (ठोस) कही थी और वह गवर्न-मेंट सर्वेण्ट्स कण्डक्ट रूल्स में जो संशोधन हुआ है उस के बारे में थी। वह गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स उनके घर वालों उनकी स्त्रियों या उनके आश्रितों के बारे में है। मुझे यह सुन कर ऐसा लगा कि वह चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स की स्वतंत्रता बढ़ाई जाय। मुझे कम से कम इससे सांत्वना है कि जो गेंदा सिंह जी ने और औरों ने भाषण दिये हैं। यह गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स की प्रणाली रहनी नहीं चाहिये। गोरवाल रिपोर्ट में जो कहा है उसके मुताबिक़ इसे रहना नहीं चाहिये। परन्तु राजनारायण जी का तो विश्वास है कि उनको ठेस नहीं लगनी चाहिये। उनके लिये यह कहना कि उनकी स्त्री उनके नाम पर या उनके द्वारा ऐसी बातें न करे जो अनुशासन के विरुद्ध हो, वह स्वतंत्रता भी उनकी नहीं रहनी चाहिये। यह उनकी सहानुभूति गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स के साथ है। मैं समझता हूं कि यदि इससे उनकी पार्टी के सदस्य सहमत होंगे, और सहमत होंगे, तो इससे गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स को काफ़ी बल मिल सकता है। परन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वास्तव में कोई ऐसी शिकायत भी आयी है ? आपने नियम को

पढ़ा भी और पढ़ कर क्या उसका अर्थ लगाया । मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूं । नियम यह है :—

"A Government servant may not, except in the legitimate discharge of his official duties, either by himself or directly or indirectly through his wife or any other relative who is either dependent on him or who is residing with him, in any document or in any public utterance delivered by him or by his wife or other relative, make or cause to be made any statement of fact or opinion which criticises or brings into contempt or disrepute the decisions of government or of his official superiors."

[कोई सहकारी कर्मचारी, अपने सरकारी कर्तव्यों के वैध निष्पादन के अतिरिक्त स्वयं अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी पत्नी या अन्य किसी संबंधी द्वारा जो या तो उसका आश्रित है अथवा उसके साथ रह रहा है, किसी लेख्य में, अथवा वह या उसकी पत्नी या अन्य कोई संबंधी किसी सार्वजनिक भाषण में किसी तथ्य अथवा अभिप्राय का वक्तव्य न देंगे और न दिलावेंगे जो सरकार अथवा उसके उच्च अधिकारियों के विनिश्चयों का अवमान या निंदा या आलोचना करता हो।]

जो कुछ इससे नियंत्रण किया गया है वह गवर्नमेंट सर्वेंट्स का किया गया है । 'ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे नाट' है न कि यह कि 'ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ मे नाट'। जो कोई भी इस नियम को पढ़ेगा वह यह समझेगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक सीक्रेसी ऐक्ट को मानने वाला होता है । उसका कर्त्तव्य होता है कि वह सरकारी बातों को किसी से , अपनी बीवी से या किसी पार्टी के नेता से भी न कहे । अगर वह अपनी बीवी को इस काम में लाये कि जिस बात को वह खुद नहीं कह सकता मगर अपनी स्त्री के नाम पर ऐसी पुस्तिका छाप दे और कहे कि यह बड़ा अन्याय उसके साथ हुआ है , तो इस बात को वह नहीं कर सकता है । तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ईमानदार बनाना है या बेईमान बनाने का रास्ता उसके लिये खोलना है ? क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये यह कहना है कि नियमों का उल्लंघन जो कर्मचारी अपने नाम पर नहीं करता हो, अपनी बीवी के नाम पर किया करे ? और मैं आप को बता सकता हूं कि क्यों इसकी आवश्यकता हुई। एक सरकारी अफसर ने जो एक अच्छे रुतबे का था कुछ ऐसे काम किये जो कि नियम विरुद्ध थे। उसके ऊपर कार्यवाही की गयी । उसने रिप्रेजेंटेशन वगैरह भेजे और वे नामंजूर हुये ।जितने दरवाजे थे सब खट खटाये गये मगर बेकार साबित हुये । मैं उसकी मैरिट्स (गुणदोष) आपको नहीं देता मगर मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे कि वह ठीक था । जब ये बातें हो गयीं तो उनकी स्त्री के नाम पर अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा मजमून छपा और वह एक फ़ंक्शन (उत्सव) के ऊपर बांटा गया । उसमें वही बातें कही गयीं जो कि रिप्रेजेंटेशन में कही गयी थीं । क्या ये बातें होनी चाहियें ? जो काम वह खुद नहीं कर सकता था क्या वह स्त्री के नाम पर कर सकता है ? क्या वह बहादुरी की बात हुई ? इसके लिये मुझे जरा सी तसकीन तो हुई कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये उनकी ऊंची राय है और अपने सदस्यों सहित या इनसे भिन्न होते हुये भी इस विचार को तो रखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पूरा स्वातंत्र्य मिलना चाहिये । परन्तु जहां तक इस खास बात का ताल्लुक है, यह तो केवल एक नियम को क़ायम रखने की बात है और इसके विरुद्ध कुछ कहने की बात नहीं हो सकती।

कुछ रैडटेप (दीर्घसूत्रता) की बात कही गयी और कुछ उन्होंने एक फ़ेहरिस्त पढ़ी और कहा कि फ़ाइनैंस डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, क्लार्क्स हैं और असिस्टेंट्स हैं। मैं पूछता चाहता हूं कि क्या चीन में या रूस में या क्या किसी मुल्क में ऐसा होता है कि वहां कोई दफ्तर नहीं होता ? क्या कहीं ऐसा भी होता है कि वहां सब काम जबानी ही चलें और लिखा-पढ़ी बिलकुल न हो ? अगर रैडटेपिज्म के यही ढंग और तरीके हैं, अगर बेकार बातों में वक्त जाया किया जाता है तो वह चीजें ठीक नहीं । लेकिन अगर उसके मानी यह हों कि जो भी काम किया जाय वह ठीक तरीके से न हो, ठीक ढंग से न हो, कोई उसके लिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

दफ्तर न हो, कोई काग़ज़ात न रख लिया जाय और सब काम जबानी ही हो जाय, कोई क्लर्क न हो, किसी काग़ज़ का उत्तर न लिख जाय तो अगर वह रेड टेप है और उसका रंग सोशलिस्ट पार्टी के रंग के समान हो क्यों न हो उनको उससे प्रतिस्पर्द्धा नहीं करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इन बातों में बहुत ज्यादा जोर देकर आन्दोलन को कह कर कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारी कोशिश है कि हम इन चीजों को इस तरीके से करें जिससे खर्चा कम हो। बराबर कम किया है और कम करने की कोशिश समझते हैं। पहिले १४ लाख रिफरेंस (निर्देश) होते थे और आज ११ लाख आते हैं मगर इस बात को लिखाया जा रहा है, कम खर्चे में ही सब काम हो रहा है। अगर उसी के मुताबिक खर्चा भी बढ़ाया जाता तो बहुत तब्दीली हो जाती। सेक्रेटेरियट में जो तब्दीली की जाती बात मैं इस वक्त नहीं कहता, रिआर्गेनाइजेशन (पुनस्संगठन) की जो बातें की हैं उनको भी कहना इस वक्त मैं ठीक जरूरी समझता हूं।

बोर्ड आफ़ रेवेन्यू और कमिश्नर्स के सम्बन्ध में बात कही गयी। बोर्ड आफ़ रेवेन्यू की बात को सिर्फ कौल साहब ने कही लेकिन कमिश्नरों की बात बहुत से लोगों ने कही। जो कुछ किया गया है अगर वह आप सब लोगों को मालूम होता तो शायद यह न कहा जाता। आज बोर्ड आफ रेवेन्यू का ओहदा अस्तित्व में खत्म हो गया है। आज बोर्ड आफ़ रेवेन्यू नाम का सिर्फ ओहदा रह गया है। कमिश्नर भी नाम के कमिश्नर रह गये हैं। उनका जो पहिला काम था बीच में आकर अड़ंगा लगाना वह काम खत्म हो गया है। आज बोर्ड आफ रेवेन्यू की क्या हालत है? पहिले उसमें कई मेम्बर हुआ करते थे अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर होता है वह इसलिये है कि कमिश्नरों को जो काम दिये गये हैं उनके ऊपर नजर रखे। तमाम कामों को एक सिस्टेमेटिक (नियमित) रूप दे दिया गया है। जहां तक कमिश्नरों का ताल्लुक है पहिले १७ कमिश्नर रखे गये थे अब ५ रह गये हैं। हालात भी बदल गये हैं। कमिश्नर के हाथ में अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनात्मक) काम नहीं है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है वहां उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कुछ लिखा-पढ़ी करेगा वह सीधी करेगा। कमिश्नर तो केवल टाइटिल (पद) में रखा हुआ है वह कुछ कर नहीं सकता। कमिश्नर का काम तो सिर्फ यह है कि जो कुछ अपीलें उनके पास आती हैं वे उनको देखते हैं। जो कांस्टीट्यूशन हमारा है उसके मुताबिक जो मेंबर बोर्ड आफ़ रेवेन्यू है, जो कमिश्नर है, उसकी तनख्वाह तो हम कम कर ही नहीं सकते। उनसे तो हमें काम तो लेना ही है और वह इस तरह से लेना है कि वे सब से ज्यादा उपयोगी हो सकें। हमने कमिश्नरों को तादाद कम कर दी है और अब ५ के बजाय ३ करने का विचार है। एक डिप्टी कमिश्नर कुमाऊं के लिये रखना चाहते हैं जो कलेक्टर के ग्रेड का होगा। रिजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी का कोई चेयरमैन होता है। तो आखिर किस को उसका चेयरमैन बनाया जाय? यह तो ठीक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी का चेयरमैन बनाया जाय। फिर इस जगह पर कोई न कोई होना चाहिये। कमिश्नर का नाम छोड़कर दो तीन आदमियों को फिर रखना पड़ेगा क्योंकि तीन डिवीजन पन्द्रह-पन्द्रह, सोलह-सोलह जिलों को लेकर इन्हें काम करना होगा। इसके अलावा अपील के लिये कोई रखना पड़ेगा। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि पांच की जगह तीन कर देना चाहिये और इनसे जो काम कानूनन हमें लेना है वह लेना चाहिये। इसके बाद जो कुछ भी मैंने पहले कहा या जो मेरे भाषण पुराने पढ़े जाते हैं अगर उनका मुकाबिला आप आज से करें तो उनमें कोई अन्तर नहीं है। जो बात इसको बुनियादी और अगर्चे है वह हासिल हो चुकी है, इससे इसमें कोई अन्तर नहीं आता है।

कुछ बातें यहां आर्म्स लाइसेंस के बारे में भी कही गयीं। आर्म्स लाइसेंसेज़ के लिये यह कहा गया कि लोगों को ज्यादा मिलने चाहियें। मैं बिलकुल इस राय को रखता हूं कि हर गांव में हर लोग अच्छे और जिम्मेदार मिल सकें और मिलना चाहिये क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां अच्छे और जिम्मेदार लोग न मिल सकें, तो जो कोई भी चाहे कम से कम एक दो बन्दूक मिलना ही चाहिये। अगर ज्यादा लोग चाहते हैं तो उसे भी देखना चाहिये। इसलिये

मैं चाहता हूं कि लोग बहादुर हों, डरें नहीं, वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। मैं तो उनसे यह चाहूंगा कि वे ज्यादा अपना सब काम करने के योग्य हों और किसी दूसरे की तरफ उसके लिये उन्हें न देखना पड़े। इसके लिये उनको आत्म-रक्षा के पूरे साधन मिलने ही चाहियें। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक सिद्धांत की बात है हमारे और औरों के बीच में इस बारे में कोई मतभेद नहीं आता।

कुछ यहां यह भी कहा गया कि सरकारी अहलकारों की देखरेख ठीक नहीं होती है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि सरकारी अहलकारों में बुराइयां नहीं हैं और यह भी जैसा लोगों ने कहा कि आखिर हम लोगों ने कोई सारा ढांचा तो बदला नहीं है मगर सोशलिस्ट पार्टी और हम सब उस समय साथ थे जिस समय हम लोगों ने कबूल किया कि वही ढांचा चलता रहेगा जब कि हमने अंग्रेजों के हाथ से अपने हाथ में पावर (राज्यशक्ति) ली। सिर्फ उसीके मुताबिक हम काम कर रहे हैं और उसे यथासंभव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बदलने के बजाय लोगों के मन को हम जल्दी बदल सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि उसमें पूरी सफलता हुई है लेकिन, यह भी कहने को तैयार नहीं हूं कि उसमें विफलता हुई है। आखिर वे भी तो हिन्दुस्तानी ही हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं, वे भी देश का हित चाहते हैं। अगर स्वतंत्र भारत में शान्ति नहीं होगी बेकारी ही रहेगी, भूखमरी ही रहेगी तो उनकी संतान के लिये भी तो कोई स्थान नहीं रहेगा। विदेशी तो अपने देश के लिये प्रेमी होकर जहां सेवा करता है वहां ध्यान न करे मगर स्वदेशी को तो अपने देश का ध्यान करना है, अपने देश को ऊंचा करना है और उसमें जो भ्रान्ति है उसे दूर करना है।

परन्तु एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार-बार किसी छोटे अहलकार की व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिये। आमतौर पर अगर कोई बात उनको कहनी हो तो वे अपने मंत्री के लिये भले ही कहें, अगर किसी मंत्री की आलोचना आप कभी कभी सख्त अल्फाज में भी करें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन छोटे-छोटे अहलकार, जैसे कि किसी थानेदार को या कोई और काम करने वाला है जिसकी आप आलोचना करेंगे तो फिर वह अपने इलाके में कैसे काम कर सकता है? उसका क्या वहां रोब रह सकता है और वह किस तरह से चल सकता है? तो हमारे माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से देखभाल करके चलना चाहिये।

यहां कुछ बातें कही गयीं कि अहलकारों को बेलाग और बेतरफ हो कर काम करना चाहिये और अहलकारों को राजनीति से बिलकुल ही कोई संबंध नहीं रखना चाहिये। मैं भी समझता हूं कि चाहे सोशलिस्ट पार्टी का कोई हो या कांग्रेस पार्टी का हो, उसे बिना किसी पार्टी का ख्याल किये हुये न्याय के नाम पर नियम के अनुसार काम करना चाहिये। मेरा ख्याल है कि अगर कोई सार्वजनिक काम करना हो, मसलन प्लानिंग का काम है उसमें कोई हमें आप सबका सहयोग लेना है। मगर यदि सब का सहयोग न मिले तो जिसका मिल सके उसका सहयोग लेकर काम करना है।

परन्तु जहां तक शासन का संबंध है उसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिये। यहां पर यह कहा गया कि यह तो ठीक तरह से चलता नहीं। एक तरफ कांग्रेस वालों से बराबर शिकायत सुनी जाती है। मैं इस सदन में कह सकता हूं, कि सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ रहते हैं आमतौर पर। उनको मदद नहीं देते। दूसरी तरफ यह शिकायत सुनी जाती है कि वह तो कांग्रेस वालों की ही बात सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि सत्य दोनों के बीच में है। अगर सत्य दोनों के बीच में है तो बहुत ज्यादा शिकायत की गुंजायश किसी को रहती नहीं। तब भी अगर कहीं पर भी कोई गलती हो तो यह नहीं होना चाहिये। सबके लिये सम भाग होना चाहिये और नियम और न्याय के साथ कार्य होना चाहिये। और अगर कोई भी

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

ज्यादती करे तो उसके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिये । अगर राज नारायण जी किसी को भड़का दें और वहां बलवा हो जाय तो इससे भी नहीं डरना चाहिये कि राज नारायण जी हैं इसलिये मैं कुछ न करूं । सब के लिये एक नियम रख कर शान्ति के साथ काम करना चाहिये।

इसी सिलसिले में यह कहा गया कि ईमानदारी नहीं रहती । मैं आप से कह सकता हूं कि हमने बहुत से उपाय किये हैं और आप को शायद मालूम न हो जब से हमने शासन का भार लिया , तब से सितम्बर ३०, सन् १९५१ ई० तक २,२९२ या कितने आदमियों पर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर कार्यवाही की जिनमें से कई तो बरखास्त हुये । मैं आप को पूरे हिण्ट से सुनाता हूं जिससे आप को मालूम होगा कि इसमें हमारी तरफ से कोई कमी इस बात की नहीं रहती । मगर इसके लिये और भी नियम बनाये जा रहे हैं जिससे कोई और जो भी इधर उधर करप्शन (भ्रष्टाचार) है वह दूर हो जाय । करप्शन है इसको इनकार करना गलत है उसको हमें दूर करना है । सबको मिल कर दूर करना है । उसके लिये जरूरत है कि ईमानदार आदमी को ईमानदार कहा जाय । ईमानदार को बेईमान कह कर बेईमानी दूर नहीं कर सकते । बेईमान को बेईमान कह कर ईमानदार की हिम्मत बढ़ा कर ही बेईमानी दूर की जा सकती है।

मैं आप से कह रहा था कि हमने ३० सितम्बर, ५१ तक जब से सन् १९४६ में हमने कार्यभार सम्हाला तब से ९,१७७ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ कार्यवाही हुई। १,०८८ मुकदमे अदालतों में पेश किये गये। ८,०८९ पर डिपार्टमैंटल ऐक्शन (वैभागिक कार्यवाही) लिया गया । ३२७ मुकदमों में कनविक्ट हुए ३,४९० बरखास्त हुए। २,९०२ को और सजाएं हुईं। १३६ को इस्तीफा देना पड़ा। कई आदमियों का कम्पलसरी रिटायरमेंट (अनिवार्य सेवा-निवृत्ति) किया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि इससे क्या मालूम होता है कि हम लोग सतर्क नहीं रहते ? आज हमने नियम बनाये हैं जिससे जो कुछ कमियां हैं वह भी कुछ दूर हो सकती हैं। अभी आपको मालूम है कि पार्लियामेंट ने नियम बदले हैं। इंडियन पेनल कोर्ड वग़ैरह को बदलने की जरूरत हुई है। उनसे भी हम समझते हैं कि हम उनको दूर करने में सफल होंगे। लेकिन हमें भी देखना है कि हम अधिकारियों को एक दूसरी जाति, एक दूसरी कौम के आदमी न समझें बल्कि यह समझें कि वे भी हमारे भाई हैं। उनमें भी देश का प्रेम है। आज उनका स्वार्थ देश के विरुद्ध नहीं रह सकता। अब उनको भी देश का हित देखना है। मैं समझता हूं कि आपके मुकाबले में उनकी त्रुटियों को शायद मैं ज्यादा जानता हूं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता हूं। परन्तु उनको दूर करने का यत्न करते हुए हमें अपने देश को दूसरों के सामने गिराना नहीं है । चीन की मिसालें देते हैं । मैंने सुना कि चीन में तीस बत्तीस लाख आदमी बंदूक से मार दिये गये, फांसी दे दी गयी, लटका दिये गये। परन्तु अपने यहां जब हमने कोई ऐसा नियम बनाया है कि हर एक के लिये न्याय करेंगे और यथासंभव किसी के लिये अनुचित बात नहीं करेंगे, तो उसको हमें पालन करना है, उसको और कड़ा करना है, अगर जरूरत हो। उसका अगर थोड़ा या पूरा प्रतिफल न मिले तो उसको और ऊंचे ले जाना है। परन्तु इन सब बातों को करते हुये अपने देश की मर्यादा को कायम रखना है, उसको बदनाम होने देना नहीं है और अपनी कार्यवाहियों को इस तरह से करना है कि जिससे हम आगे बढ़ते जायं और जो बातें हमारे सामने हैं उनको बढ़ाना है।

राजनारायण जी ने कहा कि पांच छः साल में यहां की व्यवस्था बड़ी बिगड़ गयी। मैं जानता नहीं कि उनको बार बार-यह स्वप्न कैसे दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे वाक़यात को भूल जाते हैं। पांच छै साल पहले हमारे देश में खून की नदियां बही थीं और अब हमारा देश शांति पूर्ण ढंग से चल रहा है। हमारे देश में लाखों शरणार्थी जिनके तन पर कुर्ता नहीं था अच्छी तरह से बस गये हैं, हमारे देश में

हजारों नये स्कूल खोले गये हैं, हमारे देश में सैकड़ों अस्पताल खुले हैं, हमारे देश में हजारों मील सड़कें बनी हैं, हमारे देश में हजारों मील नहरें बनी हैं जिनसे लाखों एकड़ जमीन आबपाशी में आ गयी है, लाखों एकड़ जमीन तोड़ कर काम में लायी गयी है, मजदरों की मजदूरी कई गुना बढ़ गयी है। मैं पूछता हूं कि सन् १९४६ से लेकर सन् १९५० तक कितने नये मकान हर गांव में बने हैं, कितना जेवर गांव वालों ने खरीदा है, कैसी अवस्था उनकी थी, वे पहले इससे खाना अच्छा खाते थे या बुरा, कपड़ा अच्छा पहनते थे या बुरा, उनकी माली हालत सुधरी है या बिगड़ी, उनका खाना गेहूं और चावल शुरू हुआ या जो मोटा अन्न खाते थे उसीकी कदर ज्यादा करने लगे? आपको ये सब बातें मालूम हैं, आप ये सब देखते हैं, फिर इनको भूल कर और बातें कहने से क्या फायदा है? आंकड़े गलत हो सकते हैं परन्तु देखी हुई बात तो नहीं गलत हो सकती है?

इसके माने यह भी नहीं है कि लोगों में कष्ट नहीं है। कुछ पूर्वी जिलों में लोगों को बहुत कष्ट है परन्तु उसके लिये हम सबको उपाय करना है, उसके लिये कमर कस कर आगे बढ़ना है और इस बात का बीड़ा उठाना है कि भारत को ऊंचा करना है, उसके कष्टों को दूर करना है और आपको और हमको मिल-जुल कर इस प्राचीन देश को जिसका गौरव किसी जमाने में सारे संसार में गाया जा रहा था संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाना है।

श्री राजनारायण---माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केवल पांच मिनट का समय रह गया है, माननीय मुख्य मंत्री ने और ट्रेजरी बेंचेज की ओर से और माननीय मंत्रियों ने जो भाषण किये उन सबका हमें कुछ न कुछ तो जवाब देना ही है, इसलिये आप कृपा करेंगे और कुछ समय हमें और देंगे।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की तकरीर सुनी। इस बात पर तो मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारी बातों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने ढंग से जवाब दिया और हमारी बातों को, मुझे लेश लगता है, माननीय मुख्य-मंत्री जी ने सुना था और उनको कोई बुद्धि-विभ्रम नहीं हुआ था। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब सूचना और सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री को हमारी बात से कुछ बुद्धि-विभ्रम हुआ। वे हमको बहुत पहले से जानते हैं और उनकी गति-विधि का भी मैं बहुत दिनों से सूक्ष्म निरीक्षण करता रहा हूं। जिस विचित्र ढंग से सूचना और सिंचाई के विभागों का सम्मिश्रण हुआ है इस पर उनको आज ज्यादा आश्चर्य करना चाहिये था, न कि हमारे भाषण पर। जिस जनतांत्रिक कक्षा की छाया में हमारे माननीय सूचना मंत्री ने निर्मल मल्लिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में, कोकिल की काकली में, कुसुम के सौरभ में और रमणी के मुखड़े में आनन्द विभोर होने की बात कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे वे आनन्द विभोर हो लें, परन्तु मैं तो उनमें भी क्रान्ति की चिनगारी देखता हूं। आग का शोला देखता हूं। जिस समय ९ अगस्त, १९४२ को हमने अपने अरमानों भरी जवानी को लेकर अपने को ज्वालामुखी में झोंका था, वह हमें याद है कि--"State must necessernig belong to producing masses." (राज्य पर अनिवार्यतः उत्पादक जनता का नियंत्रण होता है।) का उद्देश्य हमारे सामने था, उसी उद्देश्य को लेकर आग हथेली पर रख कर हम आगे बढ़े थे।

माननीय सूचना मंत्री को बुद्धि-विभ्रम होता है। उनको बुद्धि-विभ्रम होना जरूरी है। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। मगर मैं माननीय मुख्य मंत्री

[श्री राज नारायण]

से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें जो उन्होंने कहीं, न कही होतीं अगर वह तमाम अनुदानों के बादविवाद के अवसर पर यहां उपस्थित होते रहे। मुझे मालूम है, मैंने उद्धरण भी दिया था माननीय संपूर्णानन्द जी के ग्रन्थों से, माननीय संपूर्णानन्द जी ने भी यह साबित कर दिया है कि जनतंत्र में सत्याग्रह का स्थान होता है। गांधी जी का आदेश हमारे सामने विद्यमान है। मैंने उस दिन भी बताया था कि गांधी जी से सवाल पूछा गया कि पत्नियों के विरुद्ध पतियों के लिये सत्याग्रह का स्थान क्या है? तो उन्होंने कहा "The same as against the foreign power. Satyagrah is a law of universal ap plication. Beginning with the family, its use can be extended to every other circle."

[वही है जो विदेशी शक्ति के विरुद्ध है। सत्याग्रह सार्वभौम प्रवृत्ति की विधि है। परिवार से आरम्भ करके यह प्रत्येक अन्य क्षेत्र तक प्रसारित किया जा सकता है।]

यह गांधी जी की बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं।

जब हमारे मुख्य मंत्री जी और दूसरे मंत्रीगण रूस और चीन का नाम लेते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है और मैं समझना चाहता हूं उनसे कि आखिर वे किस दर्पण में हिन्दुस्तान की तस्वीर देखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं रूस के दर्पण में? या वे देखना चाहते हैं चीन के दर्पण में? या वे भारत का नव निर्माण एक नवीन पद्धति पर, भारतीय पद्धति पर देखना चाहते हैं और जीवन के तमाम सुन्दर सुन्दर आदर्शों के समुच्चय को लेकर बनाना चाहते हैं? बार-बार यह कहना कि रूस में तानाशाही है, चीन में तो तानाशाही है। अरे, वहां तानाशाही है इसीलिये तो हम उसे रिजेक्ट करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी उसको रिजेक्ट करती है। माननीय कमलापति जी ने कहा कि हमारे यहां जनतांत्रिक व्यवस्था आयी है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि जरा जनतांत्रिक व्यवस्था और जनतांत्रिक प्रणाली का अर्थ समझें। हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं कायम हुई है। हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक प्रणाली क़ायम है। मगर यहां पर भी एक सवाल पैदा होता है। जनतांत्रिक शासन प्रणाली में बनी हुई सरकारें अगर तानाशाही को अख्तियार करने लगें तो क्या रास्ता रह जाता है ऐसी सरकारों को हटाने या उसकी कार्यविधि में सुधार लाने का और ऐसी सरकार बनाने का जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुसार काम करने वाली हों? सोशलिस्ट पार्टी के प्रति माननीय मुख्य मंत्री को कृतज्ञ होना चाहिये कि आज देश में जब एक तरफ तानाशाही और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो सोशलिस्ट पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि जनतांत्रिक प्रणाली अख्तियार करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो, जो शांतिमय रास्ता है उसे अख्तियार करो। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि अभी भी सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो मंत्रिमंडल में आपसी विभेद है उस आपसी विभेद को बैठकर समाप्त लें और सत्याग्रह के बारे में भी अपनी नीति बतलायें। गांधी जी के आदर्शों से मैं समझता हूं कि हमारे माननीय चित्र नारायण जी भी बहुत अधिक परिचित हैं। उस सम्बन्ध में, जब मैं गांधी जी की पुस्तकों की तलाश करने गांधी जी के आश्रम में गया था, मेरी उनसे भी बातें हुई थीं। उन्होंने भी कहा था कि वे सत्याग्रह को मानते हैं और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि जनतंत्र में सत्याग्रह को स्थान है। एक बार नहीं अनेक बार गांधी जी ने कहा कि जनतंत्र में सत्याग्रह को स्थान है।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि अगर तानाशाही अख्तियार की गयी होती तो राजनारायण और उनके साथी ऐसी बात न कहते। मैं मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हमने

अंग्रेजी जमाने की भी तानाशाही देखी थी और हमने उस समय तानाशाही देखी जब कि हमारी आदर्णीय विभूतियां जो आज उन बेंचों पर बैठी हुई हैं जेलों में विराजमान थीं बिना मुल्क का कोई प्रोग्राम दिये हुये । तो जब हमने अंग्रेजों के तानाशाही राज्य को सात समुद्र पार ढकेल दिया तो आज हमसे बार-बार यह कहना कि अगर तानाशाही हो जायगी तो राजनारायण जी ऐसी बातें नहीं करेंगे, मैं कहता हूं कि यहां के देश के अन्दर जो जनता की शक्ति है उसकी अवहेलना करना है और उसकी ओर से आंख मूंदना है। अच्छी तरह से समझकर हम आज शान्ति का संदेश देते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान में आज कोई भी शक्ति अगर तानाशाही अख्तियार करना चाहेगी तो हम नहीं होने देंगे; यह हमारा दृढ़ निश्चय है, इस पर हम अटल हैं, और अटल रहेंगे। जब माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं, आदर्णीय स्पीकर महोदय, तब तो मैं उसको कुछ सुन लेता हूं लेकिन यहां ऐसे भी मंत्रिगण हैं जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में तनिक भी काम नहीं किया और आज कहते हैं कि विरोधी पक्ष के लोग जनता की मनोवृत्ति को क्या जानें? बार बार यह भी कहा गया कि अनुभवी हैं पुराने हैं, तजुर्बेकार हैं। जहां विचारों का आदान-प्रदान होता है वहां उम्र का लिहाज नहीं होता। बुजुर्गी अक्ल से सिद्ध होती है इससे उम्र से कुछ सम्बन्ध नहीं है:--

बुजुर्गी ब अक्ल न ब साल,
तवंगरी बंदिलस्त न बमाल।

माननीय मुख्य मंत्री ने अक्सर बाहर भी कहा है कि एक तरफ तो जवाहरलाल और सरदार बल्लभ भाई पटेल हैं और एक तरफ जय प्रकाश नारायण और लोहिया जी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जय प्रकाश नारायण और लोहिया जी के बारे में गांधी जी ने क्या शब्द कहे हैं। उनके क्या उद्गार हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन उद्गारों की ओर कभी ध्यान दिया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--वह जो आप कह रहे हैं तो मेरे क्या शब्द हैं उनको पूरा पढ़ कर जरा सुनाइये।

श्री राजनारायण--गांधी जी कहते हैं...

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--गांधी जी ने कहा, यह मैंने नहीं पूछा बल्कि यह पूछा है कि मैंने कौन से अल्फाज कहे।

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के बीच में कहा था कि एक तरफ तो जवाहर लाल जी और एक तरफ सरदार बल्लभ भाई पटेल जब हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव था। आदर्णीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उसी विवाद के समय उन्होंने यह भी कहा था कि सोशलिस्ट पार्टी ईश्वर में विश्वास नहीं करती है और मुझे खुशी हुई जब कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी का खंडन किया था कि भारतीय आदर्श में ईश्वर का स्थान होता है और नहीं भी होता है। जहां तक चरित्र और नैतिकता तथा ईमानदारी का प्रश्न है उससे 'ईश्वर' में विश्वास तथा अविश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात समझता हूं कि जब किसी के बारे में कोई बात कही जाय कि किसी ने ऐसा कहा तो उसका पूरा खाका होना चाहिये। नहीं तो एक आध शब्द के इधर उधर करने से अन्तर पड़ सकता है और भ्रांति हो सकती है। बार बार कहा जाय और पूरे शब्दों को सामने न रखें तो यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री राजनारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ मौलिक बातें कही हैं और पूछा है कि सदस्यों में से कौन कैपिटेलिस्ट हैं इसको वह जानना चाहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो कैपिटेलिस्ट होते हैं वह हुकूमत में स्वतः नहीं जाते हैं बल्कि वह अपने स्वार्थ रक्षक व्यक्तियों को जनता के बीच में से अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनवा कर भेज देते हैं, और उनके द्वारा पूंजीशाही अर्थ नीति की रक्षा कराते हैं। अमेरिका का ज्वलंत प्रमाण है और चर्चिल की सामन्तशाही भी इसका प्रमाण है। इसलिये मैं यह कहता हूं और जानता हूं कि इस मंत्रिमंडल में किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी ऊंची नहीं है जिससे उनको कैपीटेलिस्ट की श्रेणी में लाया जाय। लेकिन उनके जरिये उनके स्वार्थ का समर्थन हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि एक कठौती उनकी यह है कि सरकार ने जमींदारी को अबालिश कर दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जमींदारी का उन्मूलन हुआ है उससे तो कैपीटैलिज्म क्रियेट होगा। इस सरकार की योजना में जमीन किसके पास कितनी रहेगी इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जिस जमींदार के पास जितनी सीर और खुदकाश्त है वह उसके पास ज्यों की त्यों रहेगी। आज जो अमेरिका से ट्रैक्टर्स मंगायेगा और उनके जरिये से जमीन को जोतेगा वह व्यवस्था खेती में अब पूंजीवाद को जन्म देगी।

माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कल यहां पर एक प्रदर्शन आया। ५,००० एकड़ जमीन बहराइच के एक कांग्रेसी एम० पी० जोगेन्द्र सिंह जी ने किसानों से जबरदस्ती छीन ली; वहां वह ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अर्ज कर दूं कि वहां आज पुलिस का पहरा है कि किसान उन खेतों को न लेने पायें। इसकी जांच की जा सकती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने कोई कांक्रीट सजेशन नहीं दिया। सुझावों की तो हमारे पास एक पूरी तालिका है मगर इस सरकार को देखिये कि इस सरकार ने हमारे आदरणीय स्पीकर महोदय को परामर्श दिया कि बजट की कार्यवाही २० दिन के अन्दर समाप्त कर दी जाय और आदरणीय स्पीकर महोदय के सामने विरोधी पक्ष को नत मस्तक होकर स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है यह सरकार चाहती है कि विरोधी पक्ष अपने मत को अच्छी तरह से प्रकट न करे और २० दिन ही में बजट समाप्त कर दिया जाय तो कर लें; लेकिन एक समय आयेगा कि उनको हमारी बातों का सुनना अनिवार्य हो जायगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री गेंदा सिंह और दूसरे एक आध माननीय सदस्यों को लेकर कहा कि उनके दल में विचार साम्य नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री को बतला दूं कि हमारे अन्दर विचारों की समता बहुत आगे बढ़ गई है और यह बात गेंदा सिंह जी की हमारी बात के खंडन में नहीं आती। जब बुद्धि--विभ्रम है, जब कंफ्यूजन है जो प्रजेण्ट एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसमें जिस तरह के रूल का हवाला दिया गया उसके मुताल्लिक इतना ही अर्ज करूंगा कि जब अंग्रेजी सामन्तशाही थी तब यह रूल नहीं था। अगर इसका विश्लेषण कराया जाय तो यही विश्लेषण होगा

कि सरकार को आज सरकारी नौकरशाही पर विश्वास नहीं रह गया है। सरकार उनके बच्चों के काम के लिये, उनके आश्रितों के काम के लिये उनको जिम्मेदार बतलाती है और अपनी नीति को छिपाना चाहती है।

अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री राजनारायण---जी नहीं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, (लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,७८,४४,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५, कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय के अन्तर्गत २,६१,४४,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

काकोरी शहीद शिक्षा समिति को शाहजहांपुर में सामूहिक चन्दे और वार फण्ड में से दी गई धनराशि के सम्बन्ध में श्री प्रतिपाल सिंह राठौर द्वारा १५ जुलाई, १९५२ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, १५ जुलाई को जो मैंने प्रश्न उपस्थित किये थे उन पर इस भवन के सामने निवेदन करने के लिये जो आपने अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस भवन में आने का और इस भवन को सम्बोधित करने का मेरा यह पहला अवसर है। भवन में आने के बाद जिस प्रकार से मैंने यहां की कार्य प्रणाली और यहां की व्यवस्था का अध्ययन किया उसके कुछ प्रतिकूल इस भवन में पहली बार इस प्रकार के विषय को उपस्थित करते हुये मुझे कुछ संकोच हो रहा है। इन प्रश्नों को यहां पर उपस्थित करने का मुझे ही प्रथम अवसर मिला, अतः इस प्रकार की कार्यप्रणाली के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान न होना स्वाभाविक है।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य यह बतलावें कि किन-किन प्रश्नों का उत्तर उनको नहीं मिला।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---मैं उसी को बतला रहा हूं कि जिस प्रकार नियम ४२ में लिखा हुआ है कि प्रश्नकर्त्ता सब्जेक्ट को इण्ट्रोड्यूस करेगा मैं इस सबजेक्ट को इस प्रकार से पेश करता हूं कि इसका अनुभव पहले पहल मुझे उस समय हुआ जब कि .....

अध्यक्ष---आपके प्रश्न कौन से हैं?

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---जी हां, मैं वही उपस्थित कर रहा हूं मेरा पहला प्रश्न यह था कि---

क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जिला शाहजहांपुर में सामूहिक चन्दा और वार फंड का एक लाख दस हजार रुपया जो स्थानीय कमेटी की सिफारिश पर सरकार

[श्री प्रतिपाल सिंह राठौर]

ने अनरिकग्नाइज्ड काकोरी शहीद एजुकेशन सोसाइटी को देना मंजूर किया है वह किस सरकारी परिपाटी के अन्तर्गत किया है ?

जब वहां पर लोकल समिति बनी हुई है वह वार फंड के मुताल्लिक़ तय करने के लिये बनी हुई है उसकी बैठक २५ मार्च को बुलाई गई तो उसमें ३० हजार रुपया की बावत तय करना था कि किस प्रकार खर्च किया जाय। उसी अवसर पर मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि ७८ हजार रुपया लिया जा चुका है तो मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सारे इतिहास को आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि जब यह प्रश्न यहां पर पेश किये जायंगे उस वक्त अवसर होगा जो पहले प्रश्न १५ जुलाई को मैंने किये थे उनमें मैंने एक बात पूछी थी कि जो रुपया देना मंजूर हुआ क्या वह किसी परिपाटी के अनुसार हुआ है ? उसका उत्तर जो दिया गया वह बहुत ही अधूरा उत्तर है और वह असंतोषजनक उत्तर है। सरकार की तरफ से कहा गया कि ७८,६५७ रुपया १० आना २ पाई दिया गया है। इसके बाद सवाल किया था कि क्या वह ३० हजार रुपया भी इसके अन्दर शामिल है ? उसका उत्तर मुझे कुछ नहीं मिला। वह ३० हजार रुपया दिया गया या नहीं दिया गया, इस पूरक प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया गया और यह उत्तर दिया गया कि यह ज्ञात नहीं है कि मान्यता प्राप्त समिति का क्या तात्पर्य है।

तीसरी बात मैंने यह पूछी थी कि क्या यह रुपया सरकार ने किसी परिपाटी के अन्तर्गत मंजूर किया है ? इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने पहली ३ बातें जो पूछी थीं वह बिलकुल साफ़ थीं और प्रश्न एक में सम्मिलित थीं। लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं मिला।

अगला सवाल यह था कि क्या सरकार ने रुपया मंजूर करने के अवसर पर यह जानने की चेष्टा की थी कि उपरोक्त सोसाइटियों के पास उसका अपना कितना रुपया फंड में था ? उसका उत्तर हमें मिला। "जी नहीं" मैं यह जानना चाहूंगा कि जब सरकार किसी भी शिक्षा संस्था को रुपया देती है उस वक्त क्या वह यह नहीं देखती कि उसके पास कितना रुपया अपना है या कितना फ़र्निचर या फंड है ? एजूकेशन कोड में ऐसा नियम है। इस सवाल का इस तरह का उत्तर देना बिलकुल असंतोषजनक है।

उससे अगला प्रश्न यह था कि क्या सरकार को रुपयों की मंजूरी देने के अवसर पर यह बात ज्ञात नहीं थी कि उपरोक्त सोसाइटी के संचालक के विरुद्ध काकोरी शहीद फंड और कागज के कोटे के मामलों को ले कर जनता में भारी असंतोष है और क्या सरकार इस पूरे मसले पर पुनः विचार करने का इरादा रखती है ? इसमें भी दो प्रश्न उपस्थित थे और दूसरा उसी में से उठता था। उसका जवाब दिया गया कि "सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।" जब कि सरकार को मालूम था कि इसी असेम्बली में एक बार संचालक महोदय के कण्डक्ट के विषय में प्रश्न किये गये थे। मेरे सवाल का दूसरा और आखिरी जुमला यह था कि "क्या सरकार इस पूरे मसले पर पुनः विचार करने का इरादा रखती है ?" इसका जवाब दिया गया कि "इस मामले पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।"

यदि आप इजाजत दें तो मैं इस संबंध में थोड़ा सा इतिहास बतला दूं। जिस रुपये का जिक्र इस संबंध में किया जा रहा है उसके लिये एक लोकल कमेटी बनी हुई है जो हर जिले में इस फंड को मंजूर करती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह रुपया जो कि पहले मंजूर हुआ था क्या वह उसी सिफारिश कमेटी ने मंजूर किया था ?

श्री शिव नाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष––माननीय काटजू साहब बैठ जायं। मैं आपको इजाजत नहीं देता जब कि एक सदस्य बोल रहे हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर––पता यह चला है कि यह रुपया मंजूर तो अवश्य हुआ लेकिन ख़र्च के बारे में कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की। ३० हजार रुपया जिसका मैंने जिक्र किया और जिस कमेटी में मैं पहली बार गया था उसीको ले कर मैंने प्रश्न किया था। उत्तर में कहा गया था कि ७८,००० रुपया दिया गया। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि वह किस तरह से दिया गया ? जांच से मुझे मालूम हुआ कि कमेटी ने यह रुपया मंजूर किया था लेकिन वह इस समिति के लिये मंजूर नहीं किया था बल्कि यह रुपया जलालाबाद में स्कूल खोलने के लिये मंजूर हुआ था और साथ ही कमेटी की यह भी प्रार्थना थी कि सरकार अपनी तरफ से उस स्कूल को बना दे। जब इस रुपये को एक सोसाइटी के लिये दिये जाने का प्रश्न उठा तो एक स्थानिक संस्था जो पहले से मुकामी लोगों की चली आती थी और जिसमें जलालाबाद तहसील के तहसीलदार चेयरमैन थे ... ...

अध्यक्ष––आप तो मंत्री जी को केवल यह सूचना दे सकते हैं कि आप किस तरह से कहते हैं कि आप के प्रश्नों के उत्तर उचित रूप से नहीं दिये गये। इसी पर आप का वादविवाद हो सकता है। तो थोड़े से शब्दों में आप यह सूचना दे दें क्योंकि कुल आधें घंटे का ही समय है और इसी में माननीय मंत्री जी को भी उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर––मेरा अभिप्राय यह है कि जब तक मैं उसकी पूरी हिस्ट्री न रख दूं.. ..

अध्यक्ष––आप वित्त मंत्री जी के पास हिस्ट्री भेज सकते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर––मैंने जैसा बतलाया कि इस प्रश्न के मुताल्लिक़ जो मुझे उत्तर दिये हैं कि क्या यह रुपया किसी सरकारी परिपाटी के अन्तर्गत दिया गया है, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)––जनाबवाला, मेरे दोस्त ने जिस तीस हजार रुपये का जिक्र किया उसका ताल्लुक़ उन सवालों से नहीं है। उन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि क्या सरकार कृपा करके यह बतावेगी कि जिला शाहजहांपुर में सामूहिक चन्दा और वार फंड का एक लाख १० हजार रुपया जो स्थानीय कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने अनरिकगनाइज्ड काकोरी शहीद एजुकेशन सोसाइटी को देना मंजूर किया है वह किसी सरकारी परिपाटी के अन्तर्गत किया है। तो इससोसाइटी को १ लाख १० हजार रुपया नहीं बल्कि ७८, ६५७ रु० १० आने २ पाई देना मंजूर किया। जिस सोसाइटी को जिस क़दर रुपया दिया गया था, जिसको उन्होंने पूछा है, उतने ही रुपये का उसके जवाब में जिक्र हो सकता था। बाक़ी रुपये को जिक्र इसमें आ ही नहीं सकता था।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सोसाइटी रिकगनाइज्ड है या नहीं। उसका जवाब यह दिया गया कि काकोरी शहीद शिक्षा समिति सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है। जवाब देते हुये सप्लीमेंटरीज़ में मैंने यह कहा था कि जिस तरह से कालेज और स्कूल्स एजूकेशन डिपार्टमेंट के रिकगनाइज़ होते हैं उस तरीके से

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

सोसाइटियां रिकगनाइज़ नहीं होती है। बल्कि वे रजिस्टर होती हैं। चुनान्चे वह रजिस्टर हुई और उसकी रजिस्ट्री होने का तजकिरा पूरा-पूरा मैंने उस रोज इस सवाल के जवाब में भी कर दिया था और सप्लीमेंटरीज में भी।

अब उसके बाद उन्होंने यह कहा कि क्या सरकार ने रुपया मंजूर करने के अवसर पर यह जानने की चेष्टा की थी कि उपरोक्त सोसाइटी के पास कितना रुपया है। वाक्या यह था कि सरकार ने नहीं की थी और मैंने यही जवाब दिया कि सरकार ने नहीं की थी। अगर वह यह पूछते कि क्यों नहीं की तो मैं उसका जवाब दे देता। तो उसका जवाब तो यही हो सकता था। आठवें सवाल में जो उन्होंने सोसाइटी के मुताल्लिक़ शिकायत की है उसकी बाबत यह जवाब दे दिया गया कि सरकार के पास किसी तरह की उस किस्म की कोई शिकायतें उस सोसाइटी के मुताल्लिक़ नहीं आई हैं। सवाल में जो कुछ था उसका जवाब दे दिया गया। लेकिन अगर जनाब इजाज़त दें तो चन्द फिकरे में दो मिनट में इस मामले के मुताल्लिक़ साफ करने के लिये रख दूं। उससे यह बात साफ हो जायगी। सन् ४२, ४३ और ४४ में जो रुपया मुखतलिफ जगहों पर जमा किया गया था उसकी बाबत यह तय था कि जंग के बाद जिस जिस मुकाम से वह जमा किया गया है उसे भय सूद के उस जगह पर किसी फायदे के काम में लगा दिया जाय। उसी सिलसिले में शाहजहांपुर में १ लाख, ८ हजार कुछ सौ रुपया जमा हुआ था। इस बात के लिये कि वह रुपया किस तरह से खर्च हो, हर जिले में कमेटियां बनाई गई थीं और एक कमेटी उस काम के लिये शाहजहांपुर में भी बनी। शाहजहांपुर की कमेटी के सामने यह सवाल आया कि यह जो रुपया रखा हुआ है यह किस तरीके से खर्च किया जाय। उन्होंने यह तजवीज़ किया कि वहां की जलालाबाद तहसील में कोई ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां पर एक स्कूल कायम कर दिया जाय और उस स्कूल को कायम करने के लिये ७८ हजार रुपया उसको दे दिया जाय। इसकी बाबत एजूकेशन डिपार्टमेंट से पूछा गया। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स और डायरेक्टर आफ स्कूल्स ने उनकी इस बात की ताईद की, उस पर यह सवाल पैदा हुआ कि यह स्कूल किसके जरिये से कायम हों। यह तय हुआ कि वहां पर एक सोसाइटी कायम हो जिसका नाम इन सवालों के अन्दर है और फिर सब की यह राय हुई कि वहां पर जो एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया जाय उसके लिये गवर्नमेंट से वह रुपया इस सोसाइटी के डिसपोज़ल पर रख दिया जाय। ऐजूकेशन डिपार्टमेंट की तहकीकात पर उसकी रिपोर्ट की बिना पर और इस इत्मीनान पर कि वहां पर एक हाई स्कूल कायम हो जायगा उस सोसाइटी को ७८ हजार रुपया २ किस्तों में दे दिया गया। ३० हजार रुपये का न तो कोई सवाल ही है और न उसका जवाब ही दिया गया है। वह सोसाइटी को नहीं दिया गया, उसका मामला ज़ेर गौर है। इसमें कोई जवाब गलत नहीं दिया गया।

अध्यक्ष--अब कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हों तो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर)--मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोकल कमेटी बनाई उसने यह सिफारिश की थी कि इस रुपये से जलालाबाद में हाई स्कूल खोला जाय और ७८ हजार की रक़म उसको दे दी जाय लेकिन यह रकम किसके जरिये से खर्च की जाय इसके लिये क्या वहां की जो लोकल कमेटी थी या डिस्ट्रिक्ट मजिट्रेट ने कोई सिफारिश की थी या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। तय यह हुआ था कि एक ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन के कायम होने की जरूरत है। जिसकी ताईद डायरेक्टर आफ ऐजूकेशन और इंस्पेक्टर आफ ऐजूकेशन ने की, इसलिये यह रुपया दिया गया।

श्री शिवकुमार मिश्र---क्या माननीय सदस्य वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां कोई दूसरी सोसाइटी पहिले से बनी हुई थी और रजिस्टर्ड भी हो चुकी थी और एक हाई स्कूल जो दर्जा आठ तक था वह चल रहा था, वह संस्था भी इस रुपये को चाहती थी तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इस बात की कोशिश भी की थी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---इस किस्म की दूसरी सोसाइटी के वजूद इत्तिला गवर्नमेंट के पास नहीं है।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस काम के लिये सोसाइटी को रुपया दिया गया था वह काम शुरू हो गया है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---श्री सम्पूर्णानन्द होम मिनिस्टर ने उसकी संगे बुनियाद को रख दिया है।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---मैंने पहिले आपसे यह प्रार्थना की थी कि यह एक पुराना मामला है। इसलिये मैं इस सदन को थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहता था। जिस प्रकार कि पहिले प्रश्नों के जवाब में उत्तर मिला था उससे भी वेग (अस्पष्ट) उत्तर अब मिला है ?

अध्यक्ष---माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---क्या सरकार के पास जनता की इस बात का कोई उत्तर है कि काकोरी शहीद फंड का जो रुपया सोसाइटी के संचालक ने निरर्थक व्यय कर दिया उसके फलस्वरूप जनता में जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसे दबाने के लिये ही उपरोक्त सोसाइटी को सरकार ने यह रुपया दिया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह बिलकुल गलत बात है।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर--क्या प्रान्त में और भी कोई ऐसी संस्था है जिसको सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि शिक्षा शुरू होने के पूर्व ही दे दी हो ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मेरे ख्याल में तो इस तरह के रुपये मुख्तलिफ जिलों में किसी कमेटी के जरिये ही दिये गये। मैं तफसील में तो इस वक्त नहीं बतला सकता।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---क्या मंत्री महोदय को पता है कि संचालक ने उक्त रुपये में से ६ हजार रुपये की एक जीपकार अपने निजी इस्तेमाल के लिये ली और ३ हजार रुपया पैट्रोल में भी खर्च कर दिया ?

अध्यक्ष---यह प्रश्न इसमें से नहीं उठ सकता, जब उन्होंने जवाब दे दिया है कि ऐसी कोई शिकायत वगैरह नहीं आयी। गवर्नमेंट के पास जो चीज नहीं आयी उसके बारे में वह क्या बतला सकती है। जब आप नया सवाल टेबिल कर करेंगे तभी उत्तर मिल सकता है। लेकिन इसमें से यह नहीं निकल सकता है।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर---क्या सरकार उपरोक्त एलाटमेंट की जांच कराने का विचार रखती है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में भी कहा गया है कि अभी तक गवर्नमेंट को कोई ऐसा कारण नहीं मिला जिसकी बिना पर यह जरूरी समझा जाय कि जिस तहकीकात को मेरे दोस्त चाहते हैं वह की जाय।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य यह कर सकते हैं कि वे अपनी शिकायत के लिये सवाल पूछ सकते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर—क्या यह बात सही है कि इस संस्था को प्रश्न कर्त्ताद्वारा इस मामले को उठाये जाने के बाद रेकगनाइज किया गया था और १३ जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया जबकि दो साल पहले यह रुपया कुछ प्राइवेट कार्यों में खर्च किया गया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह भी गलत है। काकोरी शहीद एजुकेशन फंड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सन् ५० में इस कार्यवाही के होने के पहले हो चुका था।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या वित्त मंत्री महोदय, मेहरबानी करके बतलायें कि जिस स्कूल की इमारत का शिलान्यास माननीय गृह मंत्री जी ने किया था वह आजकल किस अवस्था में है?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जब मैंने शिलान्यास किया था तब तो एक पत्थर था। यह दस बारह दिन की बात है। मुमकिन है कि अब दो चार हाथ उसकी दीवाल उठ गयी हो।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार इस सवाल के ऊपर इतनी बहस सुनने के बाद अब कोई इनक्वायरी कराने के लिये तैयार है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इसका जवाब दिया जा चुका है।

अध्यक्ष—अगर आपको सब सुनने के बाद थोड़े शब्दों में उत्तर देना हो तो दे दीजिये क्योंकि ५ मिनट बाकी हैं। इसके बाद यह बहस समाप्त हो जायगी। इसलिये उत्तर देना चाहें तो दे दें।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर—उत्तर देने में मुझे सवाल की और बातों को भी बतलाने की इजाजत होगी?

अध्यक्ष—५ मिनट है तो आप ऐसा न करें कि ज्यादा लम्बा हो।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस रुपये में काफी गोलमाल हुआ है और जैसा कि हमारे सरकारी बेचों से जवाब दिया गया है वह इस बात की और भी पुष्टि करता है। मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। जो मैंने परिषाद वाली बात पूछी थी उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है और जो ३० हजार रुपये वाली बात मैंने पूछी थी, मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि उस कमेटी में मैं मौजूद था और उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। वह रुपया इसी प्रकार से खर्च करने का इरादा रखती है?

यह तमाम सारी कार्यवाही की गयी तब भी सरकार ने यह क्यों नहीं उचित समझा कि इन तमाम बातों को लेकर पब्लिक में जो असंतोष है उसको दूर करने की कोशिश करे। तो मैं समझता हूं कि यह चीज बहुत गलत हुई है। माननीय मंत्री जी यह वायदा करेंगे कि इसकी पूरी जांच होगी और इस संबंध में जब कभी भी प्रश्न उपस्थित किया जायगा तो वह उस का संतोषजनक उत्तर देंगे ?

मैं वहां के जिम्मेदार आदमी की हैसियत से कह सकता हूं कि उसमें काफी गोलमाल हुआ है और मैं वहां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट रहा हूं और अब इस भवन का सदस्य हूं। मैं कह सकता हूं कि यह जो रुपया दिखलाया गया है कि यह स्कूल में खर्च होगा इसका बहुत अंश खर्च हो चुका है और एक छोटी सी इमारत, घुड़साल की तरह से बनादी गयी और वह भी नष्ट हो गयी है। वह जो रुपया इस तरह से खर्च किया गया उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

अध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री अगर जवाब देना चाहें तो दो मिनट बाकी हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैं एक फिकरे में जवाब दे देता हूं। एक आवाज। मैं जरूर इंक्वायरी कराना मान लेता मगर मेरे दोस्त ने जो बातें कहीं उनमें कोई ऐसी डेफिनिट बात मिलती नहीं जिसकी बिना पर मैं जांच करवा सकूं। उन्होंने यह कहा कि गोलमाल किया गया है। इससे पहले उन्होंने गवर्नमेंट को इत्तिला दी, मुझसे कहा, किसी और से कहा।

श्री प्रतिपाल सिंह राठौर--मैंने एक तहरीर गवर्नमेंट के पास भेजी है। जो तीस हजार रुपये का सवाल है। मैंने उसके लिये अपना सेंट दिखलाया है उसमें सब एतराज है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो कि तहरीर है वह सिर्फ ३०,००० के मुताल्लिक है और उस ३०,००० रुपये का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका फैसला अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। असंतोष तो मेरे दोस्त को मालूम होता है। मेरे पास किसी और की तरफ से कुछ नहीं है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२५ जुलाई, १९५२

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ३०२ पर)

कारखाने का नाम	जमीन का क्षेत्रफल	दर	किस साल में रजिस्ट्री हुई
१—मेसर्स जे० के० ग्रुप कमला टाउन ट्रस्ट	४३.७ एकड़	१,००० रु० फी एकड़	१९३६
२—मेसर्स जे० के० ग्रुप कमला टाउन ट्रस्ट	२६ एकड़	१,००० रु० फी एकड़	१९३८
३—मेसर्स गनेश फ्लोर मिल्स	३.४ एकड़	२ रु० ८ आ० फी वर्ग गज	१९४६
४—दी कानपुर शुगर मिल्स	१.५४ एकड़	२ रु० फी वर्गगज	१९४६
५—मेसर्स लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	२२ एकड़	२ रु० ८ आ० फी वर्ग गज	अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है।

इसके अलावा ६०,००० वर्ग गज जमीन कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड कानपुर को और २२,१९५ वर्ग गज जमीन एलगिन मिल कानपुर को दी गई थी, परन्तु उन्होंने क्वार्टर न बना सकने का कारण बतला कर उसको छोड़ दिया।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ (क) का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

१—श्रम कमिश्नर ने २७ व्यक्तियों को अपनी विज्ञप्ति संख्या ४०१० एफ० एल० डब्ल्यू० ओ० (८वी) ४.२६ वी, दिनांक १२ अप्रैल, १९५० ई० के द्वारा कारखानों के वेलफेयर अफसरों के नियम, १९४९ ई० के नियम १२ (१) के अन्तर्गत , नियम ४ की योग्यताओं, से मुक्ति दी है, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है--

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त हैं	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री जय नारायण अग्रवाल, एम० काम०	मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड कानपुर,	नियम ४'क'	शिक्षा सम्बन्धी उच्च योग्यता तथा जे० के० काटन स्पिनिंग और बीविंग मिल्स, कानपुर में सन् १९४५ ई० से प्रमुख श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	प्रथम	
२	श्री एस० सी० बख्शी एम० ए० (अर्थशास्त्र)	मेसर्स जे० के० जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	नियम ४ 'ग'	शिक्षा सम्बन्धी उच्च योग्यता तथा जे० के० जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर में सन् १९४५ ई० से प्रमुख श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	प्रथम	

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफसर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
३	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, बी० ए० (अर्थशास्त्र)	मेसर्स आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड लक्सर (ई० आई० रेलवे जिला) सहारनपुर।		मेसर्स आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड, लक्सर, सहारनपुर में श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	
४	श्री दीनानाथ पन्त, बी० ए०, एल० टी०	मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमि०, धामपुर (बिजनौर)।	नियम ४ (ख) और (ग)	श्री धामपुर शुगर मिल्स, बिजनौर, में श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने तथा श्रम समस्याओं का विशेष ज्ञान होनेके कारण।	द्वितीय	
५	श्री जी० सी० बनर्जी, इंटरमीजियट	लोको शाप्स चारबाग़, लखनऊ।	नियम ४ (क) (ख) और (ग)	जुलाई, १९४३ से मुक्ति प्रदान के समय तक रेलवे विभाग में लेबर एडवाइज़र, पर्सनल इंस्पेक्टर तथा एम्पलायमेंट अफसर, लोकोशाप्स, चारबाग़, लखनऊ, के पदों पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	केन्द्रीय सरकार से संबद्ध विभाग।
६	श्री हनूमान सेवक सिंह, इंटरमीजियेट	मेसर्स लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमि०, पोस्ट आफिस छितौनी, (देवरिया)।	नियम ४ (ख) और (ग)	जुलाई, १९४७ ई० से श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर श्री लक्ष्मी-	द्वितीय	

				देवी शुगर मिल्स लिमिटेड छितौनी, देवरिया में कार्य करने के कारण।		
७	श्री जानकी रमन भार्गव, एम० ए०, (अर्थशास्त्र) बी० काम०, एल-एल० बी०	मेसर्स अपर इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, खटौली, इ० पी० आर० जिला मुज़फ्फरनगर।	नियम ४ (ग)	अपर इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, खटौली, मुजफ्फरनगर, में ६ वर्ष निरन्तर श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	
८	श्री जे० पी० भार्गव, हाई स्कूल	५०८ कमांड, आई० ई० एम० ई० वर्कशाप, फोर्ट, इलाहाबाद	नियम ४ (ख) और (ग)	१९४३ ई० से मुक्ति प्रदान के समय तक केन्द्रीय आर्डिनेंस विभाग में श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	केन्द्रीय विभाग से संबद्ध
९	श्री के० एन० पांडे, बी० ए० (अर्थशास्त्र)	कैरेज ऐण्ड वैगन शाप्स, ई० आई० रेलवे, आलमबाग़, लखनऊ।	नियम ४ (ग)	अगस्त १९४७ ई० से एम्प्लायमेंट अफसर कैरेज एण्ड बैगन शाप्स, ई० आई० आर०, आलमबाग़, लखनऊ, के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध विभाग।
१०	श्री महेन्द्र लाल थापर, बी० ए० (अर्थशास्त्र)	मेसर्स अमृतसर शुगर मिल्स लिमिटेड, रोहानाकला, मुजफ्फरनगर।	नियम ४ (ग)	१९४७ ई० से अमृत शुगर मिल्स, रोहानाकला, मुजफ्फरनगर में श्रम हितकारी अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	इन्होंने अब श्री काशी विद्यापीठ से लेबर ट्रेनिंग का कोर्स पास कर लिया।
११	श्री माली राम सूरी, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०	मेसर्स रामकोला शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, रामकोला, अधिकारी के पद पर कार्य करने के कारण।	नियम (४) क (ख) और (ग)	१९४७ ई० से रामकोला शुगर मिल्स, देवरिया में श्रम हितकारी	द्वितीय	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
		जिला देवरिया।				
१२	श्री ओम् प्रकाश शर्मा, हाई स्कूल तथा श्री काशी विद्यापीठ से लेबर ट्रेनिंग पास।	मेसर्स अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद।	नियम ४ (ख)	बुढ़वल शुगर मिल्स, लक्ष्मी-शुगर मिल्स, सीतापुर तथा अयोध्या शुगर मिल्स, मुरादाबाद, में १९३८ ई० से १९५० ई० तक शिफ्ट इंचार्ज, शुगर केमिस्ट तथा लेबर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	
१३	श्री ओ० एस० भटनागर, एम०एस-सी०	कैरेज एण्ड वैगन शाप्स, ई० आई० रेलवे, आलमबाग़, लखनऊ।	नियम ४ (ख) और (ग)	कैरेज ऐंड वैगन शाप्स, ई० आई० रेलवे, आलमबाग़ लखनऊ में ९ सितम्बर, १९४७ ई० से लेबर इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	केंद्रीय सरकार से सम्बन्धित।
१४	श्री पृथ्वीनाथ दीक्षित, बी० ए० (अर्थशास्त्र) तथा एल-एल० बी०	मेसर्स जे० के० काटन मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड, कानपुर।	नियम ४ (ग)	जे० के० काटन मैन्युफैक्चर्स लिमि०, कानपुर में लेबर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१५	श्री राजनाथ पांडचानागर, बी० ए० (अर्थशास्त्र) तथा एल-एल० बी०	मेसर्स जे० के० जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	नियम ४ (ग)	जे० के० जूट मिल्स, कानपुर, में लेबर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय
१६	श्री एस० अख़्तर अब्बास जैदी, बी० ए० तथा श्री काशी विद्यापीठ से लेबर में ट्रेनिंग कोर्स पास।	मेसर्स गनेश शुगर मिल्स लिमिटेड आनन्दनगर, गोरखपुर।	नियम ४ (ख)	श्री गनेश शुगर मिल्स लिमिटेड, आनन्दनगर, गोरखपुर में लेबर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय
१७	श्री शिवदत्त गुप्त बी० एस-सी०, एच० बी० टी० आई० तथा श्री काशी विद्यापीठ से लेबर ट्रेनिंग कोर्स पास	मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोला गोकरननाथ, खेरी।	नियम ४ (ख)	शुगर फैक्ट्रीज में १५ वर्ष तक श्रमिकों के बीच में श्रम सम्बन्धी समस्याओं का विशेष ज्ञान प्राप्त करने तथा हिन्दुस्तान शुगर मिल्स में काम करने को कारण।	द्वितीय
१८	श्री श्रीकृष्ण दास, बी० ए० (आनर्स) (अर्थशास्त्र) तथा एल-एल० बी०	मेसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज, मोदीनगर, मेरठ।	नियम ४ (ग)	मोदी इण्डस्ट्रीज मेरठ में वेलफेयर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय
१९	श्री शिवेन्द्र पाल सिंह, बी० ए० (अर्थशास्त्र)	मेसर्स सिम्भाली शुगर मिल्स, लिमि०, पोस्ट आफिस बक्सर, जिला मेरठ।	नियम ४ (क)	सिम्भाली शुगर मिल्स लिमिटेड, बक्सर मेरठ में १२ फरवरी, १९४५ ई० से लेबर वेलफेयर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय
२०	श्री वी० सी० सिंह, बी० ए० (अर्थशास्त्र), एम० ए० प्रथम वर्ष (हिन्दी) तथा एल-एल० बी०	मेसर्स रामचन्द्र शुगर मिल्स, बाराबंकी।	नियम ४	(ग) रामचन्द्र शुगर मिल्स, बाराबंकी में लेबर वेलफेयर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
२१	श्री यज्ञदत्त दुबे, एल-एल० बी	मेसर्स लक्ष्मी शुगर मिल्स कम्पनी लिमटेड महोली, सीतापुर।	नियम ४ (ख) और (ग)	रेमण्ड अलेन मिल्स, बम्बई तथा लक्ष्मी शुगर मिल्स महोली, सीतापुर में लेबर वेलफेयर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	
२२	श्री कैलाश शंकर वर्मा, हाई स्कूल	मेसर्स इंडियन टरपेंटाईन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ऐंड इंडियन वाबिन कम्पनी लिमिटेड, क्लटर-बक गंज, बरेली।	नियम ४ (ख)	१ मई, १९४६ ई० से इंडियन टरपेंटाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ऐंड इंडियन बाविन कम्पनी लिमिटेड बरेली में लेबर अफसर के पद पर कार्य करने तथा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने के कारण।	द्वितीय	
२३	श्री खूबचन्द्र हाई स्कूल तथा एफ० बी० आई० (लन्दन)	मेसर्स कैरेज ऐंड वैगन शाप्स ई० आई० रेलवे, आलमबाग़, लखनऊ।	नियम ४ (क) (ख) और (ग)	१९४४ ई० से मुक्ति प्रदान के समय तक केंद्रीय रेलवे विभाग में असिस्टेंट वेलफेयर इन्स्पेक्टर, सीनियर वेलफेयर इन्स्पेक्टर तथा वेलफेयर इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य करने के कारण।	द्वितीय	केंद्रीय सरकार से संबद्ध विभाग।

२४	श्री लक्ष्मी निधि खरे, बी० एस-सी०, एच० बी० टी० आई०	मेसर्स श्री आनन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, खलीलाबाद।	नियम ४ (ख) और (ग)	लगभग १८ वर्षों तक श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन तथा आनन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, खलीलाबाद में वेलफेयर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	तृतीय
२५	श्री रमाशंकर त्रिपाठी, बी० ए०, एल-एल० बी०	मेसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड बीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।	नियम ४ (ख) और (ग)	जे० के० काटन स्पिनिंग ऐंड बीविंग मिल्स में १-९-४५ से असिस्टेंट लेबर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।	तृतीय
२६	श्री सूरज प्रसाद श्रीवास्तव इंटर मीजियेट	मेसर्स इंडियन टरपेंटाइन ऐंड रोजिन फैक्टरी ऐंड इंडियन बोबिन कंपनी लिमि०, क्लटरबकगंज, बरेली।	नियम ४ (ख) और (ग)	मेसर्स इंडियन टरपेंटाइन ऐंड रोजिन फैक्टरी ऐंड इंडियन बाबिन कम्पनी बरेली में वेलफेयर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	तृतीय
२७	श्री विजय बहादुर पांडे, हाई स्कूल तथा श्री काशी विद्यापीठ से लेबर ट्रेनिंग कोर्स पास	मेसर्स जगदीश शुगर मिल्स, कठकुंइयां, जिला देवरिया।	नियम ४ (ख)	१ दिसम्बर, १९४८ ई० से जगदीश शुगर मिल्स, कठकुंइया, देवरिया में लेबर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	तृतीय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२) श्रम कमिश्नर द्वारा १९५२ ई० में कारखानों के वेलफेयर अफसरों के नियम, १९४९ ई० के नियम १२ (१) के अन्तर्गत, नियम ४ की योग्यताओं से मुक्त किये गये ४ व्यक्तियों का विवरण —

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री शम्भुनाथ कौल, एम० ए० (अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र)	आर० पी० लक्ष्मनदास मोहन दास ऐंड संस लिमिटेड शुगर ऐंड आइस मिल्स, जरवल रोड, बहराइच।	नियम ४ (ग)	१४ मार्च, १९४८ ई० से आर० वी० लक्ष्मनदास मोहनदास ऐंन्ड सन्स लिम० शुगर ऐंड आयल मिल्स जरवल रोड, बहराइच, में लेबर अफ़सर के पद पर कार्य करने के कारण।		श्रम कमिश्नर ने मुक्ति की सूचना फैक्ट्री को अप्रैल १९५२ ई० में दे दी है किन्तु अभी तक गजट में मुक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है।
२	श्री वी० एन० दर, एम० ए० (अर्थशास्त्र), एल-एल० बी० तथा डिप्लोमा सोशल सर्विस फैज़ाबाद।	न्यौली शुगर फैक्टरी, जिला एटा।	नियम ४ (क)	न्योली शुगर फैक्टरी जिला एटा में में जून, १९४६ ई० से असिस्टेंट मैनेजर तथा वेलफेयर अफ़सर के पदों पर काम करने के कारण।		जैसा ऊपर है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३	श्री उमाशंकर वाजपेयी, एम० ए० (संस्कृत), बी० ए० आनर्स तथा डिप्लोमा लेबर ट्रेनिंग कोर्स श्री काशी विद्यापीठ, बनारस	वेस्टर्न इंडिया कम्पनी लिमिटेड, बरेली।	नियम ४ (ख)	एक लम्बी अवधि तक जे० के० ग्रुप कानपुर, न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर तथा केन्द्रीय सरकार के आर्डिनेंस विभाग में सेक्रेटरी तथा लेबर अफसर के पदों पर काम करने तथा वेस्टर्न इंडिया कम्पनी लिमिटेड बरेली में जनवरी, १९४७ ई० से वेलफेयर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	जैसा ऊपर है
४	श्री कमला प्रसाद मिश्र, हाई स्कूल तथा डिप्लोमा लेबर ट्रेनिंग श्री काशी विद्यापीठ, बनारस	माधव कन्हैया महेश गौरी शुगर मिल्स लिमिटेड, मुंडेरवा, ज़िला बस्ती।	नियम ४ (ख)	फरवरी, १९४८ ई० से माधव कन्हैया महेश गौरी शुगर मिल्स लिमिटेड, मुंडेरवा, ज़िला बस्ती में असिस्टेंट लेबर वेलफेयर अफ़सर के पद पर तथा जून, १९४९ ई० से वेलफेयर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	जैसा ऊपर है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(३) राज्य सरकार ने ५ व्यक्तियों को कारखानों के वेलफेयर अफसरों के नियम, १९४९ ई० के नियम १२ के अन्तर्गत, नियम ४ की योग्यताओं से मुक्त किया है, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है —

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री जे० एल० गुप्त, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०	असिस्टेंट रीजनल इम्प्लायमेंट अफसर, रीजनल इम्प्लायमेंट एक्सचेंज, कानपुर।	नियम ४ (ख) और (ग)	कई मिलों में मैनेजर तथा वेलफेयर अफसर के पद पर थोड़ी-थोड़ी अवधि तक कार्य करने तथा मई, १९४७ ई० कमीशन द्वारा चुने गये असिस्टेंट एम्प्लायमेंट अफसर के पद पर कार्य के कारण।		सरकारी विज्ञप्ति संख्या २७५ (एल एल२ १८.५०२) (एल एल) ४९, दिनांक २२ फरवरी, १९५०, द्वारा मुक्ति प्रदान की गई।
२	श्री ओ० एन० सेठ, एम० ए० (अर्थशास्त्र)	असिस्टेंट इम्प्लायमेंट अफसर, सब-रीजनल इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज, मेरठ।	नियम ४ (ग)	उच्च योग्यता होने के कारण तथा श्रम विभाग में लेबर इन्स्पेक्टर तथा असिस्टेंट इम्प्लायमेंट अफसर के पदों पर कार्य करने के कारण।		सरकारी विज्ञप्ति सं० २७५ (एल एल) (१) १८.५०८ (एल २) २४९, दिनांक २

उत्तर प्रदेश विधान सभा

					फरवरी, १९५० ई० द्वारा मुक्ति प्रदान की गई।
३	श्री परशु राम मेहरोत्रा एम० ए० (राजनीति विज्ञान)	गोपीवल्लभ भवन, १०६/२५४, गांधी नगर, कानपुर (नौकरी में नहीं)	नियम ४ (ग)	कई मिलों में लेबर अफसर तथा फैक्ट्री इन्स्पेंक्टर के पदों पर लम्बी अवधि तक कार्य करने के कारण।	सरकारी विज्ञप्ति संख्या ३७० (एल २) १८.५०२ (एल २) ४९ दिनांक मार्च ८, १९५० ई० द्वारा मुक्ति प्रदान की गई।
४	श्री हुकुमचन्द, बी० ए० (अर्थशास्त्र) तथा एल-एल० बी०	बस्ती शुगर मिल्स, बस्ती।	नियम ४ (ग)	बस्ती शुगर मिल्स बस्ती में वेल-फेयर अफसर के पद पर कार्य करने के कारण।	सरकारी विज्ञप्ति संख्या १२१८ (एल एल) १८ एलपी० ३६२ (एल एल) ५१, दिनांक १७ जून, १९५२ द्वारा मुक्ति प्रदान की गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वेलफेयर अफ़सर का नाम तथा योग्यतायें	फैक्टरी का नाम जहां नियुक्त है	नियम ४ में वर्णित किन योग्यताओं से मुक्त किया गया	मुक्ति का कारण	किस ग्रेड के लिये मुक्ति मिली	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
५	श्री हजारी लाल श्रीवास्तव, एम० ए० (अर्थशास्त्र) तथा एफ०आर०ई०एस० (लन्दन)	महादेव मिसिर पोस्ट आफिस, बलरामपुर, जिला गोंडा (नौकरी में नहीं)	नियम ४ (ग)	इन्हें श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष अध्ययन तथा ज्ञान होने के कारण।		सरकारी विज्ञप्ति संख्या १४९२ (एल एल) १८ एल० पी० २०६ (एल एल) ५२, १८ जून, १९५२ ई० द्वारा मुक्ति प्रदान की गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ (ख) का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०६ पर)

कारख़ानों के वेलफेयर अफ़सरों के नियम, सन् १९४९ के अन्तर्गत मुक्ति मांगे गये मामलों की सूची जिन पर सरकार द्वारा विचार हो रहा है।

१—श्री भगवानदास, लेवर वेलफेयर अफ़सर, बस्ती शुगर मिल्स, बाल्टरगंज, बस्ती।

२—सरकार हरबंश सिंह पनूब, लेबर वेलफेयर अफ़सर, सरया शुगर फैक्टरी, सरदार नगर, गोरखपुर।

३—श्री कामेश्वर नाथ वर्मा, फैक्टरी वेलफेयर अफ़सर, डाइमंड शुगर मिल्स, पिपराइच, जिला गोरखपुर।

४—श्री हैदर अब्बास जैदी, लेबर वेलफेयर अफ़सर, रजा शुगर फैक्टरी, रामपुर।

५—श्री रामनगीना सिंह, लेबर वेलफेयर अफ़सर, महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया।

६—श्री जी० डी० वाजपेयी, कानपुर।

७—श्री आर० एस० गोपाल, लखनऊ।

८—श्री होती लाल गौड़, लेबर वेलफेयर अफ़सर, स्टार प्रेस, कानपुर ।

९—श्री कामेश्वरनाथ, लखनऊ।

१०—श्री रमाकान्त राय, लेबर वेलफेयर अफ़सर, पडरौना, राजकृष्ण शुगर वर्क्स लिमिटेड पडरौना, जिला देवरिया।

११—न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

१२—कूपर एलन ऐण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

१३—जे० के० आइरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

१४—स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

१५—अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स, लखनऊ।

१६—एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

१७—कानपुर अलेन मिल्स कम्पनी लिमीटेड, कानपुर।

१८—कानपुर काटन टेक्सटाइल्स, कानपुर।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६६ एल० ए०—१९५२—८५०